तृतीय माला, खंड 36, अंक 21 सोमवार, 14 दिसम्बर, 1964/23 अग्रहायण, 1886 (शक)

Third Series, Vol. XXXVI, No. 21 Monday, Dec. 14, 1964/Agrahayana 23, 1886 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation
27-5-92
Fumigated
On 14-12-83
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 21—29]

Gazettes & Debates U
Parliament Library Buil
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 21, सोमवार, 14 दिसम्बर, 1964/23 अग्रहायण, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
485	काहिरा में भारतीय पत्रकार	1873–75
486	समाचार-पत्रों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए विधान	1875–76
487	तेल समवायों में छंटनी	1876–78
488	चीनी अणु बम	1879–84
489	पाकिस्तान में हिन्दुओं का धर्म-परिवर्तन	1884–89
491	वस्तुओं के रूप में मजूरी का आंशिक भूगतान	1890–93

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या		
490	भारत में पाकिस्तान उच्च आयोग	1893–1894
492	रीजनल पासपोर्ट आफिसर का मिनियेचर सेक्रेटेरियट	1894
493	मन्त्रालयों के बीच विषयों का वितरण	1894
494	गुलमुर्ग में वेधशाला	1895
495	मंत्रियों का विदेशों का दौरा	1895
496	खनिकों के लिए जूते	1895–96
497	पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन	1896–97
498	नागा विद्रोही	1897–98
499	रेडियो संचार रिले सेंटर	1898
500	आयुध कारखाना, वरनगांव	1898
501	अवाडी में मध्यम आकार के टेकों के परीक्षण	1899
502	विमान दुर्घटना	1899
503	पटसन श्रमिकों के बारे में बोनस प्रतिवेदन	1899–1900
504	दिल्ली के लिए टेलीविजन कार्यक्रम	1900

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बातका द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 21, *Monday, December* 14, 1964/*Agrahayana* 23, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

**Starred Question Nos.*	*Subject*	*Pages*
485	Indian Journalists in Cairo	1873–75
486	Legislation for non-Journalist Employees of Newspapers	1875–76
487	Retrenchments in Oil Companies	1876–78
488	Nature of Chinese Atom Bomb	1879–84
489	Conversion of Hindus in Pakistan	1884–89
491	Part Payment of Wages in Kind	1890–93

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.		
490	Pak High Commission in India	1893–94
492	Miniature Secretariat of Regional Passport Officer	1894
493	Distribution of subjects among Ministries	1894
494	Observatory at Gulmarg	1895
495	Ministers' Visits Abroad	1895
496	Shoes for Miners	1895–96
497	Violation of Cease-fire Line by Pakistanis	1896–97
498	Naga Hostiles	1897–98
499	Radio Communications Relay Centre	1898
500	Arms Factory, Varanagaon	1898
501	Trials of Medium Tank at Avadi	1899
502	Air Crashes	1899
503	Bonus Report Regarding Jute Workers	1899–1900
504	Television Programmes for Delhi	1900

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1303	अणु शक्ति	1901
1304	प्रोग्राम अधिकारी	1901
1305	भारत अर्थमूवर्स लिमिटिड	1901
1306	तेलीचेरी का बड़ा डाकघर	1902
1307	दिल्ली में दूध के मूल्य तथा बसों के किराये में वृद्धि	1902–03
1308	भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण	1903
1309	नेहरु स्मारक निधि	1904
1310	संसद् सदस्यों की विदेशों की यात्रा	1904
1311	विदेशों में भारतीय मिशन	1904–05
1312	पाकिस्तान में पूरी लम्बाई की धोतियों का उत्पादन	1905
1313	अफगानिस्तान में भारतीय	1905–06
1314	रिपब्लिकन पार्टी की मांगों का चार्टर	1906
1315	अम्बाला सर्किल के डाक तथा तार कर्मचारी	1906
1316	मैजागांव डाक में युद्धपोत	1907
1317	स्वर्गीय प्रधान मंत्री के जीवन सम्बन्धी रूसी प्रलेखीय चलचित्र	1907–08
1318	प्रतिरक्षा संस्थापनों के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	1908
1319	अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ सम्मेलन	1908
1320	पाकिस्तान स्थित मन्दिरों और गुरुद्वारों का बोर्ड	1908–09
1321	टेलीफोन कनेक्शन	1909
1322	टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षक सूची	1909
1323	लाइफ और टाइम पत्रिकाओं का संवाद दाता	1910
1324	हांगकांग एंड सिंगापूर आर्टिलरी के सैनिक	1910–11
1325	इलेक्ट्रानिक्स	1911–12
1326	प्रतिरक्षा बस्तियां	1912–13
1327	नागालैण्ड में बसने वाले भारतीय	1913
1328	हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में गबन	1913
1329	शेख अब्दुल्ला को हज यात्रा के लिये अनुमति	1913–14
1330	परमाणु गवेषणा संस्थाए	1914
1331	आकाशवाणी पर 'प्रेस से भेंट' कार्यक्रम	1914
1332	इन्डिया टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़, बंगलौर	1914–15
1333	प्रागा टूल्ज़ कारपोरेशन, हैदराबाद	1915
1334	परागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड के विक्रय एजेंट	1915–16
1335	वैस्ट इन्डीज़ में भारतीय	1916
1336	कलकत्ता पुलिस द्वारा नाबालग लड़की का बचाया जाना	1916–17
1337	इन्डोनेशिया द्वारा एटम बम का विस्फोट	1917

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1303	Atomic Power	1901
1304	Programme Executives	1901
1305	Bharat Earth-Movers Ltd.	1901
1306	Head Post Office, Tellicherry	1902
1307	Increase in Milk price and bus fare in Delhi	1902–03
1308	Training of I.F.S. Officers	1903
1309	Nehru Memorial Fund	1904
1310	Foreign tours by M.Ps.	1904
1311	Indian Missions Abroad	1904–05
1312	Production of Full length Dhoties in Pakistan	1905
1313	Indians in Afghanistan	1905–06
1314	Charter of Demands of Republican Party	1906
1315	P. & T. Employees in Ambala Circle	1906
1316	Frigates at Mazgaon Docks	1907
1317	Russian Documentary on Late Prime Minister	1907–08
1318	Wage Board for employees in Defence Establishments	1908
1319	I.T.U. Conference	1908
1320	Boards for Gurudwaras and Temples in Pakistan	1908–09
1321	Telephone Connections	1909
1322	Waiting List for Telephone Connections	1909
1323	Correspondent of "Life" and "Time" Magazines	1910
1324	Hong Kong, Singapore Artillery Personnel	1910–11
1325	Electronics	1911–12
1326	Defence Colonies	1912–13
1327	Indians settling in Nagaland	1913
1328	Misappropriations in Hindustan Aircraft Ltd.	1913
1329	Permission to Sheikh Abdullah for Haj Pilgrimage	1913–14
1330	Institutions Engaged in Nuclear Research	1914
1331	"To meet the Press" feature on A.I.R.	1914
1332	Indian Telephone Industries, Bangalore	1914–15
1333	Praga Tools Corporation, Hyderabad	1915
1334	Selling Agents of Praga Tools Corporation Ltd.	1915–16
1335	Indians in West Indies	1916
1336	Rescue of minor girl by Calcutta Police	1916–17
1337	Explosion of atom bomb by Indonesia	1917

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1338	सेना के लिये इंजीनियर और चिकित्सीय स्नातक	1917–18
1339	लंका में भारतीय उद्भाव के कर्मचारी	1918–19
1340	उड़ीसा में रेलवे डाक सेवा के कार्यालय	1919
1341	दिल्ली में फैक्टरियां	1919–20
1342	प्रधान मंत्री के साथ माइकल स्काट की भेंट	1920
1343	राष्ट्रीय रक्षा कोष	1920
1344	सिक्किम में तिब्बती	1920–21
1345	भारत-नागा आयोग के लिये प्रस्ताव	1921
1346	भारतीय वायु सेना के हंटर विमान की दुर्घटना	1921
1347	अभ्रक की खानों में मजूरी का भुगतान	1922
1348	ब्रिटेन, अमरीका तथा कैनेडा में भारतीय	1922–23
1349	टेलीग्राफ तथा टेलीफोन इंजीनियरिंग सेवा	1923
1350	नागा लोगों से शांति वार्ता	1923
1351	भारतीय प्रलेखीय चलचित्र	1923–24
1352	एच० जे० टी-जेट ट्रेनर	1924
1353	लंका में भारतीय	1925
1354	केन्द्रीय सूचना सेवा	1925
1355	दिल्ली छावनी में दो सदस्य वाले वार्ड	1925–26
1356	दिल्ली छावनी में नागरिक क्षेत्र	1926
1357	मीडियम वेव सेवा	1926–27
1358	ट्यूनिस में भारतीय कूटनीतिज्ञ की मृत्यु	1927
1359	सैनिक स्कूल, पचमढी	1927

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

केरल में मध्यावधि चुनाव

श्री नम्बियार 1928

श्री अ० कु० सेन 1928

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . 1928–29

राज्य सभा से सन्देश 1929

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—

श्री हुकम चन्द कछवाय . . . 1929–30

श्री बसुमतारी 1930–31

श्रीमती मिनी माता 1931–32

श्री शिवमूर्ति स्वामी 1932–33

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1338	Engineers and Medical Graduates for Army . .	1917–18
1339	Employees of Indian origin in Ceylon . . .	1918–19
1340	R.M.S. Offices in Orissa . . .	1919
1341	Factories in Delhi	1919–20
1342	Rev. Michael Scott's Meeting with the Prime Minister	1920
1343	National Defence Fund .	1920
1344	Tibetans in Sikkim . . .	1920–21
1345	Proposals for Indo-Naga Commission	1921
1346	Crash of I.A.F. Hunter .	1921
1347	Payment of Wages in Mica Mines	1922
1348	Indians in U.K., U.S.A. and Canada	1922–23
1349	Telegraph and Telephone Engineering Service	+ 1923
1350	Naga Peace Talks .	1923
1351	Indian Documentaries	1923–24
1352	H.J.T.-Jet Trainer .	1924
1353	Indians in Ceylon . .	1925
1354	Central Information Service . .	1925
1355	Double-member Wards in Delhi Cantonment	1925–26
1356	Civil Area in Delhi Cantt.	1926
1357	Medium Wave Services . .	1926–27
1358	Indian Diplomat killed in Tunis .	1927
1359	Sainik School, Pachmarhi	1927

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

Mid-term elections in Kerala

Shri Nambiar . 1928

Shri A. K. Sen 1928

PAPERS LAID ON THE TABLE 1928–29

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 1929

MOTION RE : TWELFTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—

Shri Hukam Chand Kachhavaiya 1929–30

Shri Basumatari 1930–31

Shrimati Minimata 1931–32

Shri Sivamurthi Swamy 1932–33

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के बारहवें प्रतिवेदन के बारें में प्रस्ताव—क्रमश:

विषय	पृष्ठ
श्री अच्युतन . .	1933–34
श्री साधु राम	1934–35
श्री माते .	1935
श्री जयपाल सिंह	1935–36
श्री बाल्मीकी . .	1936–37
श्रीमती जयाबेन शाह .	1937
श्री प० कुन्हन .	1937–38
श्रीमती रेणुका राय	1938
श्री प० ला० बारूपाल .	1938–39
श्री मौर्य .	1939–41
श्री उइके . . .	1941–42
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	1942–43
श्री उटिया . . .	1943
श्री जेना .	1943–44
श्री रिशांगा किशिंग .	1944–45
श्री दशरथ देब . . .	1945–46
श्री दे० शि० पाटिल .	1946
श्रीमती अक्कम्मा देवी . .	1946–47
श्री अ० शं० आल्वा .	1947–48
श्री ओंकार लाल बेरवा.	1948–49
श्री नवल प्रभाकर	1949

शक्ति शाली ट्रांसमिटर के बारे में आधे घण्टे की चर्चा—

श्रीमती रेणुका राय . .	1949–50
श्रीमती इन्दिरा गांधी	1950–52

MOTION RE : TWELFTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—*Contd.*

Subject	*Pages*
Shri Achuthan .	1933-34
Shri Sadhu Ram . .	1934-35
Shri Mate . . .	1935
Shri Jaipal Singh . .	1935-36
Shri Balmiki .	1936-37
Shrimati Jayaben Shah	1937
Shri Kunhan . .	1937-38
Shrimati Renuka Ray .	1938
Shri P. L. Barupal	1938-39
Shri Maurya	1939-41
Shri Uikey . .	1941-42
Shrimati Tarkeshwari Sinha	1942-43
Shri Utiya	1943
Shri Jena . .	1943-44
Shri Rishang Keishing	1944-45
Shri Dasaratha Deb .	1945-46
Shri D. S. Patil . .	1946
Shrimati Akkamma Devi	1946-47
Shri A. S. Alva .	1947-48
Shri Onkar Lal Berwa . .	1948-49
Shri Naval Prabhakar	1949
HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : HIGH POWERED TRANSMITTER—	
Shrimati Renuka Ray . .	1949-50
Shrimati Indira Gandhi . .	1950-52

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिय गय भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा

LOK-SABHA

सोमवार, 14 दिसम्बर 1964/23 अग्रहायण 1886 (शक)
Monday, December 14, 1964/*Agrahayana* 23, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
[The Lok Sabha met at Eleven of the clock]

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

\+ **काहिरा में भारतीय पत्रकार**

*485. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिध्दान्ती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बृजराज सिंह :
श्री बडे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काहिरा में हुए तटस्थ राष्ट्र के सम्बन्ध में जो भारतीय पत्रकार वहां गये थे क्या उनको सही सुविधाएं नहीं दी गई जो चीनी पत्रकारों को दी गई थीं; और

(ख) क्या सरकार ने इस के बारे में जांच पड़ताल की है कि भारतीय तथा चीनी पत्रकारों के बीच इस प्रकार का भेदभाव क्यों बरता गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार ने भारत और चीन के पत्रकारों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या कुछ भारतीय पत्रकारों को उस होटल में प्रधान मंत्री से मिलने की अनुमति नहीं दी गई जहां वह ठहरे हुए थे ? क्या इस प्रकार की भी कुछ और शिकायतें प्राप्त हुईहैं कि पत्रकारों को अपने सामान्य कार्य अर्थात वहां पर आये हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भेट आदि नहीं करने दी गई ?

श्री दिनेश सिंह : उन्हे अपना सामान्य-कार्य करने से नहीं रोका गया । जिन होटलों में राज्याध्यक्ष या प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख ठहरे हुए थे, वहां जाने के लिये किसी भी पत्रकार को पास नहीं दिया गया । यह शर्त सभी पत्रकारों पर लागू थी ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या भारतीय पत्रकारों को उस होटल में नहीं जाने दिया गया जहां भारत के प्रधान मंत्री ठहरे हुए थे, या अन्य होटलों में भी नहीं जाने दिया गया, जब कि चीन के पत्रकारों को जाने दिया गया ? क्या भारतीय पत्रकारों को वहां जाने के पास नहीं दिये गये ? क्या यह बात सच है या नहीं ?

श्री दिनेश सिंह : यह बात सच नहीं है। जसा कि मैंने पहले कहा है तथा हमारी जानकारी है कि चीनियों को कोई विशेष पास नहीं दिये गये कि वे उन होटलों में जा सके जहां पर प्रतिनिधिमंडलों के नेता ठहरे हुए थे ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के जिस सदस्य का काम पत्रकारों को सूचनाये देने का था उसको अणुबम के विस्फोट के विरुद्ध चीन को एक प्रतिनिधिमंडल भेजने के संबंध में श्री शास्त्री के सुझाव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जब पत्रकारों ने उन से इस सुझाव का ब्यौरा मांगा तो उस के पास कुछ भी बताने को नहीं था ? यदि हां, तो प्रधान मंत्री के इतने लाभप्रद प्रस्ताव के संबंध में इतनी गोपनीयता क्यों रखी गई ?

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल पृथक प्रश्न है । यहां काहिरा में भारतीय पत्रकारों के प्रति भेदभाव के बारे में प्रश्न चल रहा है ।

श्री कपूर सिंह : क्या यह बात सच है अथवा नहीं कि चीनी प्रभाव भारतीय पत्रकारों के मार्ग में बाधा बना बल्कि इसने सम्मेलन में बुरा असर डाला, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात से कोई सबक ग्रहण किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी भिन्न प्रश्न है ।

श्री कपूर सिंह : नहीं श्रीमान्, यह भिन्न प्रश्न नहीं है । यह बिल्कुल वही प्रश्न है जो.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को तर्क में नहीं पड़ना चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा : काहिरा में भारतीय पत्रकारों को क्या सुविधाय उपलब्ध की गई और क्या अन्य तटस्थ देशों को उपलब्ध की गई सुविधाओं के बराबर थी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि कोई भेदभाव नहीं बरता गया ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात में कहां तक सचाई है कि चीनी पत्रकारों की संख्या अधिक थी और वे अधिक प्रभावशाली तथा साधन-सम्पन्न थे ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

समाचार-पत्रों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए विधान

+

*486. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टाटिया ।
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री उमानाथ :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय समाचार पत्र कर्मचारी संघ ने सरकार से निवेदन किया है कि समाचार-पत्र स्थापनाओं के गैर-पत्रकार कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने की मांग पर विचार करने के लिए एक मजूरी बोर्ड स्थापति किया जाये तथा उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये एक विशेष विधान भी बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड पहले ही स्थापित किया जा चुका है और वह अंतरिम सहायता की मंजूरी की मांग पर विचार कर रहा है । इस समय बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए वैधानिक उपाय अपनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्र० चं० बरुआ : राष्ट्रीय पौष्टिक आहार सलाहकार समिति के अनुसार कर्मचारियों के परिवारों की यूनतम पौष्टिक आहार संबंधी आवश्यकतायें क्या है और क्या उन के मजूरी ढांचे को बनाते समय इन आवश्यकताओं को आधार माना जायगा ?

श्री संजीवय्या : मैं इस समय यह नहीं कह सकता कि वे आवश्यकतायें क्या हैं परन्तु व मजूरी बोर्ड के समक्ष आधार अवश्य हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार का ध्यान बिहार के लोक निर्माण विभाग मंत्री के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने फडरेशन के समक्ष दिया था और कहा था कि गैर-पत्रकारों के वेतन-मान नगरपालिकाओं के भंगियों के वेतनमानों से भी कम हैं ? यदि हां तो ऐसी स्थित कैसे होती रही है ?

श्री संजीवय्या : मैं ने इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देखा परन्तु मजूरी बोर्ड इस को अवश्य ध्यान में रखेगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know whether a Wage Board has been constituted ; if so, by what time its report will come before us ?

Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malaviya) : The Wage Board has been constituted and it has started its work. When its work is completed, it will submit its report.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : When will its report be submitted ?

Shri R. K. Malaviya : It has just started its work. It depends on the Board as to how long it will take to complete its work and submit its report.

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री के उत्तर से यह जान पड़ता है कि गैर-पत्रकारों के लिये अभी तक अन्तरिम सहायता मंजूर नहीं की गई है। मैं इस सम्बन्ध में होनेवाले विलम्ब के कारण जानना चाहता हूं और क्या सरकार ने मजूरी बोर्ड को हिदायत दी है कि अन्तरिम सहायता के संबंधी सिफारिश को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाये ?

श्री संजीवय्या : इस विलम्ब का एक कारण तो यह है कि मालिकों के प्रतिनिधिने इस सम्बन्ध में बोर्ड की समक्षता पर आपत्ति उठाई है। फिर इसके बारे में बोर्डने सरकार को लिखा और सरकार ने उसे अन्तरिम सहायता के प्रश्न पर भी विचार करने को कहा।

तेल समवायों में छंटनी

\+

*487. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दे० द० पुरी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री मणियंगाडन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री नम्बियार :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री प० कुन्हन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्थित प्रमुख तेल समवायों ने अपने सुपरवाइजरों, क्लर्कों तथा श्रमिकों की छंटनी आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कुछ अभ्यावेदन मिले है ;

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार छंटनी किये गये इन कर्मचारियों को इंडियन आयल कं० में लगाने पर विचार करेगी और उनके अनुभवों का लाभ उठायेगी ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (ग) तेल कम्पनियों में तथाकथित छंटनी के बारे में सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं। यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

(घ) सरकार ने इंडियन आयल कार्पोरेशन के चेयरमन को लिखा है कि विभिन्न स्तरों पर नये कर्मचारी भरती करते समय कार्पोरेशन की विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा छंटनी किए गए व्यक्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि छंटनी का कारण क्या है ? क्या एस्सो तथा अन्य समवायों में स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाना छंटनी का एक कारण है ?

श्री संजीवय्या : वास्तव में कोई छंटनी नहीं हुई है यद्यपि कहा ऐसा ही जाता है। परन्तु वैज्ञानिकन, स्वचालित मशीनों का प्रयोग तथा जानकारी एकत्र करने वाली बिजली की मशीनों का प्रयोग करने का भी विचार किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह बात सच है कि बहुत से ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन को छंटनी की सूचना नहीं दी गई है, परन्तु उन्हें स्वयं ही त्यागपत्र देने के लिय बाध्य किया जा रहा है ? क्या भारत सरकार को उन कर्मचारियों से आई० ओ० सी० में नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो श्रम मंत्रालय इस सम्बन्ध में उन की क्या सहायता करेगा कि उनको केन्द्रीय सरकार के अधीन रोज़गार मिल जायें ?

श्री संजीवय्या : 13 नवम्बर को हमने विभिन्न राज्य सरकारों को लिखा है। अभी हमें उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जहां तक बर्मा शैल का सम्बन्ध है इस में कोई छंटनी नहीं हुई और कालटैक्स ने स्वैच्छिक छंटनी की योजना बनाई है और यह अनिवार्य नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैं यह जानना चाहता था कि क्या उन कर्मचारियों के आवेदन पत्र, जो कि विभिन्न तेल समवायों में काम करते हैं आई० ओ० सी० के द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेज दिये गये हैं; यदि हां तो क्या श्रम मंत्रालय उन को रोज़गार दिलाने में सहायता कर रहा है ?

श्री संजीवय्या : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका कि हमने पहले ही इन्डियन आयल कारपोरेशन के अध्यक्ष को लिखा है कि वह इन लोगों के मामलों पर विचार करें।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार को इस बात का पता है कि कालटैक्स वाले उन कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं जिन की आयु 45 वर्ष या इस से अधिक है और निवृत्ति वेतन तथा वेतन को बचाने के लिये ऐसा किया जा रहा है ? क्या पहले भी ऐसा किया गया था और सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर यह रूका था ? यदि हां, तो क्या सरकार अब भी हस्तक्षेप करेगी ?

श्री संजीवय्या : छंटनी का कोई प्रश्न नहीं है। यह स्वैच्छिक छंटनी है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार ने सेवा-निवृत्ति या छंटनी की योजना पर की जांच की है... **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, बहुत शोर हो रहा है।

श्री भागतव झा आज़ाद : क्या यह योजना स्वैच्छिक है अथवा अनिवार्य तथा क्या वे केवल भारतीय कर्मचारियों की ही छंटनी कर रहे हैं और विदेशी कर्मचारियों की नहीं ?

श्री संजीवय्या : चूंकि यह विषय राज्यों के क्षेत्र में आता है इस लिये हमने राज्यों को पहले ही लिख दिया है।

Shri Yashpal Singh : Will the hon. Minister state as to whether the persons who are being retrenched will be absorbed in Government concerns and other agencies, which are being established ?

Mr. Speaker : He has already stated that.

श्री भागवत झा आज़ाद : श्रीमान्, हम यह जानना चाहते हैं कि एक ही मंत्री ने दो बार यह उत्तर दिया है कि यह विषय राज्यों के क्षेत्र में आता है। यह कैसे हो सकता है ? विदेशी समवाय अपने कर्मचारियों को बाध्य कर रहे हैं और यह प्रश्न उन से संबंध रखता है।

श्री संजीवय्या : श्रम विवाद दो भागों में विभक्त हैं। एक भाग को केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क विभाग निपटाता है। अन्य भाग से विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रालयों का संबंध होता है। तेल वितरण समवायों के श्रम विवाद राज्यों के क्षेत्र में आते हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी: क्या इस छंटनी का सब से मुख्य कारण यह है कि ये समवाय अपनी क्षमता के विस्तार की मांग को रद्द करते हैं ?

श्री संजीवय्या : मैंने पहले भी कहा था कि कोई छंटनी नहीं हुई है।

Shri Kishan Pattnayak : Whether the hon. Minister is aware that this voluntary retirement scheme is a scheme of retrenchment under a different name and the employees are called individually, threatened or lured to leave the job ?

Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malaviya) : No such infornation has been received by the Ministry.

Shri Bhagwat Jha Azad : The entire country has got this information. I cannot understand why you do not have this information.

श्री हरीशचन्द्र माथुर : क्या सरकार ने उन कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तों को देखा है जो स्वैच्छिक रूप से अपने पदों का त्याग कर रहे हैं ? ये पद बहुत आकर्षक हैं तथा उन पर बहुत अच्छे वेतन मिलते हैं, जिन को वे छोड़ रहे हैं। सरकार का इस निष्कर्ष पर पहुंचने का क्या कारण है ?

श्री संजीवय्या : हम राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। 13 नवम्बर को हम ने सभी संबंधित राज्य सरकारों को लिखा है। जब हमें उत्तर आयेंगे तो हम अवश्य इस पर कार्यवाही करेंगे।

\+ **चीनी अणु बम**

*488. **श्री हरिशचन्द्र माथुर :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री ज० व० सिं० बघ्ट :
श्री हेडा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि चीन ने किस प्रकार का अणुबम बनाया है तथा चीन की इस मामले में कितनी क्षमता है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री ललित सेन): चीन के परमाणु विस्फोट से प्राप्त अल्प-जीवी विखण्डित पदार्थों की रेडियोधर्मी धूलि का विश्लेषण करने से यह पता चला है कि परमाणु अस्त्र में जो विस्फोटक पदार्थ उपयोग में लाया गया था वह यूरेनियम — 235 था। चूंकि चीन अपने अणुशक्ति कार्यक्रम को अत्यन्त गोपनीय ढंग से चला रहा है इसलिये उसकी अणु उत्पादन सामर्थ्य का कोई ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

श्री हरिशचन्द्र माथुर : मैं माननीय प्रधान मंत्री को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अनुपूरक प्रश्न न तो भय के कारण करते हैं और न ही चाहते हैं कि हम अणु बम बनायें। हम यह जानना चाहते

हैं कि चीन की तुलना में अणु विज्ञान में हमारी प्रगति क्या है ? अणु विस्फोट के बारे में मेरे प्रश्न के पहले आधे भाग का उत्तर तो दे दिया गया है, परन्तु दूसरे आधे भाग का, जो कि क्षमता के बारे में था, उत्तर नहीं दिया गया। इस पर संसार के बड़े देशों ने पुनर्विचार किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नकाल में वक्तव्य की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि अणु-विज्ञान संबंधी प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक प्रगति में हम चीन की तुलना में कहां हैं ? क्या प्रधान मंत्री ने इस विषय पर अणु संगठन के मुख्य-अधिकारी से बातचीत की है तथा कोई कार्यक्रम निश्चित किया है ताकि चीन के मुकाबले में हमारी प्रगति की स्थिति बनी रहे ?

श्री ललित सेन : मेरा विचार है कि इसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि हम ने अणु शक्ति के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर ली है, परन्तु हम इस प्रगति का बम्ब बनाने के लिये प्रयोग नहीं करना चाहते.....

अध्यक्ष महोदय : वह हमारी क्षमता का तुलनात्मक विश्लेषण चाहते हैं।

श्री ललित सेन : जहां तक हमारी जानकारी है भारत की प्रगति अपनी खोज तथा अपने प्रयत्नों का परिणाम है, जब कि चीन ने शायद सभी जानकारी कहीं और से प्राप्त की है, अपनी खोज के आधार पर नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्रीमान्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय प्रधान मंत्री ने इस विषय पर अणु शक्ति विभाग के मुख्याधिकारी से बातचीत की है और कोई निश्चित कार्यक्रम तैयार किया है ताकि हम अपनी प्रगति को बनाये रख सकें ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : हमारी प्रगति शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये इस विज्ञान का विकास करने के क्षेत्र में है और हम इस मामले में चीन से पीछे नहीं हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या चर्चा की गई है और कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : आयोग अपना काम कर रहा है और इस क्षेत्र में विकास हो रहा है। आगामी कुछ वर्षों के लिये उन का अपना कार्यक्रम है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन ने जो विस्फोट किया है वह एक प्रकार का अणुबम्ब था, कोई मामुली धमाके वाली चीज नहीं थी इस विस्फोट ने तो पुनर्विचार को अनिवार्य बना दिया है। क्या इस विषय को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से बातचीत की है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री इस विषय पर ब्रिटेन द्वारा अमरीका की सरकार से भी बातचीत करना चाहते थे ? हमारी जानकारी है कि भारत के विदेश मंत्री.....

अध्यक्ष महोदय वह इस प्रकार नहीं चल सकते।

श्री लाल बहादूर शास्त्री : मैंने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से यह नहीं कहा कि वह इस विषय पर अमरीका के प्रधान से बात करें। मैंने तो एक सामान्य मत व्यक्त किया था जो मैंने लन्दन में खुले रूप में कहा था तथा यहां अपने देश में भी कहा है। यह चीन के अणु विस्फोट के संदर्भ में नहीं कहा गया।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री भागवत झा आजाद ।

श्री कपूरसिंह : श्रीमान आप के बायीं ओर भी अणु विशेषज्ञ बैठे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने बायीं ओर वालों को कैसे बुला सकता हूं जब तक उन विशेषज्ञों के नाम पूरे नहीं हो जाते जिन के नाम प्रश्न सूची में हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : क्या भारत सरकार की जानकारी इस बात की पुष्टि करती है कि जैसा कि संसार के अणु वैज्ञानिकों का मत है, कि चीन यू० 238 से यू–235 को पृथक करने में सफल हो गया है और इसी कारण वह उच्च दर्जे के हथियार बनाने में सफल हो गया है, यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय वैज्ञानिक इसको दूसरा बम बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण पग मानते हैं अथवा यह एक मामूली सी बात मानी जाती है ?

श्री ललित सेन : जहां तक चीन की क्षमताओं का सम्बन्ध है, हमारी जानकारी के अनुसार चीन ने बम बनाने के बारे में उपलब्ध जानकारी ही प्राप्त की है। यह उन की योग्यता का संकेत नहीं क्योंकि इस सम्बन्ध में उन की खोज इतनी उच्च नहीं है। उन के विस्फोट के बारे में हमारी जानकारी के अनुसार यह तथ्य है कि उन्होंने यू–235 का प्रयोग किया है। यह निस्संदेह 20 साल पहले के अणु-विस्फोटों में प्रयोग की गई सामग्री से बढ़िया है।

श्री हेडा : हम इस बात की निरन्तर घोषणा करते रहे हैं कि हम अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग में चीन से बहुत आगे हैं, क्या इस सम्बन्ध में मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ठोस कार्यक्रम है जिस से यह सिद्ध हो कि हमारी घोषणा सार्थक है।

श्री ललित सेन : परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों के बारे में परमाणु शक्ति विभाग का एक निश्चित कार्यक्रम है जिसे पूरा किया जा रहा है और हम शीघ्र ही परमाणु शक्ति संस्थानों स्थापित कर रहे हैं। भविष्य में, चौथी योजना में, मुझे विश्वास है कि शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये परमाणु शक्ति का अधिक प्रयोग किया जायगा।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या चीन द्वारा फोड़े गये परमाणु बम की क्षमता, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा में गिराये गये बम के समान है, क्या सरकार को इसकी जानकारी है.....

एक माननीय सदस्य : नहीं, यह बहुत अधिक शक्तिशाली है।

श्री दी० चं० शर्मा : .....और यदि हां, तो शस्त्रास्त्र की लड़ाई में, चीन की इस नाभिकीय क्षमता का, जो मानव विनाश लायगी, क्या मुकाबला होगा ?

श्री ललित सेन : प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैंने जैसे पहले कहा है चीन द्वारा जिस परमाणु यंत्र का विस्फोट किया गया है वह बीस वर्ष पहले फोड़े गये परमाणु यंत्र से बहुत उन्नत है। प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध हमारी नाभिकीय नीति से है जिसका निरुपण प्रधान मंत्री द्वारा सभा में किया जा चुका है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Government repeatedly asserts that they can manufacture Atom Bomb. I want to know whether we have enough material and preparation to manufacture atomic bomb quickly when the time comes ?

Mr. Speaker : The Government say that they would not manufacture it.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : When the time comes.....

Mr. Speaker : When they have no intention to do so, how will the time come ?

Shri Hukuam Chand Kachhavaiya : Circumstances can compel them to manufacture atomic bomb.

श्री हेम बरुआ : संसार के वैज्ञानिकों में भी चीनी परमाणु बम की किस्म के बारे में मतभेद है. . .

श्री दी० चं० शर्मा : जी नहीं ।

श्री हेम बरुआ : जी, हां, मतभेद है। इस संदर्भमें क्या माननीय प्रधान मंत्री यह बतायेंगे कि सरकार परमाणु बम न बनाने के निश्चय पर कैसे पहुंची है. . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब वह तर्क कर रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : जी नहीं । मैं तो सरकार के चीनी परमाणु बम की किस्म के बारे में जाने बिना ही यह बम न बनाने के निश्चय का कारण जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार की नीति है ।

श्री हरि विष्णु कामत : हम तो उन के कारण या कारणों को जानना चाहते हैं ।

श्री हेम बरुआ : चीनी बम का स्वरूप जाने बिना ही सरकार ने बम न बनाने का निश्चय कैसे कर लिया ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : चाहे वह अधिक विनाशकारी हो अथवा कम, फिर भी यह एक विनाशकारी अस्त्र तो है ही और नीति के तौर पर सरकार ने कहा है कि वह परमाणु बम् नहीं बनाना चाहती ।

श्री कपूर सिंह : हमें अभी अभी सूचित किया गया है कि चीन ने अपने परीक्षण इतने गुप्त तरीके से किये हैं कि हमें इसका पता लगाना असम्भव था कि वह क्या कर रहे हैं और अब भी पता लगाना असंभव है । क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने लोक गणतंत्रीय चीन को एक कड़ा पत्र भेजने का विचार किया है कि वह अपने कार्य गुप्त न रखे ताकि हमें भी इनका ज्ञान हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी ।

श्री कपूर सिंह : श्रीमान्, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कह सकता हूं या मंत्री जी को क्या कहने को कहूं ?

Shri Rameshwaranand : Just now the Prime Minister has said that Atomic Bomb is very destructive and it can bring harm. These sentiments are very nice but when China or any other Country will drop atom bomb on India will it not be destructive and if so, keeping this in view why are we not thinking of manufacturing Atom Bomb ?

Mr. Speaker : He is arguing. Shri Dwivedi.

Shri M. L. Dwivedi : I have been on my legs for a very long time. He has just now risen.

Mr. Speaker : I have Called him. मैं द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी का भेद जानता हूं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या चीनी बम विस्फोट के बाद हमारी क्षमता का पुनरीक्षण किया गया है और क्या मैं यह जान सकता हूं कि परमाणु शक्ति आयोग देश में परमाणु शक्ति के विकास और प्रगति में शीघ्रता लाने के लिये क्या कोई पग उठा रहा है, चाहे वह शान्तिपूर्ण लक्ष्यों के लिये ही हो ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां, यह तो हो रहा है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : चीन के परमाणु अस्त्र विस्फोट से पहले यह घोषित किया गया था कि भारत नाभिकीय प्रगति में उन से आगे है और यदि भारत चाहे तो 18 मास के भीतर परमाणु बम बना सकता है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह घोषणा यूरेनियम 235 के नाभिकीय अस्त्र के लिये की गयी थी अथवा प्लुटोनियम किस्म के अस्त्र के लिये ?

श्री ललित सेन : इस क्षेत्र में चीन से हमारे आगे होने के बारे में मैंने पहले ही निवेदन किया है कि जहां तक परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोगों का प्रश्न है, हमें विश्वास है कि हम चीन से आगे हैं।

Shri Rameshwaranand : I have a point of order in this regard. Prime Minister Shri Shastri and even late Shri Jawaharlal Nehru had said that we are a head of China. China have even exploded it and we do not want to do so. Then what for are you here ? Why do you not want to manufacture it ? Would you allow the country to be perished ?

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : श्रीमान्, मेरा प्रश्न था.....

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य तर्क ही कर रहे हैं। एक भी सदस्य पूछ नहीं रहा है....

श्री भगवत झा आजाद : यह तो एक निश्चित प्रश्न है।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : मेरा प्रश्न था कि क्या हमारी तैयारी यू-235 के लिये है अथवा प्लुटोनियम की किस्म के लिये।

श्री ललित सेन : यू-235 के बनाने में हमारी क्षमता के बारे में मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि यदि हम चाहें तो हम यू-235 बनाने की स्थिति में हैं पर जहां तक बम के निर्माण के निर्णय की बात है और जैसा मैंने पहले ही कहा है, यदि हम चाहें या जब भी चाहें हम प्लुटोनियम या यू-235 का उपयोग कर सकते हैं।

Shri M. L. Dwivedi : The Parliamentary Secretary has just now said that the device exploded by China is of advanced type. I want to know whether according to Dr. Bhabha's declaration that we can also make atom Bomb, this bomb will also be of advanced type or not ?

Shri Lalit Sen : I have only said that the nuclear device exploded by China is of an advanced type as compared to the device exploded twenty years back.

Shri M. L. Dwivedi : Keeping in view the declaration of Dr. Bhabha that we can make it, will this bomb be of the same advanced type, more than that or less than that ? The reply to this question has not been given.

Shri Prakash Vir Shastri : The Prime Minister, in a recent statement given by him at a symposium on Atomic Bomb, had admitted that Atom Bomb Experts have informed the Govt. that China is ten years behind India as far as Atom Bomb is concerned. Was that statement true ? Is the source of information

to Govt. the same that gave a wrong information or whether any kind of change has been brought in ?

Shri Lalit Sen : As regards the question of our information, and the question of research the condition is the same that Atomic Energy should be used for peaceful purposes and we do understand that we are ahead of China in this sphere.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker.....

Mr. Speaker : How can he stand again and again ?

Shri Rameshwaranand : If they are devotees of peace why so much is being spent on the Army.

Mr. Speaker : Will he use military weapons just now ! He may keep quiet. I have told him so more than once. I always keep quiet. He may also keep quiet at any one time.

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, my question was quite clear. The scientists who had given then opinion to the Government that China is behind us by ten years in this sphere, are these advisers to Government the same or any change been brought about in them and whether the source of information also the same or another ?

Shri Lal Bahadur Shastri : Our Scientists had not given any wrong information and nothing was wrong when I said that. Then Chon-En-lai was mentioned who had said that they were 15 years behind India.....(Interruptions)

श्री जोकिम आल्वा : मैं प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या विस्फोट के बाद, पूर्व या पश्चिम की किसी परमाणु शक्ति अर्थात् उस ओर कनाडा, अमरीका, इंग्लैंड और फ्रान्स और हमारे इस ओर रूस ने हमें चीन के परमाणु बम के स्वरूप और किस्म के बारे में स्वयम् कोई सूचना दी है या हम ने मांगी है अथवा हमें बम के बारे में उन्हीं की सूचना से संतोष है ?

श्री ललित सेन : जो सूचना मैंने सभा के समक्ष रखी है वह हमारे अपने परमाणु शक्ति विभाग द्वारा एकत्र की गयी है अथवा ऐसी जानकारी पर निर्भर है जो संसार भर के वैज्ञानिक संस्थाओं और संगठनों द्वारा दी गयी है ।

श्रीमती सावित्री निगम : एक समाचार जो सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था यह था कि आणुविक राख धीरे धीरे भारत-पाकिस्तान और दूसरे देशों की ओर आ रही है बहुत ही हानिकर है । क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या इस बारे में विशेषज्ञों की राय ले ली गयी है ?

श्री ललित सेन : भारत में यह राख न होने के समान है और जैसा पहिले बताया गया है आणविक राख ने भारत के कुछ कुछ उत्तर की ओर घेरे बनाया ।

श्री अ० प्र० जैन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रौद्योगिकीय प्रगति को छोड़ कर क्या सरकार ने चीन के बम बनाने में आर्थिक संसाधनों और कर्मचारी वर्ग का भी कोई अनुमान लगाया है और यदि हां तो वह अनुमान क्या है ?

श्री ललित सेन : माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक अनुमान लगाया है कि बड़ी मात्रा में परमाणु अस्त्रों का बनाना बहुत कुछ चीन में उपलब्ध औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय सुविधाओं पर निर्भर करता है । जैसा मैंने पहले कहा है हमें चीन में उपलब्ध इन सुविधाओं की ठीक ठीक जानकारी नहीं है । इसलिये इस मामले में कोई अनुमान लगाना कठिन होगा ।

डा० सरोजिनी महीशी : क्या यह सच है कि भारत ने बम न बनाने के निश्चय पर इंग्लैंड तथा अमरीका ने बहुत चिन्ता व्यक्त की है और यदि हां तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वास्तव में बात इस के विपरीत है ।

Conversion of Hindus in Pakistan

+

*489. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Vishram Prasad :
Shri Subodh Hansa :
Shri Hukam Chand Khachhavaiya :
Dr. Mahadeva Prasad :
Shri Hem Barua :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :—

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in Hindustan (Hindi Daily) dated the 14th October, 1964 published from Delhi to the effect that 600 Hindus have been converted into Islam in a village in Sukker District, West Pakistan ;

(b) whether Government have tried to find out that after Partition, the minorities in West Pakistan have been subjected to persecution and forcible conversion; and

(c) whether such an act is not in violation of the Nehru-Liyaqut Pact ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) Government have seen the news.

(b) The news of forcible conversions of the people belonging to minority communities have come to the notice of the Government of India from time to time and we are aware that atrocities are committed on minority communities and as a result thereof, feeling of insecurity is increasing and they are continuously migrating to India.

(c) This is certainly against the Nehru-Liyaqut agreement of 1950 and attention of the Pakistan Government has been drawn to it.

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know whether the Govt. of India, through their High Commissioner, have tried to find out the number of that part of minorities out of the Hindus left thereafter partition and who are known as Harijans who have been forced (proseletysed) to convert their religion and whether any such information has been given by our High Commissioner and if so, the figures thereof ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि समय समय पर हमें सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारे हाई कमिश्नर ने आंकड़े एकत्र करने का प्रयत्न किया है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मुझे ज्ञात नहीं है कि हाई कमिश्नर ने आंकड़े एकत्र किये हैं या नहीं परन्तु हमें यह सूचना मिली थी कि सितम्बर 1964 में सारा भील गांव जिसकी जनसंख्या 600 थी का धर्म परिवर्तन किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : वह सारी अवधि के बारे में पूछ रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know that, in the communal riots sometime past, apart from the Hindus who were killed, a large number of the minority community there were forced to change their religion, any report of this has been sent by our High Commissioner and if so, have the Government known the figures ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जैसा मैंने कहा है मेरे पास आंकड़े नहीं हैं.....

अध्यक्ष महोदय : अब वह पूरे समय के लिये नहीं पूछ रहे। वह एक विशेष घटना के बारे में पूछ रहे हैं जो पूर्वी पाकिस्तान में घटी कि क्या मारकाट के अतिरिक्त कोई धर्म परिवर्तन भी किया गया।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : समय समय पर हमें अवयस्कों, स्त्रियों तथा विवाहित स्त्रियों आदि के अपहरण और बलात् धर्म परिवर्तन के समाचार मिलते रहे हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : प्रश्न तो यह था कि मारकाट के पश्चात् भी धर्म परिवर्तन हुये।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमारे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं का बलात् धर्म परिवर्तन पिछले मारकाट के बाद तीव्र कर दिया गया है और यदि हां तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि जब पाकिस्तान में हिन्दुओं के सहायतार्थ सभी उपाय विफल हो चुके हैं तो सरकार किन कारणों से इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संस्था जैसी अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों के ध्यान में लाने की वांछनीयता पर विचार नहीं करती।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह मामले सरकार-से-सरकार के स्तर पर पाकिस्तान से बातचीत द्वारा निपटाये जाते हैं। हमने अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में ले जाने का निर्णय नहीं लिया।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह था कि क्योंकि राजनैतिक और राजनयक तरीके.....

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न को दोहराता हूं : क्योंकि दूसरे उपायों का कोई फल नहीं निकला इसलिये हमारी सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकार के समय क्यों इस मामले पर बातचीत नहीं की ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : बलात् धर्म परिवर्तन की हमें कोई सूचना नहीं मिली.....

श्री हेम बरुआ : व्यवस्था का एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : वाक्य तो पूरा होने दीजिये। शायद वह इसे गुणात्मक बनाये।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जब भी हम ने पाकिस्तान सरकार से इसका विरोध किया उन्होंने यही कहा कि यह धर्म परिवर्तन बलात न होकर उनकी अपनी इच्छानुसार था और हमारे पास पड़ताल का कोई साधन नहीं है।

श्री हेम बरुआ : एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है और माना है कि 600 लोगों का बलात् धर्म परिवर्तन किया गया है पर अब वह कह रही हैं कि उन्होंने अपनी इच्छानुसार इस्लाम को अपनाया है और यही सूचना हमारी सरकार.....

अध्यक्ष महोदय : वह कहती हैं कि हमारे विरोध के उत्तर में पाकिस्तान का दृष्टिकोण यह है कि हमारे विरोध का वह यही उत्तर देते हैं। वह बलात् धर्म परिवर्तन से कब इन्कार कर रही हैं।

श्री हेम बरुआ : हम तो यह जानना चाहते हैं कि समय समय पर पाकिस्तान द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण सरकार ने भी स्वीकार किये हैं कि हिन्दुओं ने पाकिस्तान में अपनी इच्छा से इस्लाम अपनाया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सरकार ने उनके स्पष्टीकरण को बिलकुल नहीं माना है इसीलिये हम इन बातों पर जब भी हमें इनका पता लगता है विरोध करते रहते हैं। पर पाकिस्तान द्वारा दी गयी व्याख्या यही होती है कि धर्म परिवर्तन बलात् न होकर उनकी अपनी इच्छा से होता है।

श्री हेम बरुआ : यह धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा से कैसे हो सकता है।

श्री हिम्मतसिंहजी : जहां भी बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन हुये हैं क्या हमारी सरकार या हमारे हाई कमिश्नर ने वहां जाकर घटनाओं की जांच करने का प्रयत्न किया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सदस्य महोदय यह भली प्रकार जानते हैं कि पाकिस्तान सरकार की आज्ञा के बिना किसी भी ऐसे स्थान पर जाना असम्भव है और यह आज्ञा मिलनी बहुत कठिन है। फिर भी हम प्रयत्न करते हैं.....

Shri Prakash Vir Shastri : Why the permission has been given to Pakistani High Commissioner ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हम उनको भी आज्ञा नहीं देते। और जब भी प्रयत्न किया गया हमें असफलता ही मिली।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : हमें लगता है कि धर्म परिवर्तन बलात् होते हैं और हर बार जब हम पाकिस्तान सरकार को विरोध करते हैं वह यही कहते हैं कि यह परिवर्तन स्वेच्छा से हुये। क्योंकि सरकारी स्तर पर बातचीत विफल रही है क्या सरकार ने कोई दूसरा तरीका सोचा है जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध से बाहर हो ? गत 15 वर्षों से हम सरकारों के स्तरपर ही इसे हल करते रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय यह जानना चाहते हैं कि क्या हम ने निश्चय कर के कोई और पग उठाने का सोचा है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : अब तक हम ने ऐसा नहीं किया।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Our Government have given full freedom to Pakistan High Commissioner to tour India and report the situation of minorities here, then our Indian High Commissioner cannot go about freely in Pakistan as here and whether any restrictions have been imposed on him by Pakistan Government ? If so, what the Government contemplate to do to enable him to submit a report in the light manner and send a full report of the incidents happening there ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने पहले ही कहा है कि हम भी उन्हें यह अनुमति नहीं देते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : ऐसा उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा।

श्री रघुनाथ सिंह : यह परस्पर आधार पर होना चाहिये। हम ही उन्हें ऐसा क्यों करने दें ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि हम ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को क्यों यह आज्ञा दे रखी है कि वह खुले तौर पर घूमे और जहां चाहे जाये जब कि हमारे हाई कमिश्नर को असली तथ्य जानने की यह छूट नहीं है। अब तो प्रश्न का अनुवाद भी कर दिया गया है। मंत्री महोदया इस से क्यों लाभ नहीं उठातीं ?

श्री दी० चं० शर्मा : वह डरती हैं।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : डरने का क्या प्रश्न है। सरकार ने हाई कमिशन को आज्ञा दी है और सदस्य महोदय का यह कहना कि हम ने घटनास्थानों पर जाने की खुली आज्ञा दे रखी है पूरी तरह ठीक नहीं है।

श्री हेम बरुआ : यह आज्ञा कलकत्ता में दी गयी थी .....

कुछ सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति। शान्ति। क्या 10 माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे ? मेरी प्रार्थना है कि यहां कुछ तो शिष्टाचार होना चाहिये और इस स्वयं सदस्यों ने ही बनाये रखना है। बाहर से कोई इसे लागू करने नहीं आयेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : आप मंत्री महोदय को इसकी व्याख्या करने को कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैं जितनी भी जानकारी मिल सकती है लेने को तैयार हूं परन्तु हमें व्यवस्था बनाये रखनी है और इस प्रकार व्यवहार नहीं करना है।

श्री हरि विष्णु कामत : पिछला उत्तर स्पष्ट किया जाना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, my answer has not been properly given.

Mr. Speaker : The hon. member may take his seat. Shri Chaturvedi.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से लगता है कि सरकारों से स्तर पर विरोध करने के फलस्वरूप हमें कुछ लाभ नही हुआ। फिर भी हम पाकिस्तान और हमारे विदेश मंत्रीयों और गृह मंत्रियों की बातचीत और वार्ताओं के लिये क्यों इतने चिन्तित हैं जब कि वर्तमान संधियों और करारों की हर दिन अवज्ञा की जाती हो ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : केवल यही मामला नहीं है और मामले भी हैं। कुछ समय पूर्व जब पाकिस्तान के गृहमंत्री यहां आये थे तो उनके साथ कुछ मामलों के बारे में बातचीत की गई और यह निश्चय किया गया कि उनके बारे में आगे कार्यवाही की जाये। अत: अगली बैठक में उन प्रश्नों पर बातचीत की जावेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा विदित होता है कि केवल पश्चिमी-पाकिस्तान में ही नहीं अपितु पुर्वी-पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन किया गया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि राजनयिक तथा अन्य प्रकार के विरोध किये जाने पर भी सफलता नहीं मिली है। सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 'मानव' अधिकार आयोग अथवा अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग क्यों नहीं किया ? इस सम्बन्ध में कौन सी अड़चन आई है ? क्या सरकार ने इन संस्थाओं से बातचीत की है ?

श्री दी० चं० शर्मा : सरकार को इस विषय में सोचने का अवकाश नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैंने पहिले ही बता दिया है कि इन विरोध पत्रों के परिणामस्वरूप हमें एक स्पष्टीकरण मिला है जिससे हमें सन्तोष नहीं हुआ है किन्तु यह सम्भव है कि विश्व के अन्य देश इस

स्पष्टीकरण को सन्तोषजनक समझें कि.....

श्री स० मो० बनर्जी : क्या आप सन्तुष्ट हैं.....

श्री रघुनाथ सिंह : विश्व के अन्य देशों का इससे सम्बन्ध नहीं है। यह मामला हमारा है और भारत का ही इससे सम्बन्ध है।

श्री हेम बरुआ : एक औचित्य प्रश्न है.....

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, the replies given by the hon. Minister lack full information that is why Members are not satisfied with them.

Mr. Speaker : The hon. Members may resume their seats so that we may proceed further.

श्री हेम बरुआ : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से संरक्षण चाहता हूं। वह अपने स्थान पर बैठ जायें। मैं उन्हें पुकारूंगा। पहिले उत्तर समाप्त होने दीजिये।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : क्या मैं यह बता सकती हूं कि धर्म-परिवर्तन पाकिस्तान में होता है और यह केवल पाकिस्तानी नागरिकों का ही होता है ?

श्री हेम बरुआ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने समय समय पर निर्णय दिये हैं कि जब सदस्य लोग अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं तो सरकार को स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। किन्तु यहां पर प्रश्न के बारे में सही सूचना अथवा जानकारी नहीं दी जा रही है, मंत्री महोदया ने कहा.....

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात से सहमत हूं, इसे बार-बार दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने अभी कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से हमें सन्तोष नहीं हुआ है किन्तु संसार के लिए यह सन्तोषजनक है ; तो क्या वह विश्व तथा पाकिस्तान की ओर से हमारे विरुद्ध प्रचार नहीं कर रहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह विश्वास करते हैं कि इस बात के बार-बार दुहराये जाने से देश को लाभ हुआ है ?

श्री हेम बरुआ : जी हां, क्योंकि मंत्री महोदया इससे भविष्य में सतर्क रहेंगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दिये गये उत्तर के लिए खेद है। दोनों को ही सतर्क रहने की आवश्यकता है।

श्री दी० चं० शर्मा : हमारे पास इसका उपचार ही क्या है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदया ने एक हानिकारक वक्तव्य दिया है। इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : आपकी लताड़ के बाद मंत्री महोदया को सारे मामले का स्पष्टीकरण करना चाहिये। आपकी चेतावनी कठोर थी।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैंने कहा कि इस स्पष्टीकरण से हमें सन्तोष नहीं हुआ है, दुनिया के लिये यह सन्तोषजनक हो सकता है .....

श्री हरि विष्णु कामत : आपको कैसे पता है ? वह स्थिति को और भी गम्भीर बना रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या वह विश्व की मंत्री हैं अथवा भारत की ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मेरे विचार में मंत्री महोदया का आशय यह नहीं था कि यदि इस मामले को किसी वाह्य संगठन अथवा संस्था को सोंप दिया जाये तो हमारी बदनामी होगी, वास्तविक तथ्य यह है कि इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना सरल नहीं है और मेरे विचार से यदि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ले जाया जाये तो भी कुछ लाभ नहीं होगा। तथापि यह एक ऐसा मामला है जो सदा ध्यान में रखना पड़ेगा और इस सम्बन्ध में हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ेगी तथा यथासम्भव इसे रोकने का प्रयत्न करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री बृजराज सिंह।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्णय का समुचित आदर करते हुये यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदया का अपने वक्तव्य में बार-बार यह कहना कि पाकिस्तान द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण भारत के लिये नहीं किन्तु संसार के लिए सन्तोषजनक है, एक अनुचित बात है। राज्य मंत्री महोदया सरकार की ओर से बोलती हैं---जैसा कि आपने कई अवसरों पर कहा है---वे संसार का भ्रमण करते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया मालूम करते हैं और वे भारत की ओर उदासीन रहकर वाह्य संसार को महत्व देते हैं, अतः वे भारत सरकार के मंत्री न होकर अन्य देशों के मंत्री हैं, ऐसी अवस्था में उन्हें भारतवर्ष छोड़कर चला जाना चाहिये (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदया के दिमाग में क्या बात थी यह तो मुझे मालूम नहीं किन्तु यह दुखकी बात है कि उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। इससे ऐसा विदित होता है कि इस मामले में हमारी ओर से कमजोरी है अतः इस सम्बन्ध में औरों को यह स्पष्टीकरण सन्तोषजनक लग सकता है। चूंकि मेरा यह विषय नहीं है और इस पर आलोचना करना भी मुझे उचित नहीं लगता है तथापि मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि इस प्रकार के वक्तव्य दिये जाने से पहिले उन पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। चूंकि प्रधान मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि इस मामले को बाहर ले जाना सरकार को उचित नहीं लगा है क्योंकि वहां पर अन्य सरकारों का विभिन्न दृष्टिकोण होता है जो कि मामले के गुणावगुणों को ही केवल ध्यान में रखकर निर्णय नहीं लेते हैं। सम्भवतः मंत्री महोदया का उत्तर का मुख्य आशय भी वही था तथापि शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने उनका बचाव किया है।

श्री दी० चं० शर्मा : हमें अत्याचारों की भी शिकायत मिलती है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सावित्री निगम।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : चूंकि मेरी बात का गलत अर्थ लगाया गया है अतः मैं आपको तथा इस सदन को इस बारे में स्पष्टीकरण दूंगी.....

श्री कपूर सिंह : हम अब उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहते।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : उस भाग को वृतान्त कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री कपूर सिंह : वह मामले को और भी गम्भीर रूप देगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्रीमती सावित्री निगम को पुकारा है।

वस्तुओं के रूप में मजूरी का आंशिक भूगतान

*491. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री० स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री ओझा :
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1964 में हुए त्रिपक्षीय भारतीय श्रमिक सम्मेलन के इस निर्णय को लागू करने में क्या प्रगति हुई है कि श्रमिकों को उनकी मंजूरी का आंशिक भूगतान नियंत्रित भावों पर अत्यावश्यक वस्तुओं के रूप में करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए ;

(ख) क्या संबंधित मंत्रालयों ने इस निर्णय की क्रियान्विति तथा इसके वित्तीय पहलू के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया है ;

(ग) योजनाओं के तैयार करने में होने वाले इस विलम्ब पर कार्मिक संघों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) औद्योगिक सम्बन्धों में तनाव दूर करने के लिए इस संदर्भ में निर्वाह व्यय के आधार पर महंगाई भत्ता देने के प्रश्न पर कहां तक विचार किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जसा कि भारतीय श्रम सम्मेलन ने सिफारिश की थी, 'वस्तुओं के रूप में मजूरी की अदायगी सम्बन्धी योजना' और 'उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए विधान के बारे में प्रस्ताव' दोनों के व्यौरे तैयार करने के लिए औद्योगिक शांति संकल्प सम्बन्धी स्थायी समिति की बैठक 13 नवम्बर, 1964 को नई दिल्ली में हुई। समिति ने वस्तु के रूप में मंजूरी की अदायगी की योजना को व्यवहार्य नहीं समझा और उसने सिफारिश की कि उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए मालिकों को मजबूर करने के लिए सरकार को शीघ्र ही विधान बनाना चाहिए और इन दुकानोंको बंगलौर में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई कीमतों पर छः वस्तुएं सप्लाई करनी चाहिए अर्थात चावल, गेहूं और चीनी सामान्य उचित मूल्य की दुकानों में प्रचलित भावों और मानों पर तथा कपड़े की दो किस्में, दालें और खाना पकाने के तेल आदि चिकने पदार्थ निकटतम थोक मंडी के थोक भावों पर। इस प्रकार वस्तु के रूप में मंजूरी की अदायगी सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें उचित मूल्य की दुकान सम्बन्धी विधान में शामिल कर ली जायेंगे। स्थायी समिति ने पहले के निर्णय को दोहराते हुए कहा कि उचित मूल्य की दुकानों को यथाशीघ्र सहकारी भंडारों के रूप में बदल देना चाहिए। तदनुसार शीघ्र ही इस सम्बन्ध में एक विधेयक पेश करने का विचार है।

(ख) कुछ मंत्रालयों ने कुछ सुझाव दिए हैं जो विचाराधीन हैं।

(ग) मजदूर संघों को विदित है कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में विधान बनाया जायगा।

(घ) प्रवृत्ति निर्वाह सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता देने की है और अनेक उद्योगों में इसका ज्यादा से ज्यादा अनुसरण किया जा रहा है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या श्रमिकों तथा मजदूरों को अत्यावश्यक खाद्य वस्तुऐं उधार दी जावेंगी अथवा उनके लिये उन्हें नगद भुगतान करना पड़ेगा ?

श्री संजीवय्या : उन्हें सामान उधार दिया जायेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह योजना गैर सरकारी उद्योगों में प्रारम्भ की जावेगी अथवा सरकारी उद्योगों.....

श्री संजीवय्या : दोनों में ।

श्रीमती सावित्री निगम : और यदि हां, तो इस में कितना समय लगेगा ?

Shri Bibhuti Mishra : May I know the quantity of foodgrains such as rice, flour and sugar that would be made available to a family for a week after the fair price shops are opened ?

The Deputy Minister in the Ministry or Labour and Employment (Shri R. K. Malaviya) : The quantity of foodgrains to be given to the members of a family will be decided by the State Governments which will also arrange for supply of foodgrains.

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister has said that the Committee has made certain recommendations. May I know as to what these recommendations are and the time by which they would be implemented ?

Shri R. K. Malaviya : The Committee arrived at detailed conclusions.

Mr. Speaker : They have been laid on the Table of the House. [**Placed in Library, see No. LT3612/64**]

श्री प्र० चं० बरुआ : यह सुनिश्चित करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रहा है कि दुर्लभ वस्तुओं जैसे कि अनाज, की नियमित रूप से सप्लाई होती रहे और उन्हें क्या दण्ड देने का विचार किया गया है जो दुर्लभ अनाजों की कमी अथवा उनके उपलब्ध न होने के कारण मजदूरों को उनकी मजूरी की भुगतान नहीं कर सकते हैं ?

श्री संजीवय्या : उचित मूल्य-वाली दुकानों तथा स्टोरों में पर्याप्त मात्रा में सामान भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही व्यवस्था करेंगे । जहां तक दण्ड देने की व्यवस्था का सम्बन्ध है हम उस पर अवश्य विचार करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के दिमाग में छिपा हुआ भय है कि इस योजना के क्रियान्वित होने पर उनके महंगाई भत्ते में कमी कर दी जायेगी, यदि हां, तो यह कहां तक सही है ? क्या मजदूर-संस्थाओं का कोई आश्वासन दिया गया है कि ऐसा नहीं किया जावेगा ?

श्री संजीवय्या : महंगाई भत्ता बढ़ाया जावेगा अथवा घटाया जावेगा, इस सम्बन्ध में यहां पर कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह निर्वाह-व्यय सूचनाक पर आधारित होता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप मेरे प्रश्न का आशय नहीं समझे हैं । योजना के अन्तर्गत सप्लाई....

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई भी चीज की सप्लाई नहीं कर रहा हूं । माननीय सदस्य, अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें ।

श्री स० मो० बनर्जी : जी, मुझे खेद है ।

अध्यक्ष महोदय : इसी बात का ध्यान रखने के लिए तो मैं सदस्यों से कह रहा हूं। अब तीन वर्षों के बाद भी मुझे प्रत्येक सदस्य को यह बताना पड़ रहा है कि उन्हें अध्यक्ष को सम्बोधन करना चाहिए, न कि सीधा दूसरों को।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न यह था कि उपभोक्ता सहकारी समिति योजना के चालू किए जाने पर श्रमिकों के मन में यह आशंका तथा भय है कि उनको अपने महंगाई भत्ते का कुछ भाग खोना पडेगा, क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत उनको कुछ वस्तुएं दी जायंगी। इसलिए, क्या मंत्रालय ने श्रमिकों के संगठन को आश्वासन दिया है कि इस योजना के चालू होने से उनके मंहगाई भत्ते में कोई कटौती नहीं की जाएगी ?

श्री संजीवय्या : इस योजना के कारण महंगाई भत्ते में कोई कटौती नहीं की जाएगी। परन्तु उपभोक्ता मूल्यों के देशनांक बनाने के मामले में उचित मूल्य की दूकानों द्वारा चीजों की ली गई कीमतें सम्मिलित की जाएंगी और इसलिए हो सकता है कि निर्वाह व्यय के देशनांक कम हो जाएं जिनके फलस्वरूप महंगाई भत्ता घट जाए।

श्री द्वारकानाथ तिवारी : माननीय मंत्री ने बताया कि श्रमिकों को दिए जाने वाले राशन की मात्रा को निर्धारित करने का काम राज्य सरकारों का होगा। परन्तु हमारे अनुभव से तो रेलवे तथा ऐसे अन्य अत्यावश्यक उपक्रमों में केन्द्रीय सरकार ही राशन की मात्रा के संबंध में प्रबन्ध करती है। अतएव क्या मैं यह जान सकता हूं कि केन्द्रीय तथा राज्य उपक्रमों में दिए जाने वाले राशन की मात्रा के सम्बन्ध में क्या तरीका होगा ?

श्री संजीवय्या : जहां तक केन्द्रीय उपक्रमों का संबंध है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि केन्द्रीय सरकार ही सप्लाई करे, परन्तु पूरा प्रश्न विचाराधीन है।

Shri Bhagwat Jha Azad : Are Government in a position to state that in view of the present constant increase in prices and non-availability of essential Commodities, when the scheme for providing these five essential commodities will be implemented?

Shri R. K. Malaviya : In order to implement the scheme we are making legislation and the scheme will be implemented after it is enacted.

Shri Bhagwat Jha Azad : It means that at present this scheme is merely at thinking stage.

श्री शिवचरण माथुर : लगभग एक वर्ष पहले राजस्थान सरकार ने मंहगाई भत्ते को निर्वाह-व्यय देशनांक के साथ जोड़ने की संभावना के प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रो० एम० वी० माथूर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति के प्रतिवेदन का क्या हुआ ?

श्री संजीवय्या : इस समय बताने में मैं असमर्थ हूं।

श्री नम्बियार : इस तत्थ्य को दृष्टि में रखते हुए कि चावल जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के मामले में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सम्मिलित करने को सरकार तैयार न थी, क्या सरकार अब इस बात का ध्यान रखेगी कि उन लोगों को भी विचाराधीन प्रस्तावित योजना में सम्मिलित कर लिया जाए ?

श्री संजीवय्या : जी हां। इस संबंध में कानून के लागू हो जाने से पहले इन सब बातों पर विचार कर लिया जाएगा।

Shri Yash Pal Singh : We have been listening this thing for over a year. If Government introduce this scheme in the Capital, the States will also follow it. May I know the time by which Government contemplates to implement this scheme in Delhi ?

Shri R. K. Malaviya : The proposed legislation will be introduced in factories employing three hundred or more workers. There are about 60 per cent such establishments where fair-price shops or consumer co-operative stores have started functioning. The difficulties faced in the remaining factories have created the need for this legislation. Some of these fair-price shops have been started in Delhi also. After this legislation the factories which have not so far opened such stores, will also do it.

Shri Rameshwaranand : May I know whether these facilities will be extended only to the workers of Central and State Governments or non-Government workers and farmers who have also been facing the shortage of foodgrains etc. will also be benefited by these facilities ?

Shri R. K. Malaviya : As far as the distribution of cheap grain is concerned, this will be for all. This legislation will apply to those factories which employ three hundred of more workers.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker.....

Mr. Speaker : The hon. Member has stated that it will be applicable to all.

Shri Rameshwaranand : He is saying about three hundred men.

Shri R. K. Malaviya : The scheme about fair-price shops will be applicable to all.

श्री रा० ग० दुबे : यदि यह योजना सफल होती तो जो अनाज खुले आम बाजार में उपलब्ध नहीं है उनको सप्लाई करने का प्रश्न उठता है। अतएव, क्या सरकार विभिन्न कारखानों में जहां पर यह योजना चालू की जानी है, अनाजों को सप्लाई करने का प्रबन्ध करेगी।

श्री संजीवय्या : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन सब बातों पर विचार किया जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Pak High Commission in India

*490. **Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistan High Commission in India has become the Centre of anti-Indian propaganda these days ;

(b) whether it is also a fact that on the 22nd September, 1964 the first Secretary of the Pakistan High Commission delivered an anti-Indian speech in the Jama Masjid area at the time of 'Namaz' in which he tried to excite the communal feelings; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) The Pakistan High Commission has been circulating propaganda material for quite sometime.

(b) No such information has come to Government's notice.

(c) In a note sert to all Foreign Missions in India, on 10th November, 1964, Government have invited their cooperation in ensuring that no publicity or propaganda hostile to or unfriendly towards India is disseminated through any of the agencies of the Missions.

"रीजनल पासपोर्ट आफिसर" का "मिनियेचर सेक्रेटेरियट"

*492. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 अक्तूबर, 1964 को जालन्धर पुलिस ने 'रीजनल पासपोर्ट आफिसर', नई दिल्ली के एक "मिनियेचर सेक्रेटेरियेट" (छोटे सचिवालय) का पता लगाया था ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति पकड़े गये थे तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) पुलिस ने किस प्रकार के कागज़ात तथा वस्तुएं पकड़ी हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) ज़ाहिर है कि माननीय सदस्य उस घटना का हवाला दे रहेहैं जिसमें कि पुलिस ने जालंधर में एक मोटर कार से एक अटैची केस पकड़ा था ; यह मोटर कार ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा संदेह होने पर रोकी गई थी ।

(ख) तीन ; अमृत लाल, कृष्ण कुमार, और जसवंत सिंह ।

(ग) अटैची केस में जो चीज़े पकड़ी गई, उनमें प्रामाणिक और झुठे पासपोर्ट, कुछ लोगों के फोटो चित्र है और अन्य सामग्री थी, जैसे--नम्बर लगानेवाली मशीनें, रबड़ की मोहरें, आदि--जो पासपोर्ट तैयार करने के काम आती हैं ।

मंत्रालयों के बीच विषयों का वितरण

*493. **श्री जं० व० सिं० बिष्ट :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मन्त्रालयों के बीच सुव्यवस्थित आधार पर विषयों का वितरण करने के बारे में मन्त्रीमण्डल सचिव का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है, और

(ख) यदि हां, तो सचिव ने क्या विशिष्ट प्रस्ताव दिये हैं तथा उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) मंत्रिमण्डल सचिव को विभिन्न मंत्रालयों के बीच सुव्यवस्थित आधार पर विषयों का वितरण करने के बारे में प्रतिवे दन प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुलमर्ग में वेधशाला

*494. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर में गुलमर्ग स्थित वेधशाला को पूर्णतया सुसज्जित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस **कास्मिक किरण वेधशाला** को एक अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र बनाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य की पूर्ति कब तक हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या इस कार्य में अन्य विदेशी सरकारें भी अपना सहयोग देंगी ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) गुलमर्ग स्थित **परमाणु ऊर्जा विभाग** की **हाई आलटेटयूड कास्मिक रे प्रयोगशाला** में अब ऐसी मूल सुविधाऐं सुलभ हैं जिनसे कास्मिक किरण तथा वातावरण और ऊंचाई सम्बन्धी अनुसंधान कार्य किये जा सकते हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रियों का विदेशों का दौरा

*495. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या विदेशों का दौरा करने वाले केन्द्रीय मंत्रियों के लिये कोई आचरण संहिता है और क्या उनको इस बात का अधिकार है कि वे उन समस्याओं पर चर्चा करने के लिये, जिनका उनके मंत्रालयों से कोई संबंध नहीं है, अन्य देशों के सरकारी प्रतिनिधियों से मिल सकते हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : विदेश जानेवाले केन्द्रीय मंत्रियों के लिए किसी प्रकार की आचार-संहिता बनाने का कोई प्रश्न नहीं है। वे भारत सरकार के प्रतिनिधि होकर जाते हैं और विदेशी सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने पर उनके लिए ऐसी कोई रोक नहीं है कि वे अपने मंत्रालयों से असंबद्ध विषयों पर विचार-विमर्श न कर सकें।

खनिकों के लिए जूतें

*496. **श्री पोट्टकाट्टु :**
श्री किशन पटनायक :
श्री हेम बरुआ :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री मोहन स्वरूप :
डा० रानेन सेन :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी .
श्री राम सेवक यादव :
श्री सोलंकी :
श्री नम्बियार :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री अल्वारेस :
श्री कोल्ला वैंकैया :
डा० उ० मिश्र :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयलाखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए कुछ लाख जोड़ी जूते देने के लिए मेसर्स रूबी इंडस्ट्रीज़, कानपुर को कोई ठेका दिया गया था और यदि हां, तो क्या इसके लिए टेंडर आमंत्रित किये गये थे ;

(ख) क्या फर्म द्वारा घटिया किस्म के जूते दिये जाने के बारे में तथा इतने बड़े आर्डरों को पूरा करने की उसकी क्षमता के बारे में अनेक व्यक्तियों से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई थीं ;

(ग) क्या मालिकों और मज़दूरों पर ज़ोर डालकर फर्म को आर्डर दिलाने में सरकारी शासनतंत्र को प्रयोग में लाया गया था ;

(घ) क्या फर्म की प्रार्थना पर मूल ठेके में स्वीकृत जिन मूल्यों पर जूतों का दिया जाना निश्चित हुआ था उनको भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ा दिया गया था और अन्य फर्मों से जूतों के मूल्य आमंत्रित नहीं किये गये थे ; और

(ड.) इस सौदे में भारी रकम लगी होने के कारण तथा गरीब मज़दूरों को हुई भारी हानि को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई जांच कराने का है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) टैंडर आमंत्रित करने के बाद मैसर्स रूबी इंडस्ट्रीज़, कानपुर के साथ $2\frac{1}{2}$ लाख जोड़ी जूते सप्लाई करने के लिए एक समझौता हुआ था ।

(ख) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । जहां तक सप्लाई किए गए जूतों की किस्म का सवाल है, इन्सपेक्टोरेट आफ टैक्सटाइल्स एन्ड क्लोदिंग, कानपुर (प्रतिरक्षा मंत्रालय) ने, जिन्होंने शिकायत किए गए जूतों के नमूनों का निरीक्षण किया है, रिपोर्ट दी है कि जूतों की बनावट और सामग्री विशिष्ट निर्देशों के अनुसार पाई गई है । जहां तक इस फर्म की क्षमता का प्रश्न है, 31 अक्तूबर, 1964 तक 1,84,719 जोड़ों के लिए दिए गए इंडैंट में से फर्म ने अब तक 1,64,614 जोड़े सप्लाई कर दिए हैं ।

(ग) ये जूते श्रम न्यायाधिकरण के पंचाट के अंतर्गत देने आवश्यक हैं । उचित कीमत पर अपेक्षित किस्म के जूते प्राप्त करने की जिम्मेदारी **संयुक्त क्रय सलाहकार** समिति की है जो कि त्रिपक्षीय निकाय है । सरकारी एजेंसियों ने मालिकों को श्रमिकों के जूतों के आर्डर देने के लिए प्रेरित करने और सप्लायर को उनकी शीघ्र सप्लाई करने के लिए सहायता की ।

(घ) विवाचक के पास पक्षों द्वारा दी गई समझौता याचिका के अनुसार दिए गए विवाचन पंचाट, दिनांक 24 अगस्त, 1962 के अनुसार जूतों की कीमतें बढ़ा दी गई थीं । ये बढ़ी हुई दरें केवल उन जूतों के बारे में थीं जो कि 1 सितम्बर, 1962 के बाद सप्लाई किए गए थे ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन

*497. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 नवम्बर, 1964 को पाकिस्तानी सैनिकों ने काश्मीर के टिथवाल और गुरेज़ क्षेत्रों में 6 बार युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी विवरण क्या है ;

(ग) हमारी कुल कितनी क्षति हुई ; और

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) 26 नवम्बर, 1964 को पाकिस्तानी सैनिकों ने टिथवाल क्षेत्र में 4 बार युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया और कुपवाड़ा क्षेत्र में दो बार (कुपवाड़ा टिथवाल और गुरैज़ के मध्य में है)। तदपि गुरज़ क्षेत्र में उस दिन कोई घटना नहीं हुई।

(ख) इन उल्लंघनों के विस्तारों के संबंध में एक विवरण पुस्तकालय में रख दिया गया है। (**देखिए संख्या एल० टी०** 3613/64)।

(ग) अपनी ओर की कोई जन-हानि नहीं हुई।

(घ) एक मामले में युद्ध विराम रेखा उल्लंघन संबंधी शिकायत कर दी गई है; और शेष 5 मामलों की ओर संयुक्त राज्यों के प्रेक्षकों का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है।

Naga Hostiles

*498. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Rameshwaranand :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Yamuna Prasad Mandal :
Shri Bal Krishna Singh :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a group of 250 Naga hostiles has been posted at a cantonment located at 15 miles south-east of Mococchung in Nagaland ;

(b) whether it is also a fact that other three groups of similar kind are also active in other areas ;

(c) whether it is also a fact that their four groups consisting of about 1000 rebels are trying to go to East Pakistan *via* Burma through dense forests ;

(d) whether the aforesaid information was obtained from a Naga rebel arrested on the border ; and

(e) if so, the action taken by Government to curb the anti-national activities of Nagas and to see that they might not get time for preparations under the pre-text of peace talks ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): (a) & (b) Hostile groups of Nagas are known to be in various camps in Nagaland. It is not considered appropriate in the interest of security to disclose any details of our information on their locations.

(c) About 1300 hostile Nagas have crossed over into Burma on their way to Pakistan. Reports of others going across are not so far confirmed.

(d) No Sir.

(e) The cases of violation of the agreement on the suspension of operations in Nagaland have been brought to the notice of the Underground leaders through the Peace Mission. To enable the Security Forces to take action against hostile Naga groups on our border, the Governor of Nagaland has declared a three-mile

belt, along the international border, in certain areas to be a disturbed area. The Chief Commissioner, Manipur, has also taken appropriate action in regard to the Manipur border with Burma.

रेडियो संचार रिले सेंटर

*499. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 21 सितम्बर 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 318 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा ब्रिटेन की सरकारों द्वारा हिन्द महासागर क्षेत्र में संयुक्त रेडियो संचार रिले सेंटर स्थापित करने के बारे में और कोई जानकारी मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आयुध कारखाना, वरनगांव

*500. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री ओंकार लाल बरवा :
श्री गुलशन :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री रामसेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सहायता से वरनगांव (महाराष्ट्र) में एक आयुध तथा गोला बारूद कारखाना चालू किया गया है ;

(ख) भारत में शस्त्रास्त्रों के अधुनिकीकरण तथा स्तरीकरण की दिशा में यह कारखाना किस सीमा तक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा ; और

(ग) **क्या सरकार का विचार शीघ्र ही एक और कारखाना** चालू करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) इस कारखाना द्वारा 7.62 एम० एम० के लिए सेवाओं की बढ़ी आवश्यकताओं के पूरा होने की आशा है ।

(ग) जी नहीं ।

अवाड़ी में मध्यम आकार के टैंकों के परीक्षण

*501. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामसेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवाड़ी टैंक फैक्टरी में निर्मित मध्यम आकार के टैंकों के प्रदर्शन परीक्षण किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा क्या उनका काम बिल्कुल ठीक पाया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) आवाड़ी टैंक कारखाने में निर्मित किए जाने वाले नए मीडियम टैंक का 25 अक्तूबर 1964 को अहमदनगर में प्रदर्शन किया गया था। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया टैंक, सर्वश्री विकर्ज़ आर्मस्ट्रांग (इंजीनियर्ज़) लिमिटिड, यू० के० द्वारा निर्मित आदि-रूप टैंक था, जो टैंक के अभिकल्यन और निर्माण के लिए सहयोग देने वाले हैं। आवाड़ी टैंक कारखाने में तैयार होने वाला टैंक इस आदिरूप के अन्तिम ब्यौरों के अनुरूप होगा।

(ख) परीक्षणों के फलस्वरूप, इस टैंक का निष्पादन बहुत हद तक, उन अभिकल्यन ब्योरों के अनुरूप पाया गया है, जो सर्वश्री विकर्ज़ आर्मस्ट्रांग (इंजीनियर्ज़) लिमिटिड, यू० के० तथा भारत सरकार के दर्मियान तय हुए, ठेके में शामिल थे। सहयोग देने वाले उन आवश्यक परिवर्तनों को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो हमने परीक्षणों के दौरान उन्हें सूचित किए हैं।

विमान दुर्घटना

*502. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** 14 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 170 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए मंत्रि-मंडल सचिव की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने इस बीच प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष तथा उपपत्तियां क्या है ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) समिति की सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण पुस्तकालय में रख दिया गया है। (**देखिए संख्या एल० टी०** 3614/64)।

(ग) संक्रियात्मक ब्योरे को छोड़ कर समिति की रिपोर्ट पुस्तकालय में रख दी गई है (**देखिए संख्या** 3615/64)।

पटसन श्रमिकों के बारे में बोनस प्रतिवेदन

*503. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन श्रमिकों को हाल में बनाये गये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर बोनस मिल रहा है ;

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ तथा अखिल भारतीय कार्मिक संघ के पश्चिम बंगाल के राज्य एककों ने अब लाभ के अंश के रूप में बोनस की मांग की है जैसा कि बोनस आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है ;

(ग) मजूरी बोर्ड की सिफारिशें बोनस आयोग के प्रतिवेदन से कहां तक निष्प्रभावी होती है ; और

(घ) क्या पटसन सम्बन्धी औद्योगिक समिति ने इस मामले में कोई निदेश दिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) और (घ) इस मामले में पक्षों द्वारा भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं और इस पर 19 दिसम्बर, 1964 को जूट सम्बन्धी औद्योगिक समिति द्वारा विचार किया जायगा ।

दिल्ली के लिए टेलीविज़न कार्यक्रम

*504. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री यु० द० सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये दैनिक नियमित टेलीविज़न कार्यक्रम की व्यवस्था करने का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) इसका कब उदघाटन होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ग) आजकल जो सीमित टेलीविज़न प्रोग्राम दिल्ली से प्रसारित किय जाते हैं, 26 जनवरी, 1965 से उनके विस्तार के इन्तज़ाम हाथ में ले लिये गये हैं । उद्देश्य यह है कि तजर्बे से यह मालूम किया जाये कि कौनसे प्रोग्राम शिक्षात्मक होने के साथ साथ लोकप्रिय भी होंगे और इन के आधार पर ही आइन्दा प्रोग्रामों के लिये सामग्री तैयार की जायेगी । सामाजिक और शिक्षात्मक प्रोग्राम जो आजकल सिर्फ दो बार प्रसारित होते हैं इनको हर शाम प्रसारित किया जायेगा और बाकी के प्रोग्राम बड़े हो रहे लड़के-लड़कियों के लिये मनोरंजन और शिक्षा का सामान मुहैया करेंगे ।

(ख) इस व्यवस्था को दो हिस्सों में पूरा किया जायेगा (ज़मीन की कीमत छोड़ कर) कुल लागत का अन्दाजा 55 लाख रूपये है जिसपर 24.23 लाख रुपये हर वर्ष खर्च होंगे । इस रकम में से 11.5 लाख रुपये (मूल साज़ो-सामान और पुर्जों पर) फौरन खर्च करने की तज़वीज़ है ताकि इस सेवा को जिसे फैलाया जाना है अच्छी तरह चलाया जा सके । जब यह विस्तारित सेवा पूरे तौर से चालू हो जायेगी तो इससे रेडियो स्टेशन से 60 और 80 मील के अन्दर के देहात फायदा उठा सकेंगे ।

अणुशक्ति

1303. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रति वर्ष कितनी अणु शक्ति उत्पादित की जाती है तथा उसे मुख्य मुख्य किन कामों के प्रयोग में लाया जाता है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री): प्रश्न का निर्देश संभवत: अणु शक्ति से उत्पन्न होने वाली बिजली से है। भारत में अब तक अणु शक्ति से कोई बिजली पैदा नहीं की गई है क्योंकि सभी रियेक्टर अनुसंधान की अवस्था में हैं। महाराष्ट्र में तारापुर तथा राजस्थान में राना प्रताप सागर में प्रथम दोनों अणु शक्ति स्टेशनों में क्रमश: 1968 तथा 1969 में कार्य आरम्भ हो जायेगा।

प्रोग्राम अधिकारी

1304. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री आकाशावाणी के प्रोग्राम अधिकारियों के एक ही स्थान में ठहरने के सम्बन्ध में 1 जून, 1964 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच वर्ष या उस से अधिक देरी तक दिल्ली में कार्य करने वाले प्रोग्राम अधिकारियों को दूसरे स्थानों में स्थानान्तरण करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां। इस प्रकार के अनुदेश दे दिये गये हैं कि संगठन की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा जिस से शिक्षा-वर्ष में स्थानान्तरण करने से अनावश्यक कठिनाइयां न हों, एक ही स्थान पर अधिक समय तक ठहरने वाले सभी कार्यक्रम अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया जाय।

ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची मांगी गई है तथा मंत्रालय में उस की जांच की जायगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड

1305. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को बंगलौर से हटा कर कोलार ले जाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह पूर्ण रूप से कब ले जाया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) तथा (ख) मिट्टी हटाने वाले भारी उपकरणों के निर्माण के लिये कोलार में स्थापित किये जाने वाले कारखाने के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है। इस कारखाने का प्रबन्ध-भारत "अर्थमूवर्स लिमिटेड, बंगलौर" करेगा। परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। इस के मिलने पर कारखाने की स्थापना की अनुसूची का पता लग जायेगा :

तेलीचेरी का बड़ा डाकघर

1306. { **श्री पोट्टेकाट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में तेलीचेरी के स्थान पर एक बड़ा डाकघर भवन बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) भवन-निर्माण में देरी क्यों हुई ; और

(ग) भवन बन कर कब पूरा हो जायेगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) प्रशासनिक मंजूरी 3 सितम्बर, 1964 को दे दी गई थी। इस काम को 1965-66 के आयव्ययक प्राक्कलन में लेने का विचार है।

(ख) इस काम को चालू वित्तीय वर्ष के आयव्ययक में नहीं लिया जा सका क्योंकि वित्तीय वर्ष में आयव्ययक प्राक्कलन में लिये जाने वाले सभी प्रस्तावों को उस वर्ष से पूर्ववर्ती जनवरी के महीने में अन्तिम रूप दे दिया जाता है।

(ग) कई औपचारिकतायें जैसे नक्शों को विस्तारपूर्वक तैयार करना, विस्तारपूर्ण प्राक्कलन तकनीकी मंजूरी का दिया जाना, टेन्डरों का मांगना तथा ठेकेदारों को पुरस्कार का दिया जाना, आदि पूरी करनी होती हैं। इस समय इस काम को कोई पूर्ववर्तितां नहीं दी गई है। यदि इस को पूर्ववर्तिता दी गई तो इस को पूर्ण रूप से बनाने के लिये निर्माण-तिथि से दो वर्ष लग जायेंगे।

दिल्ली में दूध के मूल्य तथा बसों के किराये में वृद्धि

1307. { **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री की जानकारी में न होने के कारण उन्होंने दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के मूल्य में तथा दिल्ली परिवहन द्वारा बसों के किरायों में वृद्धि के बारे में जांच करवाना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) जी हां। तब से मामले की जांच की जा चुकी है तथा स्थिति इस प्रकार है :--

दिल्ली दुग्ध योजना के मूल्य

1 नवम्बर, 1959 से (जब योजना ने काम चालू किया) 12 मई, 1964 तक दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जानेवाले दूध के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। चाहे उन को इस से कुछ धन की हानि हुई। दूध के वसूली के मूल्यों में वृद्धि को तथा योजना द्वारा बेचे गये दूध की कम मात्रा को ध्यान में रखते हुए 13 मई, 1964 से मूल्यों में कुछ वृद्धि करने का निर्णय किया गया था। बढ़े हुए मूल्य भी अलाभप्रद हैं इस लिये मूल्यों में कमी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन के किराये

शमिक सिक्का प्रणाली तथा दूरी मापने की दशमिक प्रणाली का पूरा लाभ उठाने के लिये दिल्ली परिवहन के किराया निश्चित करने के ढांचे का 1 मई, 1964 से वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण किया गया था।

साथ ही साथ विभिन्न मार्ग खण्डों की वर्तमान किराया अनियमितताओं को दूर करने के बारे में इस अवसर का लाभ भी उठाया गया था जिस से सामान्य अथवा संस्पर्शी दूरी अथवा मार्ग खण्डों की दूरी के प्रभावित किराये में समानता आ सके। क्योंकि और अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे इस लिये उप-निगमाध्यक्ष के नेतृत्व में नियुक्त की गई समिति ने इस मामले की फिर से जांच की थी। यह समिति इस निष्कर्षपर पहुंची थी कि चूंकि नये किराये का ढांचा सुस्थित है इस लिये कुछ स्थानों के कुछ महत्वपूर्ण खण्डों पर यात्रा करनेवाली जनता को कुछ सहायता देना आवश्यक है। इस के परिणामस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण मार्गों की जिस पर बहुत से यात्री यात्रा करते थे, कुछ किराया स्टेजों को 1 अगस्त, 1964 से समाप्त कर दिया गया था। तथा यह इन क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को किराये में पांच पैसे की छूट देने के लिये किया गया था। नये किराये के ढांचे के बारे में कोई और कठिनाई नहीं हुई है।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण

1308. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7 अक्तूबर, 1964 को नई दिल्ली में फिरोज़शाह रोड पर स्थित अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के भारतीय स्कूल के भवन की शिला-न्यास समारोह के समय राष्ट्रपति द्वारा दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है जिस में उन्होंने कहा था कि बहुत से भारत विदेशी सेवा के अधिकारी जो दूसरे देशों में भारत का प्रतिनिधान करते है भारत की संस्कृति तथा अन्य भारत सम्बन्धित बातों के बारे में अनभिज्ञ हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन के लिय कोई प्रत्यावर्तन पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर्स कोर्स) तैयार करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 7 अक्तूबर 1964 को नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के भारतीय स्कूल के भवन के शिला-न्यास के अवसर पर राष्ट्रपति की टिप्पणी से सरकार विदित है। प्रश्न में राष्ट्रपति की जिस यथार्थ टिप्पणी का निर्देश है वह था "मुझ पता चला है कि बहुत से हमारे लोग जो विदेशों में जाते हैं उनको हमारी संस्कृति के मूल सिद्धांतों का ज्ञान भी नहीं होता है।" चाह राष्ट्रपति ने ये शब्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के स्कूल में भारत विदेश सेवा के परिवीक्षाधीनों के प्रशिक्षण के संदर्भ में कहे थे परन्तु उपर्युक्त यथार्थ उदाहरण से पता चलता है कि वह विदेशों में जाने वाले जन साधारण के बारे में बात कर रहे थे जब उन्होंने कहा था कि उनका भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धान्तों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है ।

(ख) ऐसा विश्वास है कि भारत विदेश सेवा के परिवीक्षाधीनों का वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में उचित रूप से अवगत करने के लिये पर्याप्त है। शिक्षा कार्यक्रम दो से तीन वर्षों के लिये होता है तथा व्यापक है। इस कार्यक्रम में दूसरी चीज़ों के अतिरिक्त, मसूरी में प्रशासन के राष्ट्रीय अकादमी में 6 महीनों का बुनियादी पाठ्यक्रम, तीन सप्ताह की भारत दर्शन यात्रा, अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के भारत स्कूल में चार महीनों का तथा विदेशों में और अधिक प्रशिक्षण, भी सम्मिलित है। प्रशासन की राष्ट्रीय अकादमी, मसूरी में परिवीक्षाधीनों को कई विषय जैसे भारतीय संस्कृति कला तथा साहित्य पर भाषण दिये जाते हैं। तीन सप्ताह की भारत दर्शन यात्रा में वे भारत के विभिन्न स्थानों में जाते हैं जिन में संस्कृति सम्बन्धी स्थान भी होते हैं जिस से उन को भारत की संस्कृति का नवीनतम परिचय मिल जाता है तथा इस विषय से सम्बन्धित पुस्तके पढ़ने से उनका ज्ञान और बढ जाता है। इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत विदेश सेवा के कर्मचारियों को विदेश भेजने से पहले भारत की संस्कृति के मूल सिद्धान्तों से पूर्ण रूप से अवगत करा दिया जाता है। संस्कृति यात्रा के लिये एक और भी उपबन्ध है कि जब कभी अधिकारी देश-छुट्टि पर भारत आते हैं तो उन को दूसरे देश में भजने से पूर्व उनके ज्ञान को जाग्रत किया जाता है।

Nehru Memorial Fund

1309. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Shree Narayan Das :
Shri Sarjoo Pandey :
Shri Y. S. Chaudhary :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the amount so far received in the Nehru Memorial Fund; and

(b) the manner in which it is to be utilised and the concrete schemes formulated for the purpose?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): (a) and (b) The information is not available with Government as the Jawaharlal Nehru Memorial Fund is not a Government Fund. This Fund is controlled by a National Committee.

Foreign Tours by M. Ps.

1310. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign tours arranged by the Department of Parliamentary Affairs for the Members of Parliament during the last three months;

(b) the basis on which the Members were selected for these foreign tours;

(c) whether it is a fact that some Members and parties had protested to him regarding the selection of Members; and

(d) if so, his reaction thereto?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): (a) No foreign tour was arranged by the Department of Parliamentary Affairs during the last three months.

(b) to (d) Do not arise.

Indian Missions Abroad

1311. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri Sivamurthi Swamy :
Shri Birendra Bahadur Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian Embassies /High Commissions which are under the charge of Ambassadors/High Commissioners;

(b) the number amongst them who belong to (i) Indian Foreign Service, (ii) I.C.S. and I.A.S., and (iii) other Services; and

(c) whether Government have under consideration any proposal to appoint these Officers mostly from the politicians?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) 68.

(b) (i) 40
(ii) 4
(iii) 4

(c) Appointments to the posts of Heads of Missions are within the prerogative of the Prime Minister in consultation with the Minister for External Affairs. The exercise of this prerogative cannot be defined.

पाकिस्तान में पूरी लम्बाई की धोतियों का उत्पादन

1312. **श्री बिभुति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री ओंकर लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अक्तूबर, 1964 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिस के अनुसार हिन्दुओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पूरी लम्बाई की धोतियों के उत्पादन पर पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार को लिखा है कि वह हिन्दुओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पूर्ण परिमाण की धोतियों के उत्पादन के बारे में मिल-मालिकों पर लगाये गये प्रबन्ध को हटाये ; और

(ग) यदि हां, तो उस का परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां। इस मद का सम्बन्ध विशेष रूप से प्रतिबन्ध से ही नहीं था बल्कि नौ हाथ से अधिक लम्बी धोतियों पर शुल्क की दर की छूट को वापिस लेने से था।

(ख) और (ग) भारत सरकार के अन्तःक्षेप करने का अवसर ही नहीं आया क्योंकि थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान सरकार ने पूरि लम्बाई की धोतियों के लिये शुल्क की दर की छूट फिर से दे दी थी।

Indians in Afghanistan

1313. **Shri Bagri :**
Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Indian nationals living in Afghanistan want their children to learn Indian languages; and

(b) whether it is not possible for the Indian Embassy there to meet this demand by starting their own school?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Government of India are willing to give some assistance in setting up a school in Afghanistan. However, some more local effort is required. The question is under consideration.

रिपब्लिकन पार्टी की मांगों का चार्टर

1314. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की रिपब्लिकन पार्टी ने 1 अक्तूबर 1964 को मांगों का एक चार्टर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो मांगे क्या है ; और

(ग) उन की इस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मांगें बहुत सी थी जिन में से कुछ, भूमि जोतने वालों को भूमि का बंटन, खाद्यान्नों का वितरण, मूल्यों पर नियंत्रण तथा अनुसूचित जाति के लोगों के साथ उचित व्यवहार करने के सम्बन्ध में थीं ।

ये सभी मामले सरकार के निरन्तर विचाराधीन रहते हैं तथा प्रभावित व्यक्तियों की दशा को सुधारने के उद्देश्य स यथासंभव कार्यवाही की जाती है ।

अम्बाला सर्किल के डाक तथा तार कर्मचारी

1315. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बाला स्थित डाक तथा तार सर्किल पंजाब में कितने डाक तथा तार कर्मचारी प्रथम, दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणी के हैं ; और

(ख) उन में से अनुसूचित जाति के कितने कर्मचारी है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :

(क)	प्रथम श्रेणी	21
	दूसरी श्रेणी	50
	तीसरी श्रेणी	13,558
	चौथी श्रेणी	3,947
(ख)	प्रथम श्रेणी	कोई नहीं
	दूसरी श्रेणी	1
	तीसरी श्रेणी	1,804
	चौथी श्रेणी	786

मैजागाँव डाक में युद्धपोत

1316. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विद्याचरण शुक्ल :.
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाइकर्स नामक ब्रिटिश समवाय का एक विशेषज्ञ दल, बम्बई में स्थित मैजागांव डाक में युद्धपोत निर्माण के लिये ब्रिटेन द्वारा सहायक परियोजना के विस्तार पर चर्चा करने के लिये, हाल ही में भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां। वाइकर्स आर्मस्टरंगस (शिपबिल्डर्स) लिमिटेड तथा चैरो एण्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों का एक दल, मैजागांव डाक लिमिटेड में युद्धपोत निर्माण के लिये ब्रिटेन द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना के विस्तार पर चर्चा करने के लिये 7 अक्तूबर से 12 अक्तूबर तक भारत में आया था।

(ख) प्रारूप सहयोग समझौते पर विस्तार से चर्चा हुई थीं तथा बहुत से उपबन्धों पर समझौता भी हो गया था। कुछ तकनीकी पदों पर, जिन में तकनीकी सहायता शुल्क तथा युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम के लिये ब्रिटेन में स्थापित होने वाले संगठन के लिये शुल्क भी सम्मिलित हैं, अब भी बातचीत हो रही है।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री के जीवन संबंधी रुसी प्रलेखीय चलचित्र

1317. **श्री नवल प्रभाकर ।**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर रूसी प्रलेखीय चलचित्र, जिसका शीर्षक "भारत का महान सपूत" था और जो उनके पिछले जन्मदिवस पर प्रदर्शित की गई थी, को सेन्सर करके अपनी स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो चलचित्र की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या यह भारत में दिखाए जाने के लिये जारी कर दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभि रामन) : (क), (ख) और (ग) स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर सरकार ने कोई भी रूसी प्रलेखीय चलचित्र को सेन्सर अथवा अनुमति नहीं दी। तथापि, "चलचित्र सेन्सर बोर्ड" ने 31-10-64 को एक रूसी प्रलेखीय चलचित्र "पमपाटी वेलाईगो सीना इण्डाई" (भारत के महान सपूत की स्मृति में) को प्रदर्शन के लिये प्रमाणपत्र दिया था। यह चलचित्र, जिसका "सेन्ट्रल डाक्यूमेन्ट्री फिल्म स्टूडियोज़, मास्को" ने निर्माण किया था, स्वर्गीय प्रधान मंत्री के जीवन के सम्बन्ध नहीं थी ; अपितु यह उस सार्वजनिक शोक सभा के सम्बन्ध में थी जो उनकी स्मृति में रुसी कार्मिक संघ, मास्को के हाल में की गई थी। इस चलचित्र में कई प्रमुख व्यक्ति दिखाये गये हैं, जिनमें रुसी नेता, लेखक, कवि और भारतीय दूत सभा में बोलते हुये दिखाये गये हैं। इसमें स्वर्गीय प्रधान मंत्री की अर्थी के जलूस के भी कुछ चित्र दिखाये गये हैं।

क्योंकि भारत सरकार ने इस चित्र का निर्माण नहीं किया, अतः भारत सरकार द्वारा इसे प्रदर्शन के लिये जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, रूसी सरकार ने, शायद इस चलचित्र को भारत में प्रदर्शित करने के लिये कोई अपनी व्यवस्था की हो ।

प्रतिरक्षा संस्थापनों के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

1318. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थापनों के असैनिक कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के लिये कोई निश्चय किया गया है ।

(ख) यदि नहीं, तो यह निश्चय कब किया जायगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण (प्रतिरक्षा मंत्री) : (क) और (ख) जी नहीं । सरकार उस पर सक्रिय रूप से विचार रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ सम्मेलन

1319. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अक्तूबर 1964 में जनेवा में हुये अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) क्या सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल की उपस्थिति के बारे में कोई विवाद हुआ था, और

(ग) इस क्रिया संबंधी विवाद में भारत का क्या रवैया था, और

(घ) सम्मेलन में क्या निश्चय किये गये ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) (क) की दृष्टि में रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) निश्चित कार्य किये बिना ही सभा अनिश्चित काल के लिये उठ गई ।

Boards for Gurudwaras and Temples in Pakistan

1320. **Shri Gulshan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any suggestion regarding the appointment of Boards to look after the property of Gurudwaras and Temples in Pakistan ; and

(b) if so, the action taken by Government in that regard?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

टेलीफोन कनेक्शन

1321. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को दिल्ली में वर्ष 1962, 1963 और 1964 में छूट-प्राप्त श्रेणी में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये;

(ख) ऐसे कनेक्शनों के लिये आवेदनपत्रों पर किस आधार पर विचार किया जाता है और किस प्रकार के सामाजिक कार्य से किसी व्यक्ति को ऐसा कनेक्शन मिल जाता है ;

(ग) इससे पूर्व कि टेलीफोन मंत्रणा समिति ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार करे, इन आवेदन पत्रों में दिये गये तथ्यों का क्या कोई सत्यापन किया जाता है, और यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा; और

(घ) ऐसी श्रेणी में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं टेलीफोन बटन पर क्या और निर्बन्धन लगाने का विचार है।

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 1962–56, 1963–207, 1964–274

(ख) और (ग) सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के छूट-प्राप्त श्रेणी में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन पत्र उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पंजीकृत किये जाते हैं; और इस सूचना की किसी संसद्-सदस्य, दिल्ली नगर निगम के सदस्य अथवा टेलीफोन परामर्श समिति के सदस्य द्वारा पुष्टी होनी चाहिये। इस श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन टेलीफोन परामर्श समिति की सिफारिशपर दिये जाते हैं।

(घ) जी नहीं।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिय प्रतीक्षक सूची

1322. श्री विश्राम प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1954 से अबतक दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में टेलीफोन कनेक्शनों के बटन की प्रतीक्षक सूची पर व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ख) इन कनेक्शनों को देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) 262 आवेदकों ने जिन्होंने 21–12–1954 से पहले आवेदन दिया था, प्रतीक्षक सूची में लम्बित हैं। यह सभी आवेदक कलकत्ता टेलीफोन जिले के हैं।

(ख) टेलीफोन एक्सेंजो की क्षमता बढ़ाने और अधिक तारे बिछाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे कि लम्बित भागों की अधिकतम पूर्ति की जा सके।

"लाइफ" और "टाईम" पत्रिकाओं का संवाददाता

1323. **श्री इम्बीचिबावा :**
श्री उमानाथ :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी सूचना है कि "लाईफ" और "टाईम" पत्रिकाओं का संवाददाता नेफा में एक दूर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया;

(ख) क्या इसको उस क्षेत्र में चित्र लेनी की अनुमति दी गई थी, और

(ग) क्या हाल ही में किसी और संवाददाता या एजेन्सी की वैसी अनुमति दी गई थी ?

श्री स्वर्ण सिंह (वैदेशिक-कार्य मंत्री) : जी हां, "टाइम" और "लाइफ" पत्रिका के संवाददाता तथा फोटोग्राफर श्री जेम्ज़ बर्क 2–10–64 को भालुकपुंग-बोमडिला सड़क पर फोटोग्राफ लेते हुये एक चट्टान से फिसल कर गिर पड़े और मर गये ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

Hong Kong Singapore Artillery Personnel

1324. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that those Indian soldiers of Hong Kong and Singapore Royal Artillery who had joined the Indian National Army and were discharged from Indian army, are now eligible for the grant of financial relief at the same rates and under the same conditions as in the case of ex-I.N.A. personnel ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the estimated amount of the financial relief to be paid to these ex-Hong Kong Singapore Artillery personnel?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) Yes, Sir. Incidentally, the Hong Kong and Singapore Royal Artillery was a British Army Unit; and consequently, these soldiers were neither members of nor were discharged from the Indian Army.

(b) Financial relief is admissible at the following rates:

	Rs.
Officers . . .	1500·00
Junior Commissioned Officers	500·00

	Rs.
Non-Commissioned Officers	220·00
Other Ranks	160·00
Non-Combatants (en-rolled)	120·00

The relief is admissible only in respect of persons who are now Indian Nationals; and it is payable to those who are still alive, and to the widows or minor children of those who are dead but not to other relations or legal heirs. The claims are required to be submitted before the 30th June 1965 to the Controller of Defence Accounts (Officers) in the case of officers, and to the Officer Incharge, Artillery Depot and Records, Mathura in the case of others.

(c) Rs. 1.6 lakhs.

इलाक्ट्रानिक्स

1325. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो प्रविधिक समिति सरकार ने देश की इलाक्ट्रानिक्स आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिय नियुक्त की थी, क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) समिति अपना प्रतिवेदन 1965 के आरम्भ में दे देगी । तब तक के लिये उन्होंने सरकार को निम्नलिखित सीस प्रतिवेदन पेश किये हैं जो उनको सौंपे हुये कार्य के बारे में हैं :—

प्रतिवेदन संख्या	प्रतिवेदन का शीर्षक	पेश करने का दिनांक
प्रतिवेदन आर-1	भारत में संतुलित इलक्ट्रानिक्स उद्योगों के लिये आवश्यक उत्पादन और विनियोजन पर अन्तरिम प्रतिवेदन ।	18-2-1964
प्रतिवेदन आर-2	विकास वर्गों की स्थापना पर संकल्प ।	18-2-1964
प्रतिवेदन आर-3	इलाक्ट्रानिक परीक्षण उपकरणों की अल्पनिष्ठ सूची ।	18-2-1964
प्रतिवेदन आर-4	500 वाट तक का एच० एफ० और वी० एच० एफ० रेडियो संचार उपकरण ।	16-3-1964
प्रतिवेदन आर-5	उच्च शक्ति के रेडियो ट्रांस मिट्टर	16-4-1964
प्रतिवेदन आर-6	200 से 400 मेगासाइकल की फ्रीक्वैंसी बैंड की भू-वायु तथा वायु-वायू रेडियो संचार उपकरण ।	16-4-1964
प्रतिवेदन आर-7	भविष्य में वैदेशिक सहयोग के रूप के प्रविधिक पहलू पर सिफारिशें ।	18-4-1964
प्रतिवेदन आर-8	परीक्षण उपकरणों के विकास के कुछ पहलू	18-4-1964

प्रतिवेदन संख्या	प्रतिवेदन का शीर्षक	पेश करने का दिनांक
प्रतिवेदन आर-9	माइक्रोवेव पद्धति और सम्बद्ध उपकरण	14-7-1964
प्रतिवेदन आर-10	रेडियो दिकचालन साधन	14-7-1964
प्रतिवेदन आर-11	ट्रांजिस्टर और अर्ध संवाहक डायोड के उत्पादन की निर्देशिका ।	14-7-1964
प्रतिवेदन आर-12	प्रतिरोधक के उत्पादन की निर्देशिका	14-7-1964
प्रतिवेदन आर-13	धारित्र के उत्पादन की निर्देशिका	14-7-1964
प्रतिवेदन आर-14	लाईन संचार और गुप्त उपकरण	28-8-1964
प्रतिवेदन आर-15	कनेक्टरों, रिले और स्विचों के उत्पादन पर निर्देशन	28-8-1964
प्रतिवेदन आर-16	इलाक्ट्रान ट्यूबों के उत्पादन पर निर्देशन	28-8-1964
प्रतिवेदन आर-17	सर्वो-कम्पोनेन्ट के उपकरण के उत्पादन पर निर्देशन	20-11-1964
प्रतिवदन आर-18	नामिकीय इलाक्ट्रानिक उपकरण	201-1-1964
प्रतिवेदन आर-19	औद्योगिक और प्रक्रिया उपकरणों के उत्पादन पर निर्देशन	3-12-1964
प्रतिवेदन आर-20	इलाक्ट्रानिक संगणक	3-12-1964

भारत में संतुलित इलाक्ट्रानिक्स उद्योग के लिये आवश्यक विनियोजन और उत्पादन पर समिति की अन्तरिम प्रतिवेदन के एक प्रतिलिपि और उसके साथ व्याख्यात्मक टिप्पण, जो सरकारने ने लोक सूचना के लिये निकाले हैं, सभा पटल पर रखी है । [**पुस्तकालय में रखी है । देखिये एल० टी० सं० 3616/64 ।**]

प्रतिरक्षा बस्तियां

1326 **श्री रामचंद्र मलिक :**
श्री धर्मलिंगम् :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च सैनिक अधिकारियों के परिवारों को आवास सुविधायें देने के लिये क्या देश भर में 60 प्रतिरक्षा बस्तियां बनाई जायंगी;

(ख) यदि हां, इस प्रयोजन के लिये वित्तीय सहायता की स्वीकृत राशी क्या है;

(ग) क्या सैनिक सहकारी आवास संस्था इन बस्तियों को बनायेगी; और

(घ) यदि हां, उसका ब्यौरा क्या है (राज्य वार)

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) दिल्ली के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में 60 स्थानों पर प्रतिरक्षा आवास बस्तियां बनाई जायेंगी; यह बस्तियां न केवल उच्च सैनिक अधिकारियों के लिये बल्कि सेना के सभी वर्गों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये भी होंगी ।

(ख) सरकार ने इसके लिये कोई आर्थिक सहायता मंजूर नहीं की ।

(ग) सामान्यत: संस्था के सदस्य अपने गृह निर्माण स्वयं करते हैं और संस्था उनको इस कार्य के लिये ऋण देती है । जहां आवश्यक हो, सदस्यों को बेचने अथवा किराये पर देने के लिये, संस्था भी भवन निर्माण करती है ।

(घ) जो निर्माण कार्य संस्था करेगी उसका ब्यौरा अभी तैयार नहीं हुआ है ।

नागालैंड में बसने वाले भारतीय

1327. **श्री यु० सिंह चौधरी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनागा भारतियों को नागालैण्ड में बसने नहीं दिया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

तथापि, नागा हिल्ज़ झुम भूमि विनिमय, 1946 के अन्तर्गत भूमि प्राप्त की जा सकती है; इसके अनुसार झुम भूमि, जिसपर किसी समुदाय का रूढ़ाधिकार है, किसी अन्य समुदाय या व्यक्ति को उपायुक्त आज्ञा से दी जा सकती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Misappropriations in Hindustan Aircraft Limited

1328. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an amount of Rs.18,750 was misappropriated by some out-station In-charge of the Hindustan Aircraft Limited, Bangalore during the period from October, 1961 to August, 1962; and

(b) if so, the action taken by Government in this behalf?

The Minister of Defence Production (Shri A. M. Thomas) : (a) Yes, Sir.

(b) The concerned employee was dismissed from service, after necessary enquiries. On the basis of the criminal proceedings instituted against him by the Special Police Establishment, he was convicted and sentenced to three years' rigorous imprisonment. The misappropriated amount has been realised under the Fidility Insurance Policy which covered the concerned employee.

Permission to Sheikh Abdullah For Haj Pilgrimage

1329. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Sheikh Abdullah has sought permission to proceed on Haj pilgrimage; and

(b) if so, Government's decision thereon?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) (a) The Port Haj Committee, Bombay have been approached by Sheikh Abdullah through the Trade Agent to the Government of Jammu and Kashmir in Bombay for reservation of five seats including one for himself on one of the vessels of the Moghul Line.

(b) Does not arise.

Institutions Engaged in Nuclear Research

1330. Shri Rameshwaranand : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of institutions in India which are engaged in research work in nuclear science and the assistance given by Government to them; and

(b) the qualifications laid down for various categories of scientific posts in the different disciplines of nuclear science under the control of the Atomic Energy Department?

Prime Minister (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) Research work in some branch or other of nuclear science is at present carried out in about 13 Universities and 28 other Institutions in India, and assistance in the form of financial grants, equipment and personnel is given by Government.

(b) The categories of scientific posts and the different disciplines covered by the Department of Atomic Energy are too numerous to be mentioned here. Generally speaking, recruitment is normally made through the Department's Training School. A copy of the advertisement prescribing qualifications for admission to the courses conducted in this school is placed on the table of the House. **[Placed in library. See No. LT 3517/64.]**

आकाशवाणी पर "प्रेसदाता से भेंट" कार्यक्रम

1331. श्री यशपाल सिंह : क्या **सूचना** तथा **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी पर समय समय पर 'प्रेसदाता से भेंट' नामका एक नया कार्यक्रम चालू करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब निर्णय किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां ।

(ख) इस वर्ष के अन्त से पूर्व । यह कार्यक्रम 1965 के आरम्भ से चालू किया जायेगा ।

इन्डिया टेलिफोन इंडस्ट्रीज बैंगलोर

1332. डा० सरोजिनी महिषी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इन्डिया टेलीफोन इन्डस्ट्री के लिये एक योजना विभाग स्थापित करना चाहती है और यदि हां, तो कब; और

(ख) क्या सरकार देश में टेलीफोन उपकरणों के निर्माण के लिये वर्तमान क्षमता को बढ़ाना भी चाहती है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज में योजना कार्य प्रबन्ध निदेशक के पर्यवेक्षण में प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है। 'क्रासबार' उपकरणों के निर्माण के लिये एक छोटा योजना विभाग भी है जो कि प्रबन्धक निदेशक के पर्यवेक्षण के अधीन ही काम करता है।

(ख) टेलीफोन उपकरणों का निर्माण प्रत्येक योजनावधि में निरन्तर बढ़ाया जा रहा है। चौथी योजनावधि में 12 लाख टेलीफोन उपकरण बनाने का विचार है जब कि तीसरी योजना में 8.3 लाख टेलीफोन बनाये गये थे।

Praga Tools Corporation, Hyderabad

1333. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Praga Tools Corporation, Hyderabad has sustained substantial losses on account of the production costs being higher than the sale prices;

(b) whether it is also a fact that sixty per cent of its machinery remains unutilized; and

(c) the measures taken or proposed to be taken to improve matters?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A.M. Thomas): (a) During the first three years following the transfer of the administrative control to the Government of India, the Company sustained some losses due to the production cost being higher in some cases than the sale prices. This position has improved considerably during 1962-63 and 1963-64.

(b) No, Sir. The present utilisation of the plant and machinery is considered satisfactory.

(c) After the transfer of the administrative control to the Government of India, a number of steps have been taken towards rationalisation of production and introduction of administrative reforms. As explained in (a) above, these have improved the working results of the Company.

परागा टूल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के विक्रय एजेंट

1334. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परागा टूल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा मशीनों की बिक्री के लिये विक्रय एजेन्टों के अतिरिक्त कुछ स्थानीय प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उनको क्या वेतन दिया जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) कम्पनी ने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में संपर्क कार्य और जांच कार्य को करने के लिये जो कि किसी भी विक्रम अभिकरण करार के अन्तर्गत नहीं आते, स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त किये थे। दिल्ली, बम्बई और मद्रास के प्रतिनिधियों की सेवाएं मई, 1962 में समाप्त कर दी गई थीं।

(ख) चारों स्थानों में से प्रत्येक स्थान पर एक एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था और उनके वेतन इस प्रकार थे :

(एक) बम्बई : 1200 रु० प्रति वर्ष; बाद में 1951 से 2,500 रु० प्रति वर्ष कर दी गई।

(दो) मद्रास : 3,000 प्रति वर्ष।

(तीन) नई दिल्ली : बिक्री पर 1 प्रतिशत कमीशन तथा 6,000 रु० प्रति वर्ष। 1959 से 1,000 रु० प्रति मास की निश्चित राशि।

(चार) कलकत्ता : 100 रु० प्रति मास।

वैस्ट इंडिज में भारतीय

1335. श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमण्डल के वैस्ट इन्डीज़ के कुछ राज्यों में भारतीय उद्भव के लोगों की जानों की रक्षा करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार इन में से कुछ राज्यों को शांति मिशन भेजेगी, विशेषत: जमाइका, त्रिनिदाद और ब्रिटिश गिआना में; और

(ग) क्या सरकार को इन देशों के भारतीय उद्भव लोगों से कोई विशेष सरकारी अथवा गैर-सरकारी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) त्रिनिदाद और टोबागो और जमाईका में भारतीय उद्भव के लोग शांति से रह रहे हैं और जिन देशों में वह रह रहे हैं वहां पर अन्य निवासियों के सहयोग से भविष्य की योजना बनाना उनका कार्य है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

कलकत्ता पुलिस द्वारा नाबालग लड़की का बचाया जाना

1336. श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 नवम्बर, 1964 को कलकत्ता पुलिस ने दक्षिण कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के घर से एक नाबालग लड़की की जान बचाई;

(ख) यदि हां, तो अधिकारी का विवरण क्या है;

(ग) क्या कोई विभागीय जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 18 नवम्बर, 1964 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के अन्तर्गत अपराधों के आरोपों पर सदर हुगली के सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये गिरफ्तारी के वारेंट पर 17 बंगाल बटेलियन नेशनल केडेट कोर के लेफ्टनेंट कर्नल हरी सदन बनर्जी को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया था। मैजिस्ट्रेट ने अधिकारी को सेना के सुपुर्द कर दिया है और इस समय वह कड़ी निगरानी में गिरफ्तारी में हैं।

(ग) जी नहीं। क्योंकि कानून के अन्तर्गत सामान्य कार्यवाही की जा रही है, इसलिये पृथक विभागीय जांच नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्डोनेशिया द्वारा एटम बम का विस्फोट

1337. **श्री तान सिंह :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इन्डोनेशिया के जनरल हारटानो के इस कथन से अवगत है कि इन्डोनेशिया अपने पहला एटम बम का विस्फोट अगले वर्ष करेगा;

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत इन्डोनेशिया के वैज्ञानिकों को अणु अनुसन्धान सुविधाएं देता रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) इन्डोनेशिया की अणु हथियारों की क्षमता के संबंध में जनरल हारटोनो के कथन पर सरकार ने समाचारपत्रों की रिपोर्टें देखी हैं परन्तु सरकार इसकी सचाई को आंकने की स्थिति में नहीं है। भारत सरकार ने अणु हथियारों के निर्माण का बराबर विरोध किया है और इस दिशा में किये गये सभी प्रयत्नों को खेद की दृष्टि से देखा है।

(ग) भारत सरकार ने अणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग में इन्डोनेशिया के वैज्ञानिकों को कुछ प्रशिक्षण सुविधायें दी हैं।

सेना के लिये इंजीनियर और चिकित्सीय स्नातक

1338. **श्री हेमराज :**
श्री तान सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग और चिकित्सीय शाखाओं में सेना की क्या जरूरतें हैं ;

(ख) इन शाखाओं में भर्ती में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) सरकार कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) इस जानकारी को प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

(ख) और (ग) जहां तक अन्य श्रेणियों का संबंध है कमी बहुत कम है और उसे इंजीनियरिंग शाखा में सामान्य भर्ती द्वारा और नर्सिंग टेक्नीकल श्रेणियों में खपाने के लिये चिकित्सीय शाखा में भर्ती होने वालों के लिये व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर के पूरा किया जायगा।

जहां तक अधिकारियों का संबंध है इस समय भी भारी कमी है। इसको पूरा करने के लिये अधिक उम्मीदवारों को आकर्षित करने की दृष्टि से कुछ रियायतें दी गई हैं और अन्य उपाय भी किये गये हैं। वे निम्न हैं :—

इंजीनियर :

(एक) अध्ययन आदि में भी विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के अन्तर्गत चुने हुए स्नातक इंजीनियरों और चुने हुए अन्तिम वर्षीय इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को कमीशन पूर्व प्रशिक्षण की अवधि में कमीशन देना।

(दो) कमीशन पूर्व प्रशिक्षण की सफल पूर्ति पर दो वर्ष पहले की तारीख।

(तीन) ऐसे उम्मीदवारों को जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकर हैं 2 वर्ष से अनधिक अतिरिक्त पूर्व तिथि देना।

(चार) उन व्यक्तियों के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत इंजीनियरिंग सेवाओं में आपात काल में रिक्त होने वाले स्थायी स्थान में से 50 प्रतिशत स्थान रक्षित रखना, जो सेना में अस्थायी रूप से आते हैं और जिन्हें बाद में छोड़ दिया जाता है।

(पांच) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत इंजीनियरिंग सेवाओं में भर्ती किये गये अधिकारियों में से कुछ को सरकार द्वारा हाल ही में मंजूर की गई चार वर्षीय अनिवार्य सेवा दायित्व योजना के अन्तर्गत सेना में प्रतिनियुक्त करके कमीशन देना।

डाक्टर :

(1) एम० बी० बी० एस० के अन्तिम वर्षीय क्षेत्रों में चुने हुए छात्रों को अध्ययन की अवधि में भी कमीशन देना।

(2) जो व्यक्ति सेना मैडिकल कोर में अस्थायी रूप से लिये गये हैं और जिन्हें बाद में छोड़ दिया जायेगा उनके लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत चिकित्सीय सेवाओं में आपात काल में रिक्त होने वाले स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थान रक्षित रखना।

नर्सिंग अधिकारी :

(1) राज्य सेवाओं से असैनिक नरसों का 'सैकिंडमेंट'।

(2) पात्रता की अर्हताओं में से एक को शिथिल करके, जैसे प्रसूतिविद्या, केन्द्रीय-राज्य चिकित्सीय सेवाओं तथा सीधे खुली मार्किट से भर्ती की गई असैनिक नरसों को अस्थायी कमीशन देना।

(3) सैनिक नर्सिंग सेवा की स्थानीय श्रेणी में विवादित अथवा बच्चोवाली विधवा असैनिक नरसों का भर्ती किया जाना।

लंका में भारतीय उद्भव के कर्मचारी

1339. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यू० सि० चौधरी :
श्री ओंकारलाल बरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि लंका की व्यापार संस्थाएं भारत लंका के हाल के करार का उल्लंघन करते हुए भारतमूलक कर्मचारियों को छंटनी की सूचनाएं दे रही हैं; और

(ख) यदि हां तो, सरकार मामले में क्या कार्यवाही करेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि लंका की व्यापार फर्मों ने भारतीय कर्मचारियों को उनकी सेवा की समाप्ति के नोटिस दिये है । हमारे उच्चायुक्तने इस मामले पर लंका के अधिकारियों से लिखा पढ़ी शुरू कर दी है । ऐसा समझा जाता है कि विस्तृत जांच होने तक नोटिस रोक दिए जायेंगे ।

उड़ीसा में रेलवे डाक सेवा के कार्यालय

1340. **श्री जेना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रेलवे डाक सेवा के कार्यालय खोलने के कोई प्रस्ताव काफी समय से लम्बित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां तो, इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वे कार्यालय कब खोले जायेंगे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) केवल एक प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है जो कि भद्रक में एक नया रेलवे डाक सेवा कार्यालय खोलने के बारे में है ।

(ख) भद्रक रेलवे स्टेशन के आस पास एक उपयुक्त इमारत उपलब्ध न होने के कारण कार्यालय अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका ।

(ग) रेलवे एक इमारत का निर्माण कर रही है जो आशा है कि जून, 1965 के अन्त तक पूरी हो जायेगी । कार्यालय इससे पहले भी खोला जा सकता है यदि इसके लिये उपयुक्त गैर-सरकारी इमारत उपलब्ध हो जाये जिसके लिये कि प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

Factories in Delhi

1351. **Shri Ramanand Shastri :**
Shri Ram Sewak :

Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to State :

(a) the number of factories in Delhi and New Delhi which are governed by the Factories Act, 1948 but are working without factory licences;

(b) the reasons for not enforcing the provisions of the Factory Act against them;

(c) whether Factory Inspectors make enquiries from other Departments regarding those factory owners who show lesser number of workers to the Inspectors but show exaggerated number of workers for obtaining quota and other concessions; and

(d) whether it is also a fact that the factory owners of Delhi employ workers for months together without entering their names in the attendance registers and thus deprive them of the benefits to which they are entitled under the various laws and if so, the measures adopted to prevent the same?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya) : (a) 90 such cases have been detected.

(b) Does not arise.

(c) No. But surprise inspections are made to ascertain the truth in all such cases.

(d) Complaints are often received by the Delhi Administration regarding the employment of workers without the employer recording their names in registers prescribed for the purpose. These complaints are properly and promptly investigated. Even during the routine and surprise inspections, the Inspectorate Staff have instructions to ensure that names of all workers are entered in appropriate registers and that no worker is deprived of the benefits to which he may be entitled under the law. Cooperation of the trade unions is also sought to meet this problem.

प्रधान मंत्री के साथ मायकल स्काट की भेंट

1342. **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शांति मिशन के एक सदस्य मायकल स्काट ने हाल ही में प्रधान मंत्री से भेंट की थी और नागा लैंड में शांति के संबन्ध में उनके सामने कुछ नये सुझाव और प्रस्ताव रखे थे; और

(ख) यदि हा, तो उनका विस्तृत ब्योरा क्या है और उनपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां । श्री माइकल स्काट प्रधान मंत्री से मिले थे । उन्होने कोई नये सुझाव नही दिए थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

1343. **श्री हेम राज :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता ने राष्ट्रीय रक्षा कोष में सरकारी अथवा गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के शेयर भी दान में दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या और मूल्य क्या है और वे शेयर किन किन कम्पनियों के हैं; और

(ग) क्या इन शेयरों से अभी तक कोई पैसा इकट्ठा किया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1343/64 ।**]

Tibetans in Sikkim

1355. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Tibetans have been residing in Sikkim with their children without valid permits;

(b) if so, the reasons for their entry without valid permits; and

(c) the number of Tibetans who have come to India so far during this year?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) Registration of Tibetans in Sikkim is carried out by the Government of Sikkim. According to our information all the Tibetans residing in Sikkim are issued identification certificates by the Government of Sikkim.

(c) 423.

भारत-नागा आयोग के लिये प्रस्ताव

1345. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड शांतिमिशन के एक सदस्य माइकल स्काट ने नागालैंड में जो कुछ हुआ है उसकी पूर्ण तथा निष्पक्ष जांच के लिये "एक भारत-नागा मिशन" की नियुक्ति के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) श्री माइकल स्काट ने ऐसा सुझाव दिया था तथापि मिशन के दो अन्य सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया है। भारत सरकार की राय है कि पिछली घटनाओं की जांच से वर्तमान बातचीत में सहायता नहीं मिलेगी।

भारतीय वायु सेना के "हंटर विमान को दुर्घटना"

1346. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बाल कृष्ण सिंह :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1964 में सांताक्रूज़ हवाई अड्डे पर भारतीय वायु सेना का एक हंटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना से कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(ग) क्या कोई जांच की गई है; और यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, 21 नवम्बर, 1964 को।

(ख) विमान का चालक, फ्लाइंग आफिसर आर० डी० चिनोय, जो कि विमान में अकेला ही था, मारा गया।

(ग) वायु सेना नियमों के अनुसार एक जांच समिति को दुर्घटना की जांच करने का आदेश दे दिया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पूरे ब्योरों का पता चलेगा।

अभ्रक की खानों में मजूरी का भुगतान

1347. **श्री शिव चरण माथुर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज़िला भीलवाड़ा (राजस्थान) के अभ्रक खनन क्षेत्रों में मालिक लोग मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए कर्मकारों को अर्जित मजूरी का भुगतान करने में कई मासों देर कर देते हैं;

(ख) यदि हां, तो आदिनांक देय मजूरी की कुल राशि कितनी है और इतनी देर से भुगतान करने वाले मालिकों की क्या संख्या है; और

(ग) ऐसे दोषी पक्षों के विरूद्ध चलाये गये मामलों की संख्या क्या है। ऐसे मामले कितने हैं जिन में मजूरी भुगतान प्राधिकारी द्वारा दण्ड दिया गया तथा अनिर्णीत मामले कितने हैं जो ऐसे प्राधिकारी के विचाराधीन हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) कुछ मामले ऐसे थे जिन में मजूरी का भुगतान मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 5 के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया गया था।

(ख) 15 नवम्बर, 1964 को 2,06,071.74 रुपये। उत्तरदायी मालिकों की संख्या 13 है।

(ग) मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अधीन 2,24,208.80 रुपये के 40 दावों सम्बन्धी प्रार्थनापत्र दायर किये गये थे और 22,942.68 रुपये के दावों सम्बन्धी प्रस्ताव प्रवर्तन शासन तंत्र के विचाराधीन हैं। 41,079.74 रुपये की राशि के दावों सम्बन्धी मामलों का निर्णय कर दिया गया है, 6,103.18 रुपयों की डिग्री की गई है और शेष 34,976.56 रुपयों का मामलों के लंबन के दौरान नियोजकों द्वारा भुगतान किया गया है। शेष 1,83,129.06 रुपये की राशि इन शेष 19 प्रार्थनापत्रों के अन्तर्गत आती हैं जो अभी विचाराधीन हैं। मजूरी भुगतान अधिनियम के अधीन 1963 के प्रारम्भ से अबतक कोई अभियोजन नहीं चलाया गया था, परन्तु न्यून मजूरी अधिनियम के अधीन ज़िला भीलवाड़ा में अभ्रक खानों के मालिकों के विरुद्ध विलम्बित तथा आस्थगित भुगतान के लिये 1963 में छः और 1964 में आठ मामले चलाये गये थे।

ब्रिटेन, अमरीका तथा कैनेडा में भारतीय

1348. **श्री गु० सिंह मुसाफिर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन, अमरीका तथा कैनेडा में कितने भारतीय हैं; तथा

(ख) इनमें से प्रत्येक देश में कितने पंजाबी, बंगाली और महाराष्ट्री रहते हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारतीयों की लगभग संख्या जिस में विद्यार्थी और अन्तर्राष्ट्रीय संघटनों में काम करने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित है :—

(1) ब्रिटेन	1,30,000
(2) अमरीका . .	14,690
(3) कैनेडा	2,949

(ख) इन के सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी मोटे तौर पर यह अनुमान है कि ब्रिटेन में रहने वाले 80 प्रतिशत पंजाब से और 10 प्रतिशत गुजरात से हैं। शेष में से बंगाल से अधिक हैं।

टेलीग्राफ तथा टेलीफोन इंजीनियरिंग सेवा

1349. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीग्राफ तथा टेलीफोन इंजीनियरिंग सेवा के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के एक अधिकारी को एक स्टेशन पर ठहराने का सामान्य समय कितना है;

(ख) ऐसे अधिकारी कितने हैं जिन का चालू वर्ष में एक सर्कल से दूसरे सर्कल में स्थानान्तरन किया गया था जब कि वे एक स्थान पर दो वर्ष से अधिक नहीं ठहरे थे;

(ग) ऐसे अधिकारी कितने हैं जो पहले दिल्ली में 5 वर्ष से अधिक ठहरे थे परन्तु जिन का इस वर्ष पुनः दिल्ली में स्थानान्तरन किया गया था, यद्यपि वे दिल्ली से बाहर 3–4 वर्ष से अधिक नहीं ठहरे थे; और

(घ) विभिन्न सर्कलों में एक स्टेशन पर गत 4 वर्षों से अधिक ठहरने वाले खंड-इंजीनियर कितने हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) बारी के क्रम से स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेशों के अनुसार एक स्थान पर इन अधिकारियों के ठहरने की अवधि 4 वर्ष है, परन्तु यदि किसी अधिकारी को उसी स्टेशन पर अन्य पद के लिये स्थानान्तरित अथवा पदोन्नत किया जाता है तो उस को उस स्टेशन पर छः वर्ष तक रखा जा सकता है।

(ख) से (घ) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नागा लोगों से शांति वार्ता

1350. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 नवम्बर, 1964 को भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल तथा छिपे हुए नागा नेताओं के बीच वार्ता के चौथे दौर के कुछ परिणाम निकले हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह विषय इस समय किस अवस्था में है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस वार्ता के दौरान छिपे प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नागा समस्या का राजनतिक हल भारत संघ के अन्दर रहने के आधार पर ही हो सकता है। वार्ता कुछ समय के लिए बन्द कर दी गई है और आशा है कि इस को इस मास के अन्त में पुनः आरम्भ किया जायेगा।

भारतीय प्रलेखीय चलचित्र

1351. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन भारतीय प्रलेखीय चलचित्रों ने 1964 में विदेशों में हुये अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त करने वालों चलचित्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय चलचित्र विभाग ने अपनी स्थापना के पश्चात अब तक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोहों में कितने पुरस्कार प्राप्त किये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी हां, तीन भारतीय प्रलेखीय चलचित्र, जिन्होंने 1964 के दौरान विदेशों में हुए अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोहों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये हैं:–

(i) 'दी डांसिंग फीट' : जिस ने जेनोआ नारी, इटली में चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय नृत्य पर चलचित्रों के पुनरीक्षण (जुलाई, 1964) में लोक नृत्य पर सर्वोत्तम चलचित्र होने के नाते जेनोआ नगर कप जीता ।

(ii) 'ए ग्रेट प्रोब्लम' : जिस को 'रायल सोसाइटी आफ आर्टस,' लन्दन द्वारा अगस्त, 1964 में किये गये राष्ट्रमण्डलीय चलचित्र पुरस्कार समाहरोह में सर्वोत्तम प्रलेखीय चलचित्र समझा गया ।

(iii) 'वन डे': पूना चलचित्र संस्था के विद्यार्थियों द्वारा निर्मित चलचित्र जिस ने सान-फ्रांसिसको अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह (अक्तूबर, 1964) में कला पर सर्वोत्तम चलचित्र होने के नाते 'गोल्डन गेट' पुरस्कार जीता ।

(ग) चलचित्र डिवीजन ने अपनी स्थापना से ले कर अब तक 244 पुरस्कार प्राप्त किए हैं ।

'एच. जे. टी-जेट ट्रेनर'

1352. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्टस लिमिटेड ने हाल ही में एक आधुनिक 'जेट ट्रेनर' विमान एच० जे० टी०-16 तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस की प्रति घंटा सामान्य रफ्तार क्या है; और

(ग) इस की लागत, और निर्माण में प्रयोग में लाये गये देशीय तथा विदेशी पुर्ज़ों की मात्रा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) 350–400 †नाटस्

(ग) प्रति विमान अनुमानित लागत लगभग 13 लाख रुपये है । आशा है कि श्रेणीबद्ध उत्पादन होने वाले विमान के मूल्य के आधार पर देशीय पुर्ज़े 55 प्रतिशत होंगे ।

†Knots.

लंका में भारतीय

1353. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कण्डप्पन :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका सरकार ने हाल में सरकार को आश्वासन भेजा है कि अन्ततः सभी भारतीय उद्भव के पंजीकृत भारतियों को राष्ट्रीय निर्वाचक सम्बन्धी रजिस्टर में रखा जायेगा;

(ख) यदि हां, तो यथार्थ आश्वासन क्या है; और

(ग) सरकार की इस के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केंद्रीय सूचना सेवा

1354. **श्री रा० बरुआ** : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा श्रेणी चतुर्थ में नियुक्ति के लिये अन्तिम परीक्षा कब हुई थीं;

(ख) क्या परीक्षा के परिणाम घोषित किये गये थे और इस के फलस्वरूप सुसंगत पदों के लिये कितनी नियुक्तियां की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) केन्द्रीय सूचना सेवा की चतुर्थ श्रेणी में आरम्भिक रचना सम्बन्धी 171 रिक्त स्थानों के लिये भर्ती करने के उद्देश्य से 2 और 3 जून, 1964 को संघ लोक सेवा आयोग ने एक लिखित परीक्षा ली थी ।

(ख) परीक्षा के परिणाम अभी घोषित नहीं किये गये हैं ।

(ग) आयोग के परामर्श से कुछ व्यक्तियों को, जिन को 1 जुलाई, 1954 और 16 फरवरी, 1959 के बीच में उन पदों पर नियुक्त किया गया था जो अब सेवा की चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत आ गये हैं, सेवा की आरम्भिक रचना के लिये नियुक्तियों के प्रयोजन से हाल ही में वैभागिक पदाभिलाषियों के तौर पर घोषित किया गया है । कुछ और व्यक्तियों को, जिन को ऐसे पदों के लिये 15 फरवरी, 1959 से 1 मार्च, 1960 के बीच नियुक्त किया गया था, घोषित करने का प्रश्न आयोग के परामर्ष से विचाराधीन है । चुनाव समिति द्वारा इन पदाभिलाषियों के परीक्षण के पश्चात लिखित परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या में परिवर्तन आ जायेगा । अतः परीक्षा के परिणाम को घोषणा करने तथा इस के फलस्वरूप नियुक्तियां करने में देरी हो गई ।

Double-member Wards in Delhi Cantonments

1555. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Y.S. Chaudhary :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1710 on the 16th December, 1963 and state :

(a) the names of Cantonments where double-member wards still exist as also the names of Cantonments where such wards have been abolished; and

(b) the reasons for keeping double-member wards system in certain Cantonments only?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) (i) Double-member Wards exist in the Cantonments at Agra, Ahmedabad, Ahmednagar, Allahabad, Ambala, Aurangabad, Babina, Bareilly, Belgaum, Dehra Dun, Dehu Road, Delhi, Deolali, Ferozepore, Jhansi, Jullundur, Kasauli, Kirkee, Lucknow, Mathura, Mhow, Morar, Nasirabad, Poona, Ranikhet, Saugor, Secunderabad, St. Thomas Mount-*cum*-Pallavarium and Wellington.

(ii) Double-member Ward has been abolished in Kamptee Cantonment only as the population of the Scheduled Castes/Tribes in this Cantonment has fallen below the prescribed percentage on the basis of which a reserved seat is determined.

(b) Double-member Wards exist in the Cantonments where the Scheduled Castes/Tribes population bears not less than a prescribed percentage to the total civil population of that Cantonment. Such two member wards ensure better representation both for the Scheduled Castes and the other sections of the population than single member wards.

Civil Area in Delhi Cantt.

1356. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Y.S. Chaudhary :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1315 on the 9th December, 1963 and state :

(a) whether a decision has since been taken regarding the extension of the civil area in Sadar Bazar, Delhi Cantonment ;

(b) if so, the nature and brief details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay in arriving at a decision and the exact date when a decision is expected to be taken in the matter?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) Government has decided to extend the notified civil area in Delhi Cantonment to include additional 28½ acres of land approximately. This land, partly vacant and partly built upon, is adjacent to the existing western boundary of the Sadar Bazar notified under Section 43A of the Cantonments Act and extends upto the limits of old Indian Military Hospital on the south and upto the junction of the Sadar Bazar Road and Kotwali Road on the north.

(c) Does not arise.

"मिडियम वेव" सेवा

1357. **श्री प्र. चं बरुआ :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त भारत में, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रोंमें, मीडियम वेव सेवा द्वारा प्रसारण का विकास करने के लिये कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना की रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय आकाशवाणी की योजनाओं की पूर्ति हो जाने पर देश की लगभग 77 प्रतिशत आबादी को "मीडियम वेव" द्वारा प्रसारण होगा। अखिल भारतीय आकाशवाणी की चौथी पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में मीडियम वेव की अग्रेतर विस्तार सम्बन्धी प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं।

(ख) (i) जहां आवश्यक हो, वर्तमान ट्रांसमीटरों की शक्ति में वृद्धि, (ii) उन भाषा सम्बन्धी क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करना जो पहले प्रसारण सीमा क्षेत्र में नहीं आते, और (iii) वर्तमान केन्द्रों के प्रसारण सीमा क्षेत्र को उन क्षेत्रों में, जो अपर्याप्त रूप से सेवित है, विस्तार करने के लिये सहायी प्रेषण केन्द्रों की स्थापना करना।

ट्यूनिस में भारतीय कूटनीतिज्ञ की मृत्यु

1358. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्यूनिस में भारतीय दूतावास के एक सहदूत, उस की पत्नी और उन के दो बच्चों की गैस से दमघुटने से मृत्यु हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है और इस विषय की छानबीन का क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, अधिकारी एक सहायक था।

(ख) ट्यूनिस में हमारे दूतावास के एक सहायक, श्री ओ० पी० मरवाहा और उसकी पत्नी के साथ दो बच्चों (5 और $3\frac{1}{4}$ वर्ष की आयु के) की 29 नवम्बर, 1964 की रात्रि को अपने कक्ष में दम घुटने से मृत्यु हो गई। छानबीन के अनुसार, जिस की पुलिस ने पुष्टि की है, मृत्यु बायलर से गैस के निकलते रहने से हुई थी, जो आगामी प्रातःकाल में कक्ष को तोड़ कर खोलने से चलता हुआ पाया गया था।

सैनिक स्कूल, पचमढ़ी

1359. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री पचमढ़ी (मध्य प्रदेश) में सैनिक स्कूल की स्थापना करने के बारे में 14 सितम्बर, 1964 को, पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 540 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना को पुनः चालू करने तथा आगे बढ़ने के लिये मध्य प्रदेश सकार को मंत्रणा दी है अथवा दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) रेवा, मध्य प्रदेश में जुलाई, 1962 में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी। 30 सितम्बर, 1964 को विद्यार्थियों की संख्या 229 थी। यह विचार किया गया है कि पूर्व इस के कि वे एक अन्य सैनिक स्कूल की स्थापना करने के बारे में सोचा जाय, राज्य सरकार को, इस स्कूल को एक ऐसे स्तर पर लाने के लिये सुविधायें देने के प्रयत्न करने चाहिये जिस से पूर्ण संख्या में दाखला हो सके।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरला में मध्यावधि चुनाव

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर विधि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"मध्यावधि चुनावों से बचने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन करके केरल में चुनावों को स्थगित करने के प्रस्ताव के समाचार से उत्पन्न अनिश्चित स्थिति।"

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि सरकार, राज्य विधान सभाओं के लिए मध्यावधि निर्वाचनों को अपास्त करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है। किन्तु मध्यावधि निर्वाचनों को स्थगित करने या उनसे छुटकारा पाने की कोई प्रस्थापना सरकार के सम्मुख नहीं है और न ऐसा करने का सरकार का आशय ही है। अतः केरल में आगामी निर्वाचनों को स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नम्बियार : संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जो उद्घोषणा की गई थी और जिसका सभा ने अनुमोदन किया था, उसकी अवधि 22 मार्च, 1965 को समाप्त हो रही है। क्या केरला में निर्वाचन होंगे और इस अवधि से पूर्व ही वहां विधान मण्डल बन जायेगा ?

श्री अ० कु० सेन : माननीय सदस्य को इस बात का डर नहीं होना चाहिये कि वहां विधि के अनुसार निर्वाचन नहीं होंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पटनी-बोना पत्थर खान में हुई दुर्घटना के बारे में मुख्य खान निरीक्षक का प्रतिवेदन

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं पटनी-बोना पत्थर खान (बकुडीह) जिला सन्थाल-परगना, बिहार में 13 अक्तूबर, 1964 को हुई घातक दुर्घटना के बारे में मुख्य खान निरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा के पटल पर रखता हूं। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 3609/64)**

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): मैं श्री हाथी की ओर से अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 3 में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक 28 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1960 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या 3610/64)**

वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा भारत स्थित चीन के दूतावास को दिया गया नोट और भारत स्थित चीन के दूतावास द्वारा वैदेशिक कार्य मंत्रालय को दिया गया नोट

श्री दिनेश सिंह : मैं निम्नलिखित पत्र सभा के पटल पर रखता हूं :

(1) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा भारत स्थित चीन के दूतावास को 8 दिसम्बर, 1964 को दिये गये नोट की एक प्रति ।

(2) भारत स्थिति चीन के दूतावास द्वारा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, को 14 नवम्बर, 1964 को दिये गये नोट की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 3611/64]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन् मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे यह निदेश मिला है कि मैं लोक-सभा को सूचना दूं कि राज्य-सभा अपनी 10 दिसम्बर, 1964 की बैठक में लोक-सभा द्वारा 3 जून, 1964 को पास किये गये गन्दे क्षेत्र (सुधार और सफाई) संशोधन विधेयक, 1964 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।"

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : TWELFTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रीमती मा० चन्द्रशेखर द्वारा 11 दिसम्बर, 1964 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि यह सभा वर्ष 1962–63 के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के बारहवें प्रतिवेदन पर, जो 24 नवम्बर, 1964 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I welcome the Report presented to the House. But in this connection I would like to say that the aid given by the Government to the Scheduled Caste and Scheduled Tribes is not sufficient. Moreover this aid does not reach them and they are exploited by the middlemen. The Government should look into it. The Country is being industrialised and these people should be posted on higher posts. In the Government offices these people are extended step-motherly treatment and are made the victim of favouritism. This should be done away with. Even today you will come across untouchability in many of the villages. These people there are denied the right to draw water from the wells. People who try to extend good treatment to them are threatened with social boycott. There should be an end to these things.

[Shri Hukam Chand Kachhavaiya]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[Mr. Deputy Speaker in the chair]

Now I would draw the attention of the Government to the sad plight of the aboriginals. These people are more or less paupers. The Christian missionaries are exploiting them. On the plea of secularism the Government do not check the activities of these missionaries. The Government should see that these people are not forced to change their religion. Neogy Committee submitted its report in this connection but no action has been taken by the Government in this regard. There was one other report also but no heed was paid to that too. The recommendations given in these two reports should be implemented. The condition of aboriginals in Madhya Pradesh is very appalling. These people were deprived of their land and their huts were burnt. This should be looked into. Government should take some steps for the betterment of these people. They are harassed because they voted for the candidate of Jana Sangha. I would like to know why these people are put to so many difficulties. The Government should look into this and allot them land and ensure that they get good jobs. I will say without any hesitation, that the persons who belong to Congress party have benefited from the aid meant for these people and amassed much property. The Government should see that the aid meant for these people reaches them.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr Deputy Speaker, Sir, I rise on a point of order. This Report relates to the Ministry of Home Affairs but there is no representative of this Ministry in the House.

The Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen.): The department has changed now.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Government should pay more attention to these people and make them worthy of some contribution to the society as a whole. Further conversion of their religion should be stopped. All the parties should put forth their efforts for the upliftment of these people as the Government cannot solve all their difficulties single handed.

श्री बसुमतारी (ग्वालपाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रतिवर्ष ऐसे प्रतिवेदनों पर चर्चा करते हैं और इन प्रतिवेदनों में प्रतिवर्ष लगभग वही बातें दी गई होती हैं। परन्तु फिर भी मैं कहूंगा कि पिछले वर्षों की तुलना में यह प्रतिवेदन कुछ अच्छा है। पिछले कई सालों से हम सरकार से यह निवेदन कर रहे थ कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के विकास के इस कार्य को गृह मंत्रालय से हटा कर और किसी मंत्रालय को सौंप दिया जाये क्योंकि गृह मंत्रालय बहुत व्यस्त रहता है। मैं श्री सेन को इस विभाग का कार्यभार संभालने पर बधाई देता हूं। पिछले दस वर्षों में इन की शिक्षा और नौकरियों के बारे में कुछ भी नहीं किया गया। इस प्रतिवेदन से पता चलता है कि सरकार ने किस प्रकार इन लोगोंको इन सुविधाओं से वंचित रखा है। और जब यह देखा गया कि इस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई है तो अब दस वर्ष की अवधि और बढ़ा दी गई है। अब समय आ गया है कि सरकार यह आश्वासन दे कि इसी अवधि में इन लोगों के विकास का कार्य पूरा हो जायेगा तथा इस अवधि को अब और आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।

मुझे पता लगा है कि इस बारे में गृह मंत्रालय में एक विशेष शाखा खोली गई है और उस में बहुत से पदाधिकारी रखे गये हैं। परन्तु यही पदाधिकारी संविधान में आदिम जातियों के लोगों के उत्थान

के लिये रखे गये उपबन्ध का विरोध करते हैं, भारत सरकार की नरतत्वीय (एन्थ्रोपोलाजिकल) अनुसन्धान संस्था के निदेशक ने इन आदिम जातियों के लोगों के लिये संविधान में रखे गये विशेष उपबन्धों के लिये गोहाटी में सरकार की आलोचना की। मुझे आशा है कि इस पदाधिकारी के विरुद्ध, जो इन जातियों के विकास के लिये एक उत्तरदायी पद पर काम कर रहा है, सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी। मंत्री और सचिव भी सरकार की नीति की निन्दा नहीं करते तो इस पदाधिकारी ने यह साहस कैसे किया। सरकार की नीति की पदाधिकारीयों द्वारा निन्दा हो तो हम कैसे आशा रख सकते हैं कि पद्दलित लोगों का विकास होगा। आदिम जाति के लोगों को नौकरियां आदि और शिक्षा की सुविधायें देने में की अन्याय नहीं होता बल्कि इस सभा में भी उन के प्रति अन्याय होता है। इसका कारण नेताओं की उनके बारे में प्रतिकूल धारणा है। उनका यह विचार है कि आदिम जाति के लोग देश का उन्तरदायित्व, नहीं सम्भाल सकते।

प्रतिवेदन को देखने से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कितने लोगों को नौकरियां दिलाई गई। 8394 प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं और इन में केवल 91 अनुसूचित जातियों में से और 16 आदिम जातियों में से। यही स्थिति अन्य श्रेणियों की भी है। दूसरी श्रेणी के कुल अधिकारी 14,411 हैं और इन में अनुसूचित जातियों मे से केवल 352 और आदिम जातियों में से 41 हैं। यह आंकड़े मैं ने स्थायी पदों के बारे में दिये हैं। अस्थायी पदों की भी यही स्थिति है। इस बारे में अपने प्रतिवेदन में आयुक्त ने दिया है कि जहां तक नौकरियों का सम्बन्ध है संघ लोक सेवा आयोग ने तो ठीक ही मत व्यक्त किया है परन्तु नौकरियां दिलाने वाले दूसरे प्राधिकारों द्वारा दिये गये तर्क को नहीं माना जा सकता। ऐसे उदाहरण मिले हैं जिन से पता लगता है कि इन जातियों के व्यक्ति लिखित परिक्षाओं में सफल हुये है परन्तु उन्हे इस लिये नहीं लिया गया कि इन्टरव्यू में उन्होंने कम नम्बर प्राप्त किये हैं। क्योंकि इनको नियुक्त नहीं करना होता है इसलिये इन्हे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है। आयुक्त ने यह भी कहा है कि यह साधारण ज्ञान की बात है कि इन्टरव्यू पर निर्भर नहीं किया जा सकता। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करुंगा कि वह इस विषय में कुछ कार्यवाही करें। संविधान में इन लोगों के विकास के लिये उपबन्ध तो किया गया था परन्तु आरम्भ से ही इन की संख्या बहुत कम बताई गई है। अफ्रीका को छोड़ कर भारत में ही इन लोगों की संख्या सब से अधिक है। आसाम के चाय बागान के बारह लाख श्रमिकों को इन जातियों में नहीं लिया गया है। ऐसा ही अन्य दूसरें राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में हुआ है। जब मैं ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया तो सरकार ने इन लोगों को आदिम जातियों में सम्मिलित न करने के कई कारण बताये। उन्होने कहा कि इन लोगों को विकासकार्य और शिक्षा सम्बन्धी कुछ सुविधायें ही दी जा सकती हैं। इन लोगों को भी छात्रवृत्तियों की सुविधायें मिलनी चाहिये और सेवाओं में इनके स्थान भी सुरक्षित होने चाहियें। राजनैतिक कारणों से इन लोगों को यह सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। सरकार नहीं चाहती कि आदिम जातियों के लोग बहुत संख्या में हों क्योंकि फिर वे संसद में और विधान मण्डलों में अधिक संख्या में आ जायेंगे। इसीलिये मैं ने कहा है कि केवल संसद के बाहर ही नहीं बल्कि संसद में भी इन लोगों को न्याय नहीं मिलता।

Shrimati Minimata (Balada Bazar) : It is regrettable that there is no noticeable improvement in the economic and social conditions of Schedule Castes. untouchability has not been removed from the villages. As has been pointed out in the Report, the plight of Harijans in seven districts of Madhya Pradesh is deplorable. They are being driven out of the villages. They are the victims of police atrocities. I have received so many complaints regarding this. Seeing all this how can we claim that we have been extended all our rights. It is very essential to remove the untouchability from amongst the Government officials also. This will have good effect on the public at large. The other point I will touch is that the Panchayats are going to be constituted in Madhya

[Shrimati Minimata]

Pradesh. But nomination papers of the Harijans and aboriginals have been rejected without any basis. Government should look into it and also ask the Madhya Pradesh Government to take urgent steps to remove untouchability from that area. Madhya Pradesh Government have recently taken a decision to promote the officers who will take special interest to remove untouchability. The other States should also make such steps. In the field of education the Harijans are not making much progress yet. Poverty is the main reason for this educational backwardness. Because of this thousands of children are deprived of higher education in Mahakaushal. They can study only upto middle standards. It had been decided to give them some training and post them as teachers. But it could not be done because of the ill will of the officers. In my opinion until there children are extended, the educational facilities such as scholarships etc. they will remain backward in this field. These facilities should be given irrespective of the fact whether they are capable or not as they have been leading a backward life for hundreds of years, and cannot come upto the required standard within some years. The scholarships should go into the hands of the parents and should not be handed over to the teachers as they do not make them available to the students. The grant given for the upliftment of these people should be utilized fully. In the Third Five Year Plan the Central Government allotted a sum of Rs. 83,64,000 to the Madhya Pradesh for this purpose but so far only Rs. 29,63,000 have been spent although this plan is going to end. I submit that whole of the allotted amount should be spent for their betterment.

The population of the Scheduled Castes in Madhya Pradesh was 39,12,202 in 1951 but it has risen to 42,53,024 in 1961. During these ten years this population has risen by 3,40,819. Consequently the number of reserved seats for Scheduled Castes in Legislative Assembly might have been increased by four and that for by one for Lok Sabha. But the Election Commission has reduced the Seats for Legislative Assembly by four and Lok Sabha by one. This should be looked into immediately. We wrote to the Home Ministry regarding irregularities during the census. These mistakes have not so far been rectified. In so far as the employment opportunities are concened, they are not meted out fair treatment. They are not appointed to the reserved posts in the Central as well as State Governments. In so far as encroachment is concerned these people are harassed by the authorities. They are not rehabilitated by the authorities and when they encroach on some land they are punished for that. The Report has provided for many facilities for these people. It should be seen that all the recommendations made by the Commissioner are properly implemented.

How long will we tolerate all this injustice ? Perhaps you don't realise that we are also the citizens of India. We are being denied every sort of facility and injustice is being done unto us. The officers do not take any interest to improve our lot. I hope that much attention will be paid towards these communities in future and justice will be meted out to them.

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal) : Mr. Deputy Speaker, after seeing this Report it becomes clear that the Government has failed in their task of improving the lot of backward communities. Harijans and aboriginals constitute about 20 per cent of the Indian population. But the Government have failed to effect any remarkable improvement in their conditions. It is given in the Report that a scheme for allotment of forest coupes to Scheduled Tribes in Bihar on coop-

perative basis was embarked upon but it was found that no such society was organised during the year 1959-60. Again it is regarding Bihar that the stipends were not paid to the backward class students, in time. For development of cottage industries, Training-*cum*-production centres were started but they did not impart sufficient training to the students to enable them to get employment in industrial establishments. If this is the state of affairs how can the lot of these people be improved ? In so far as cooperative societies are concerned three Cooperative farming societies were registered during 1959-60 thus bringing the total number of societies to 16. Five societies incurred a loss of Rs. 17,000. The Government has failed in the field of rehabilitation also. Only small number of people have benefited from these schemes. In the field of employment also these people have not been extended any justice. In the old Ministry of Commerce and Industry out of 188 Class I officers only four were from the Scheduled Castes. Nearly similar condition obtain in the Department of Company Law Administration and in the Ministry of Community Development and Cooperation. But the posts of sweepers are extended to these people as if they were fit only for the posts of Sweepers.

The percentage of scheduled Castes and Scheduled Tribes people absorbed in Classes I, II and III services is very low. It is not that qualified persons are not available among these people. There are now about 40,000 matriculates and Graduates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the live registers of Employment Exchanges. In such circumstances, the Central and State Governments cannot claim to have made any improvement so far as reservation of Scheduled Castes and Tribes in Government services is concerned. There is no need to appoint any more committees, but instead Government should take to the implementation of the recommendations of the Committees appointed so far. Government should lay more emphasis on physical achievement rather than on anything else. There is no denying the fact that though money has been spent on these people yet very little progress has been made in terms of physical achivement.

The Members of Parliament and Members of the Cabinet belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should evince keen interest in the upliftment of these down-trodden classes. Government propose to open Schools for the education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But, first of all, Government should try to better their lot by distributing fallow, forest or other waste lands among them which are available in abundance in this country. These people are very hard working and they can add to our agricultural production by turning those waste lands into cultivable lands. It is very sad that in Jat taluka in Maharashtra State the tribal cooperatives are being dissolved and their lands are being auctioned. Such things should be stopped forth with. The Harijans and tribal people should rather be encouraged to form cooperatives and take to cooperative farming.

श्री अच्युतन (मावेलिक्करा) : केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की शिक्षा के लिये अपने अपने आयव्ययकों में पर्याप्त धन की व्यवस्था की है परन्तु मुझे बड़े दुख: के साथ कहना पड़ता है कि संबंधित अधिकारीगण उन्हे यह रुपया पैसा देने में अनावश्यक विम्लब करते हैं जिससे उन लोगों को बहुत कठिनाई होती है। सरकार को ऐसे अधिकारियों पर अधिक निगरानी रखनी चाहिये और दोषी पाये जाने पर उन्हें उचित दंड देना चाहियें।

[श्री अच्युतन]

मेरे राज्य में बहुत से स्कूल हरिजन कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं। उनकी दशा बहुत ही खराब है। कई स्कूलों में योग्य अध्यापक तथा आवास की सुविधाएं तक नहीं हैं। यदि हरिजन कल्याण विभाग यह काम ठीक तरह से नहीं कर सकता है तो उसे यह उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग को सौंप देना चाहिये। अन्यथा हरिजनों की शिक्षा के नाम पर खर्च की जा रही राशि से वांछित फल प्राप्त नहीं होगा। इन हरिजन स्कूलों में शिक्षा का स्तर नीचा है जिससे इन स्कूलों से निकले विद्यार्थी अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों की तुलना में कम योग्य होते हैं। यह भी एक कारण है कि शिक्षा विभाग को स्वयं इन स्कूलों को चलाना चाहिये। कालेजों में हरिजन छात्रों के लिये अधिक स्थान रक्षित किये जाने चाहिये क्योंकि वर्तमान स्थान पर्याप्त नहीं हैं।

हरिजनों के हित के लिये कई बहुप्रयोजनीय सहकारी समितियों को हरिजन कल्याण विभाग की सिफारिश पर मंजूरी दी गई है। तथापि उन्हें वे लाभ प्राप्त नहीं हैं जो अन्य सहकारी समितियों को प्राप्त है जो सीधे सहकार विभाग के अन्तर्गत हैं। यह भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिये। यदि हरिजनों द्वारा चलाई जा रही समितियों को सहकार विभाग को सौंपने से उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है तो मैं उनके सहकार विभाग को सौंपे जाने के पक्ष में हूं।

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : Even after 17 years of independence nothing substantial has been done to ameliorate the conditions of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people in this country. Whatever legislation is passed in the Centre or the States, it is not enforced. The department of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which used to be under the Home Ministry has now been transferred to the Social Security Ministry which is completely unfamiliar with the problems facing the Harijan Community. An amount of Rs. 90 crores has been earmarked for the upliftment of Harijans in the Third Five Year Plan in the Centre as well as in the States. This comes to Rs. 18 crores per year. But the fact is that the schemes are not implemented and a substantial portion of the amount remains unutilised every year because the concerned departments are not interested in the uplifitment of Harijans.

Government has not as yet been able to give adequate representation to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government services. Inspite of Government's declared policy that 12½ per cent posts would be reserved for these people, hardly 2 per cent posts are manned by persons belonging to these communities. In the higher strata of posts, their representation is extremely poor, though their representation is the highest in Class IV posts. It is a mockery to talk of reservation in such circumstances. Not a single member of these communities finds a place either in the Union Pub'ic Service Commission or in the State Public Service Commissions. In such a state of affiairs, justice cannot be done to these people so far as their representation in services is concerned.

There is acute shortage of foodgrains in the country and people do not get enough to eat because of the high prices of cereals. The people of Punjab are no exception to this. The surplus lands have not been distributed among landless people who can put them to good use and relieve food shortage in the country. In Punjab the evacuee lands which were purchased by the State Government at cheap prices from the central Government are being auctioned at high prices. I would have been better if these lands had been sold at the prices at which they were acquired from the Centre. There are various other kinds of lands which should have been made available to Harijans and other landless persons. The attitude of the Government in this connection is beyond

comprehension. The agitation of the Republican Party of India regarding distribution of lands is wholly justified. Government should make a move in this direction without further delay.

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes people should also be encouraged to set up small scale and cottage industries without which this country cannot prosper.

It is high time that Government should open its eyes and take effective steps to ameliorate the conditions of these down trodden people who need upliftment. A separate Ministry should be created to solve the proplems of these people. Not only in services, but in ministerial and other diplomatic assignments also, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people who number about 20 crores should be given adequate representation.

Shri Mate (Tikamgarh) : Despite legislations and other schemes for the welfare of the Harijans, facilities are denied to those people. In Madhya Pradesh, the tribal people are being forcibly evacuated from lands which they have been cultivating for the last 15-20 years. In spite of the police excesses, the tribals have refused to vacate those lands.

Crores of rupees are being spent on schemes for providing land and housing facilities to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, but in actual practice these people are not being benefited by these Schemes. In Kotra village of Tikamgarh district, the tribal people were given Rs. 750 per family for the construction of houses. But the Patwari and the Pradhan of the Gram Panchayat realised Rs. 225/- from each one of them under one pretext or the other. They reported the matter to the Head of the village. Because of the involvement of big people of the village, no action was taken and instead a report was lodged that the money should be taken back from them as they had failed to construct houses with that money. In fact they had constructed their houses with that money. Orders were, however, issued to realise that money. In case of such non-payments, their cattle and other property including land were auctioned. Even the collector failed to take any action in that matter. They are not being given any hearing and they are living a miserable life. Such things should be stopped immediately and it should be ensured that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are actually benefited by such schemes.

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम) : चीनी आक्रमण से पूर्वोत्तर सीमान्त प्रदेश की सुरक्षा हमारे लिये एक गम्भीर विषय बन गई है। हमें उस प्रदेश के लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिये। उन्हें संतुष्ट रखना हमारे लिये बहुत जरूरी है क्योंकि वे हमारे प्रहरी हैं। इसलिये हमें नागा समस्या को मानवता की भावना से हल करने का प्रयास करना चाहिये।

असाम के आदिवासियों की समस्याएं देश के अन्य आदिवासियों से बहुत भिन्न नहीं हैं। आसाम के बागानों में अधिकांश श्रमिक अन्य स्थानों से काम करने आते हैं और वे अधिकतर मेरे जिले के आदिवासी लोग ही हैं। परन्तु जैसे ही वे बागानों में काम करने के लिये आसाम जाते हैं और वहां पर स्थायी रूप से बस जाते हैं, वे आदिवासी कहलाने के हकदार नहीं है क्योंकि संविधान की अनुसूची में उनका कोई उल्लेख नहीं है। और भी ऐसे मामले हैं। लाखों आदिवासियों को किसी न किसी बहाने उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इसलिये मैं श्री बसुमतारी से पूर्णतया सहमत हूं कि आदिवासियों

[श्री जयपाल सिंह]

की एक अखिल भारतीय अनुसूची होनी चाहिये जिससे कि उनको संविधान द्वारा उन्हें दिये गये संरक्षणों से वंचित न किया जा सके।

गारो पहाड़ियों में हुई घटनाओं से सरकार को सबक लेना चाहिये। ऐसे साम्प्रदायिक दंगे अन्य स्थानों में भी फैल सकते हैं। आदिवासी लोगों को और अधिक नहीं दबाया जा सकता। अब वहां पर संचार साधनों की व्यवस्था कर दी गई है और वे अब एकाएकी जंगलों में नहीं रह रहे हैं। अब उनमें चेतना आ गई है। और वे कुछ समझने लगे हैं। आदिवासी बहुत ही जल्दी उत्तेजित होने वाले लोग हैं और जब उन्हें दिये गये आश्वासन पूरे नहीं किये जाते हैं तो वे हताश हो जाते हैं।

अधिकारियों को आदिवासी लोगों के बीच किसी विशेष उद्देश्य से जाना चाहिये। परन्तु वास्तव में वे उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें आदिवासी भाषा तक की जानकारी नहीं होती। कहा जाता है कि आदिवासियों की शिक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं और वे लोग अच्छी तरह से परीक्षाएं पास कर रहे हैं। परन्तु विचित्र बात है कि सरकारी नौकरियों में वे कहीं भी नजर नहीं आते। केन्द्रीय परियोजनाओं में भी स्थानीय लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता है। भारी इंजीनियरिंग परियोजना में आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी 500 रुपये तक की नौकरियों में स्थानीय लोगों को भर्ती नहीं किया गया है। यहां तक कि उस राज्य के व्यक्तियों को भी उसमें नौकरियां नहीं दी गई हैं। किसी न किसी बहाने स्थानीय लोगों को अस्वीकार कर दिया जाता है।

आदिवासियों की दो मुख्य समस्याओं में से एक समस्या भूमि की है। उनको उस भूमि से निकाल दिया जाता है जिस पर वे अपना निर्वाह करते हैं। झारखण्ड कोयला क्षेत्र में उनकी भूमि का अधिकाधिक अर्जन किया जा रहा है। जैसे ही कोयले का पता लगता है उनको भूमि से निकाल दिया जाता है और मुआवजे आदि की बात बाद में की जाती है। बिहार तथा मध्य प्रदेश कोयले तथा अन्य खनिज पदार्थों की खान हैं। इस लिये सरकार को इस मामले में गम्भीरता से विचार करना चाहिये। उन्हें भूमि से तब तक नहीं निकाला जाना चाहिये जब तक उन्हें बदले में भूमि न दे दी जाये। भूले समझ कर आदिवासियों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है। लेकिन अब उनमें जागृति आती जा रही है और सरकार को अब अधिक सावधान हो जाना चाहिये।

आदिवासियों की दूसरी समस्या बेरोजगारी की है। ज्योंही आदिवासी युवक अथवा युवतियां शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं। वे गांवों में वापस जाना नहीं चाहती। यदि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें काम पर नहीं लगाया जा सकता तो ऐसी शिक्षा देने का औचित्य ही क्या है। मैं यह नहीं चाहता कि आदिवासियों के हमेशा संरक्षणों पर ही निर्भर करना चाहिये। परन्तु इन संरक्षणों के न होते हुए भी मानवता के नाते उन के कुछ अधिकार हैं। मेरी राय में हरिजनों तथा आदिवासियों के लिये कुछ प्रतिशत पद अवश्य ही रक्षित किये जाने चाहिये। अन्यथा वे सरकारी नौकरियों में नहीं आ सकेंगे। हां, मैं यह नहीं चाहता कि उन्हें स्वतःही सबसे पहले पदोन्नति दे दी जाये अपितु उनके कार्य के आधार पर उन्हें पदोन्नति दी जानी चाहिये।

सरकार को पंचायती राज के नाम में आदिवासियों के रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिये। जो भी परिवर्तन किया जाये, वह उनकी सहमति से किया जाना चाहिये।

Shri Balmiki (Khurja) : The department of the Commissioner of Scheduled Caste and Scheduled Tribes has proved to be lifeless. Nothing is being explained regarding the programmes that have not been implemented. The State Governments have often exhibited an attitude of indifference in the implementation of the recommendations which have been made from time to time in the various reports of the Commissioner for Scheduled Caste and Scheduled Tribes and other backward Classes.

It is really unfortunate that nothing has been achieved even after the seventeen years of independence, the conditions of the Scheduled Castes and the other backward classes remained the same. There has no sign of satisfactory improvement. The national integration is to be strengthened at the present moment. This national integration is all the more important in view of the Chinese threat and the attitude of other neighbouring countries. I may humbly submit that this untouchability is a great impediment in the way of national integration. I am of the opinion that this problem must be tackled on a national basis.

It is all a very sad affair that all the allocations which are made for the various schemes aiming at the welfare of backward classes are not properly utilised. There was a hope that the lot of the Harijans will improve with the introduction of Panchayat Raj. But the introduction of Panchayat Raj has not improved their condition in the villages. These people still continue to suffer ill treatment and indignities. I humbly suggest that a high level Conference should be called to tackle the various issues concerning the people of the backward classes. Attention should also be paid to improve their lot.

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : I want to draw the attention of the House towards this fact that even so long after the independence it is a common spectacle to see the women folk of the Harijans carrying nightsoil on their head. I think nothing can be more inhuman and disgraceful than this. I feel it is really shameful to allow such things to continue in a democratic country. Government must see to this problem and devise ways and means to avoid that practice and take concrete steps immediately to stop it. So long as that system will remain, there is no hope that untouchability will disappear from the country.

I would like to refer the religious conversion amongst the Harijans. The fact is that these religious conversions are often the result of atrocities suffered by the individuals. There are various problems regarding the welfare of Harijans. Only bold measures on the part of the Government will help in solving the various problem which are at present retarding the progress of the backward classes. If we don't try to improve the lot of the Harijans, we will be unfit for democracy.

श्री प० कुन्हन (पालघाट) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का यह बारहवां प्रतिवेदन है । इसमें उन समस्त बातों पर प्रकाश डाला गया है जिसका सम्बन्ध इन दुर्भाग्यशाली लोगों से है । मेरा इस बारे में निवेदन यह है कि प्रतिवेदन पढ़ने से यह पता चलता है कि इन लोगों का स्तर काफी ऊंचा हो गया है, परन्तु वास्तविकता यह है कि 17 वर्ष की स्वतन्त्रता और 13 वर्ष के आयोजन के बाद भी ये बेचारे वहीं के वहीं है ।

अधिकतर हरिजन कृषि श्रमिक हैं । वे लोग जमीदारों की कृपा पर होते हैं । सरकारने द्वितीय कृषि श्रमिक जांच समिति के प्रतिवेदन को किसी भी राज्य में कार्यान्वित नहीं किया । यह अत्यन्त गम्भीर विषय है । सरकार इस बात का दावा करती है कि उसने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर करोड़ों रूपये व्यय किये हैं । परन्तु समय समय पर क्या प्रगति हुई है, इस विषय के सही प्रतिवेदन भी सरकार ने राज्यों से प्राप्त नहीं किये । इससे यह सिद्ध होता है कि इस समस्या के प्रति राज्य सरकारों का दृष्टिकोण अवहेलना का है ।

केरल में हरिजन विभाग द्वारा कई स्कूल चलाये जाते हैं । 14 या 15 वर्ष तक सेवा कर लेने के बाद भी कितने ही अध्यापक अभी तक अस्थायी हैं । यह बहुत गम्भीर बात है । सरकार को इस मामले पर विचार करके उन अध्यापकों को स्थायी बनाना चाहिए । इसके अतिरिक्त केरल शिक्षा नियम

[श्री प० कुन्हन]

उस राज्य के उन सभी अध्यापकों पर लागू होने चाहिए। पिछड़े वर्गों के लोगों की आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिये तुरन्त उपाय करने की जरूरत है। सरकार को ठोस कार्यवाहियां करनी चाहिए ताकि उन लोगों की आर्थिक दशा उत्तम हो सके।

श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : यह खेद की बात है कि 19 वर्ष के बाद भी देश के पिछड़े वर्ग की स्थिति सुधारी नहीं गयी है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन बहुत निराशाजनक है।

तीसरी योजना में पिछड़े वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों, से संबंधित कल्याण कार्यों के लिए 114 करोड़ रूपये नियत किये गये हैं। भारत जैसे गरीब देश में यह राशि कम नहीं है। यदि इस राशि का ठीक तरीके से प्रयोग किया जाता तो हमें इसके अनकूल ही अपने उद्देश्य में सफलता मिल सकती थी, परन्तु दुर्भाग्य से हम इस क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं कर सके हैं।

यह सही है कि अब अस्पृश्यता पहले जैसी नहीं रही है। परन्तु इस मामले में हमारे अन्दर आत्मतुष्टि की भावना आ गई है। हम समझते हैं कि हम ने अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये सेवाओं में तथा विभाग मण्डलों में पर्याप्त पद आरक्षित किये हैं। परन्तु जिस तरीके से हम इन लोगों को भारत के शेष लोगोंके साथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं वे तरीके हमारे उद्देश्यों से सर्वथा भिन्न हैं। अब भी लोग पिछड़े हुए हैं और देश के कुछ भागों में अस्पृष्यता की प्रथा अब भी कायम है। हमारी सामाजिक चेतना में समय के अनुसार परिवर्तन आना चाहिए। बेहतर यह होगा कि हम अपने उद्देश्यों को भलीभांति समझ लें।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिए पृथक छात्रावास नहीं होने चाहिए। जब तक हमारी कल्याण सेवाओं का स्तर एक जैसा नहीं होता हम प्रगति नहीं कर सकते। और न ही समाजवादी समाज की रचना ही सम्भव हो सकेगी। आशा करनी चाहिए कि आगामी वर्ष में दशा सुधर जायेगी।

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : We are discussing the 12th report of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is very sad that we have not done any progress in this direction. I have been a member of the Parliament since 1952 and have been impressing since then that the ownership of the pucca houses constructed by the Harijans in the various Harijan colonies in the cities should be given to them. But nothing has been done in this connection.

It is also a matter of concern that most of the trades in which Harijans are engaged are being gradually nationalised one after another. This has been the cause of widespread unemployment among the Harijans. I am also of the opinion that the money which is being spent at present for the welfare of the Harijans is very small. In the same way the amount of scholarships meant for Harijan students in many cases do not reach them, and the result is that they are greatly handicapped in the matter of pursuing their studies.

The upliftment of Harijans is a very serious problem that it is not being solved by the Government. The fact in this matter, in my opinion, is that various suggestions and recommendations which have been made from time to time in this direction have not being properly implemented. My demand is that a seperate Ministry be created for dealing with the problems of Harijans. It is the interest of 8 crores of the people.

It is also very sad affair that there are short faces in the allocations made for the welfare of Harijans. Then, whatever amount is being spent is not properly spent. It is the result of the half-hearted efforts that there is a great discontentment amongst the Harijan people in general. The unemployment and starvation is rapidly increasing in them. Government should pay serious attention towards this problem.

I also like to submit that Government should not forget that their very existence will be at stake if the Harijans withdraw their support to it. If the Government want that they should get the support of the Harijans they should make every possible effort to improve the deteriorating conditions of these unfortunate and helpless people. I hope the Hon. Minister will consider my suggestions.

Shri Maurya (Aligarh) : The fact that the Report on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1962-63 has been placed in the House for consideration after so long a time betrays in attitude of indifference adopted by Government towards the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Government has totally disregarded the Constitution in this matter. Article 46 of the Directive Principles of State Policy says :

> Article 46 : Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections : The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

Seventeen years have passed since we achieved independence. May I know from the Government what has so far been done to raise their social status, to improve their economic condition, to give them educational facilities.

Government's apathy towards those people cannot be attributed to its inherent nature. There are some other reasons also for that. The Members of Parliament and Legislative Assemblies elected for the reserved seats have no voice of their own. They become mere tools in the hands of others. If they voice their grievances emitedly the Government will be forced to implement all the recommendations contained in the Report.

Recently I had been to Gujarat. There the members of the Gram Panchayat belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes told me that although they were members of the Panchayat, they had never been called to attend the meetings of the Panchayat. The untouchables are not allowed to touch the heap of wheat in the market while asking the rate. They are forbidden to draw water from the wells constructed by public money and have to fetch water from rivers and rivulets.

On page three of the report there is a reference to the Advisory Committees. Advisory Committees are there at different places in the States. Their Members are regularly drawing their pay and allowances but they never hold a meeting. Such cases are enumerated below :—

Assam, not available; Bihar, once ; Gujarat, twice ; Jammu and Kashmir, nil; Kerala, three times—progressive; Madhya Pradesh, not available, Madras,

[Shri Maurya]

not available; Maharashtra, once; Mysore, not available; Orissa, nil ; Punjab, nil; Rajastan, once; Uttar Pradesh, nil ; West Bengal, once; Delhi, not available; Himachal Pradesh, not available; Manipur, twice and Tripura once.

Further it is given in the Report :

> It would be observed from the above Table that no meetings of these committees were held in Jammu and Kashmir, Orissa, Punjab and Uttar Pradesh. It is to be regretted that these committees do not meet regularly as provided for in the rules. As discussions held at these meetings very much help in assessing the progress made in the implementation of various programmes, it is important that they should meet regularly.

I am of the opinion that the Panchayati Raj which is said to be essentially based on Ram Raj, is mainly responsible for the exploitation of the untouchables. Decentralisation of power is not in the interest of the weaker sections of society. So long as the persons who hate Harijans, who run away from the shadow of a Harijan continue to have a hold in the ruling party, in the Panchayats, in District Boards and District Councils we shall not be able to dispense justice to the Harijans. The District Magistrates and Deputy Commissioners should be empowered to express their opinions against the decisions of the Panchayats where they clash with the interests of the Harijans.

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई]

[Dr. Sarojini Mahishi in the Chair.]

I would like the hon. Speaker to appoint a special Committee to look into this Report. The Republican Party of India has started an agitation. I may make it clear to the Government that we have no new demands to put forth. The Untouchability offences Act is there to punish the offenders. But it has remained quite ineffective.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the Chair.]

Untouchability is rampant, not only in villages but also in cities, in Government offices and in courts where justice is administered. There is the glass tumbler for the Harijan lawyer and steel tumbler for the Brahman lawyer. Even in this very office under your immediate control the members of the staff belonging to upper classes have been provided with steel tumblers and those belonging to the lower classes with glass tumblers.

Our demand is that waste land should be distributed amongst the unemployed, the down trodden and the agricultural labour. This will increase the agricultural production of the country and at the same time mitigate their exploitation. About 1000 volunteers have been arrested all over the country. If the Government do not accede to our request we will be forced to take possession of the lands.

Twelve per cent seats have been reserved for these people. But they are taken in negligible numbers. There are Harijan law graduates and Barristers. But they are rejected on the lame excuse that they are not upto the mark. It pains me to note that justice is not being done to them.

A separate Ministry has come into existence for the persons who become refugees for a little time. I do not object to it. My contention is why a separate Ministry has not been set up for the persons who have suffered for thousands of years in the name of religion, civilisation and culture. If this is not done very soon I warn that a revolution may be inevitable. D.I.R. is not going to check this revolution. A Ministry under the charge of a Minister of Cabinet rank should be set up for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. A special high power Commission should also be appointed which should look into the Question as to how their economic condition can be improved. The Commission should also report about the *per capita* income of the Harijans and suggest ways and means of increasing it.

Shri Uikey (Manola) : The Scheduled Tribes people satisfied themselves with the idea that about 500 development blocks are going to be created in their areas under the Fourth Five Year Plan. I am of the opinion that they ought not have been satisfied with this. The report of the commissioner does not give any idea that something is being done for these people by the Government. I will not go in details but say something regarding the recommendations contained in the Report.

I am of the opinion that the democratic decentralisation of power has not benefitted the Scheduled Tribes. Not it has been useful for the other section of the backward classes. We will give money to all the development blocks to spend. At least 10 lakhs will be given to each block. This money will not be spent by Gram Panchayat properly. The imposition of tax by the Gram Panchayats on the advance given to Scheduled Tribes for housing purposes should be discontinued. This is not serving the interests of these classes according to desired end.

I may also bring into your kind notice that in Madhya Pradesh there are lakhs of people who have been classified as Scheduled Tribes in some tehsils which in others, the same class of people have not been treated as the member of the same class. This is causing a great hardship to the people. And owing to that there is a great discontentment amongst the people. This system should be discontinued immediately. There should be no anomaly in this direction.

Government have passed laws for the protection of the Scheduled Tribes but they are not helping these poor people. In Madhya Pradesh there is a system of bonded labour. This is a shear exploitation of the labour class here. This should be brought to an end. Similarly the problem of debts. Rich people advance loans and then set the lands of the people transfer in their names. I want to urge upon the Government that the System of transfer of land without any sale deed should be brought to an end.

I also like to draw the attention of the house to the fact that there is a huge short face in the expenditure and Scheduled Tribes Welfare Schemes. Also the money spent in this connection is not properly spent. I shall urge upon the Government that speed up the welfare work amongst the Scheduled Tribes that sufficient money may be given for these Welfare Schemes. The Government should also see that amount allotted for this welfare work is properly spent in full. This is very important.

[Shri Uikey]

Now I come to the other question of equal importance. One of the main causes of the high percentage of failures amongst the Scheduled Tribes students is the delay caused in paying the scholarships to them. Due to this great handicap is created amongst the poor people, whose main source is the scholarship alone. I therefore submit that Government should see that all the scholarships are paid well in time. This is the only way by which the real purposes of the Scholarships will be achieved. Amount of the scholarships of those who have gone abroad should be increased.

This has also been brought into the notice of the Government that more development blocks have been started even in the areas where there is almost no or very little population of the Scheduled Tribe. There is no development block in the areas where the scheduled tribes are in very large number. The honourable Minister should look into the matter and see that needful is done and the wrong is set right at an early date.

I would also like to request the Honourable Minister that proper steps should be taken to resettle the evicted Adivasis on the land. Because the landless people amongst these classes are in great number. Some suitable arrangement may be made to ensure that these people get regular supply of drinking water. There is terrible shortage of drinking water in the Adivasis areas. The large scale conversions are going on the Adivasis areas. This conversion is doing great harm. This large scale conversion should be stopped by the Government, there were only 1 lakh Christian in India in 1942. 1961 this number was raised to 120 lakhs. But of them were taken from Scheduled Tribes. It is really very sad that our Government are helping the Christian Institution doing the conversion work.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, चर्चाधीन विषय केवल किसी वर्ग विशेष की ही समस्या नहीं अपितु अखिल भारतीय समस्या है। अत: सभा में ऐसा वातावरण पैदा किया जाना चाहिए जिससे सभी वर्गों के सदस्य मामले में रुचि लें।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त तथा योजना आयोग द्वारा आयोजित गोष्ठियों के प्रतिवेदनों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम के कल्याण की समस्या को इन समस्याओं पर पृथक पृथक रूप से विचार करके हल नहीं किया जा सकता है। उनकी समस्याओं का वास्तविक हल उनकी प्रगति के लिये सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक विकास के लिये एक समेकित कार्यक्रम बनाकर ही हो सकता है।

1961 की जनगणना से यह बात सामने आती है कि अनुसूचित जातियों के कुछ वर्ग अधिक उन्नत हैं और कुछ अन्य वर्ग बहुत कम। इस बात का मूल्यांकन करने के लिये एक माप दंड निर्धारित किया जाना चाहिए कि कौन सी जाति अधिक उन्नत है ताकि समाज के उच्च वर्ग के लोगों के साथ उसकी एकता स्थापित की जा सके। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कोई वर्ग विशेष इतना उन्नत हो गया कि उसके पिछड़े वर्गों के साथ मिलाया जा सकता है वैसा ही किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह उनमें यह भावना पैदा होगी कि वे आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टियों से उन्नत हो गये हैं। उन्हें वही सुविधायें दी जानी चाहिए जो पिछड़े वर्ग के लोगों को प्राप्त हैं।

प्राय : देखा जाता है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों का उपयोग कोई विशेष वर्ग ही कर पाता है जब कि अन्य वर्ग पिछड़े होने पर भी उनका लाभ नहीं उठा सकते हैं। अत: मेरा अनुरोध

है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण उनके आर्थिक तथा सामाजिक विकास के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि सभी लोगों को उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो सके ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के 90 से 97 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उनमें अधिकांश लोग अपना जीवन निर्वाह अत्यन्त कठिनाई से कर पाते हैं। वे लोग न तो अपने वर्तमान व्यवसाय को छोड़ कर कोई दूसरा व्यवसाय करने के लिये तैयार हैं और न ही किसी दूसरे स्थान में जाकर काम करना चाहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इनके लिये कल्याण कार्यक्रमों को क्षेत्रवार क्रियान्वित किया जाना चाहिये। हो सकता है कि किसी क्षेत्र में गहन कृषि कार्यक्रम की आवश्यकता है किन्तु उस कार्यक्रम को पृथक से लागू नहीं किया जा सकता है। भूमिहीन लोगों को केवल भूमि देने मात्रसे समस्या हल नहीं हो सकती है। अतः कोई ऐसा अभिकरण स्थापित किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को परामर्श तथा ज्ञान मिल सके और इन लोगों को ऋण, औजार आदि दे सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का स्तर बहुत बहुत गिरा हुआ है। उनकी औसत आय 15 रुपये महीने है। उन लोगों में एक यह भी होती है कि वे अपना जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। यह सब अज्ञान के कारण होता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को विशेष सुविधायें दी जानी चाहिए तथा उनके लिये विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि इन लोगों में दीन भावना घर कर गई है। ये सब सुविधायें देने के बाद ही उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहिए। यदि ऐसा किया जाये तो वे बहुत बढ़िया परिणाम दिखायेंगे।

Shri Utiya (Shahdol) : Inspite of the sincere efforts being made for the uplift of the backward Classes the problem of landless Adivasis is still remains to be solved. They have been evicted from the lands which they had been tilling for a long period and they are not being given some other land. So far as small scale industries are concerned, no steps have been taken by the Government to develop the small scale and rural industries and means of transport and communications in the Adivasi areas.

Rural credit and marketing programme launched by the Government has proved a total failure in the rural areas with the result that people have no alternative but to approach the money lenders for loans at high rates of interest. These money lenders are exploiting the Adivasis. The Government should take some effective steps to remove the existing economic disparities in the society. If Government is really determined to bring about socio-economic development of this class of people, it should see that educated people from amongst the adivasis alone are appointed to look after their welfare.

If the Government really want to improve the condition of Adivasis it should properly implement the recommendations made in the report of the Commission, otherwise, the discontentment among the people, who are already agitated, is likely to aggravate further.

Shri Jena (Bhadrak) : The people's expectations that the lot of backward classes would be improved and untouchability would be removed from the Country after the independence has been belied. Very little improvements have been

[Shri Jena]

brought about in this direction during the last seventeen years. The report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes contained some very good suggestions. It would be better if the report is considered by the State Legislatures also, so that they may also take necessary steps to improve the conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Government should accept the suggestions made by the Commission and implement them effectively.

The Government should more appropriately set up a separate Ministry to deal with the problems relating to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is unfortunate that while a separate Ministry has been dealing with the problems of the people who have been displaced as a result of the partition of the country, no separate Ministry has been set up by the Government to look after the welfare of the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who, as a a matter of fact, have been 'refugee' for Centuries.

It is regrettable that Government propose to stop assistance being given to Harijans and Adivasis. The Government should extend this concession to such an extent which will enable the Harijans and Adivasis to stand on their own legs like others. Government should incur more money on the welfare of these people in rural areas.

It is a matter of regret that no worthwhile provisions have been made by the Government for the uplift of the backward classes in their community development plans. The Government should take more effective steps for the amelioration of their lot.

श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मनीपुर) : यह सराहनीय बात है कि सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याणसंबंधी कार्यों पर काफी धन व्यय कर रही है । किन्तु उनके कल्याण के लिये बनाये कार्यक्रमों को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन में इन जातियों के विकास सम्बन्धी योजनाओं की क्रियान्विति में कमी और विलम्ब के बारे में कई उदाहरण दिये गये हैं । प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि आसाम, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात आदि राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विकास सम्बन्धी सही प्रगति का प्रतिवेदन तैयार करने में किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया है । इससे ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें दिल लगाकर इन जातियों के लिये कार्य करते नहीं हैं । इससे यह बात भी साबित होती है कि उन्होंने इसलिये सहयोग नहीं दिया है क्योंकि उन्होंने इन वर्गों के लिये कोई सारभूत कार्य नहीं किया है । अत: मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार, दोनों को ही समस्या की गंभीरता को समझना चाहिए और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिये कदम उठाना चाहिए ।

ऐसे भी अनेक उदाहरण मौजूद हैं जब कि कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत उपबन्धित धनराशि उन योजनाओं पर व्यय की गई हैं जिन्हें योजना के सामान्य क्षेत्र के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा सकता था । योजनाओं को बहुत विलम्ब से आरंभ किया जाता है जिससे वे पूरी नहीं हो पाती हैं । अत : सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योजना यथा समय आरंभ की जाये और इनकी समुचित क्रियान्विति सुनिश्चित रखने के लिये कड़ा नियंत्रण रखा जाये ।

आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में आशाजनक कार्य हुआ है और शिक्षा के लिये आवंटित धनराशि पूरी-पूरी व्यय की जा चुकी है किन्तु इस क्षेत्र में अभी काम किया जाना बाकी रहता है । कुछ भागों में तो अभी तक आदिम जाति के बच्चों के लिये अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं की गई है । अभी तक किसी भी क्षेत्र में स्कलों के बच्चों के लिये दोपहर

के भोजन की व्यवस्था नहीं की गई है। अभी तक प्रत्येक आदिम जाति खंड में हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं खोले गये हैं। विद्यार्थियों के लिये छात्रावास सम्बन्धी व्यवस्था की कमी है। सरकार को इन सभी बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करके उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

आदिम जातियों वाले क्षेत्रों में हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या बहुत कम है। ये अध्यापक अधिक योग्यता प्राप्त भी नहीं हैं। इसका कारण यह है कि प्रशिक्षण प्राप्त योग्य अध्यापक इन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। अतः सरकार को उन क्षेत्रों में योग्यता प्राप्त अध्यापकों की व्यवस्था करने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिए। योग्यता प्राप्त अध्यापकों को उचित वेतन तथा पर्याप्त सुविधायें दी जानी चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

यह सराहनीय बात है कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकारों द्वारा यह राशि छात्रों को समय पर नहीं दी जाती है जिससे उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। अतः समस्या की गंभीरता को देखते हुए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिले।

आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों का बहुत कम विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में बांस, बेंत, बढ़ई का काम, फल आदि अनेक उद्योग स्थापित करने की गुंजाईश है। अतः यदि सरकार वास्तव में पिछड़े वर्ग के लोगों की ओर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक दशा को सुधारना चाहती है तो उन क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिये कदम उठाने चाहिए।

आदिम जातियों वाले क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या हल नहीं हो पायी है। आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार केवल आसाम राज्य में अभी 2,380 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करना बाकी है। गुजरात में 4,496 गांवों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। अतः सरकार को इन क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिए।

यह सच है कि सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिये स्थान रक्षित होते हैं। किन्तु व्यक्तित्व परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण पिछड़े वर्ग के लोग रक्षित स्थानों में सेवाओं पर नहीं रखे जाते हैं। समझ में नहीं आता कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर व्यक्तित्व परीक्षा लेने का क्या औचित्य है। अतः मेरा अनुरोध है कि सेवाओं में भर्ती से पहले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की जो व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। पदोन्नति के मामले में इन लोगों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए।

इस समय आदिम जाति के लोगों को मकान बनाने के लिये केवल 500 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि बहुत कम है। अतः यह राशि बढ़ाकर 2,000 की जानी चाहिए।

श्री दशरथ देब (त्रिपुरा-पूर्व) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा प्रति वर्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तथा उस पर सभा में विचार किया जाता है। प्रतिवेदन में सदैव इन जातियों के कल्याण के लिये अनेक सुझाव दिये जाते हैं और सरकार द्वारा अनेक आश्वासन दिये जाते हैं। सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद भी इन जातियों की मूल समस्यायें पूर्ववत बनी हुई हैं। प्रतिवेदन के अनुसार वास्तव में कई आदिम जाति वाले क्षेत्रों में लोगों की दशा पिछले कुछ वर्षों में और अधिक बिगड़ गई है।

[श्री दशरथ देब]

देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप काफी संख्या में पाकिस्तान से शरणार्थी आकर त्रिपुरा में बस गये हैं जिससे वहां भूमि पर भार बहुत बढ़ गया है और वहां के आदिवासी अल्पसंख्यक जाति रह गई है। सरकार शरणार्थियों को भूमि देने पर्याप्त व्यवस्था करने में असफल रही है। त्रिपुरा में भूमिहीन आदिम जातियों तथा भूमिहीन शरणार्थियों के बीच प्राय: संघर्ष रहता है। सरकार उनकी समस्या को सुलझाने के लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

गत दो वर्षों में सैकड़ों आदिम जाति परिवारों को उनकी भूमि को बेदखल किया गया है। यद्यपि ढेबर आयोग ने यह सुझाव दिया है कि जिस क्षेत्र में आदिम जाति के लोगों की संख्या अधिक हो उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाये और वहां की भूमि केवल आदिम जातियों के लोगों को ही मिले। किन्तु राज्य इस सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं है। सरकार को इस सिफारिश के अनुसार कार्य करना चाहिए। सरकार को इस बारे में तुरन्त निर्णय करना चाहिए अन्यथा उन लोगों के पास अपनी भूमि नहीं रह पायेगी।

आदिम जातियों की भूमि के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि ऐसी अनुमति देनी है तो यह आदिम जातियों द्वारा निर्वाचित समिति द्वारा दी जाये।

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : The creation of scheduled areas and non scheduled areas has resulted in great hardship to the Adivasis, who are residing outside the scheduled areas. They are not getting the facilities which are available to the Adivasis living in the scheduled areas. This is situation which prevails in the Vidarbha area of Maharashtra. I, therefore, request the Government that it should see that this kind of discrimination is put an end to.

The list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be revised so as to include certain castes and sub-castes in Maharashtra, which have so far been kept out of the list.

Such of the tribal people who go to the other State in connection with their employment should continue to be recognised as tribals and get all the facilities which are available to tribals.

The welfare schemes for the Adivasis and the Backward Classes should be implemented with a quicker speed. The educational schemes should be such as may enable the people to promote animal husbandry and agricultural production in their areas.

The amount of scholarship being given to the tribal students is not sufficient. Therefore this amount should be raised so that these students may continue their studies without any difficulty.

In spite of the law in existence against untouchability the evil still persists, especially in rural areas. Therefore some steps should be taken to see that every temple has a Harijan on its Board of Trustees.

श्रीमती अकम्मा देवी (नीलगिरि) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को उनके प्रतिवेदन के लिये बधाई देती हूं। उनकी रचनात्मक सिफारिशों पर कार्य करने से अवश्य ही इन जातियों को लाभ होगा। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करती हूं कि वह ढेबर आयोग तथा अनुसूचित जातियों व अनसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशें, त्रिवान्वित सिफारिशें तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें जिनको कार्यरुप नहीं दिया गया तथा इस विलम्ब के कारण, सभापटल पर रखें।

आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि जनजाति कल्याण के लिये आवंटित राशि में प्रथम तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कमी एक नियमित लक्षण रही है। मैं मंत्री महोदय से नम्र निवेदन करती हूं कि वह सरकारी व गैर सरकारी सभी संस्थाओं को, जिनको यह कल्याण कार्य सौंपा गया है, स्पष्ट अनुदेश दें कि न केवल वे धन का उपयोग करें बल्कि सावधानी व लाभप्रद उपयोग करें जिससे यह विशाल राशि के लाभ जिस खंड के लिये नियत की गई है उसे पहुंचे। व्यय की प्रगति वर्ष में समान रूप से होनी चाहिये तथा किसी योजना के लिये निर्धारित राशि का उसके लिये ही उपयोग होना चाहिये।

मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान में लगी स्वयंसेवक संस्थाओं को अनुदान अविलम्ब देना चाहिये और उनके अंशदान के भाग को कम कर देना चाहिये निरीक्षकों के द्वारा इन संस्थाओं को जांचे हुए लेखे भेजने और भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने में पथ-प्रदर्शन करके प्रोत्साहन देना चाहिये।

जन-जातियां अब भी महाजनों के पंजे में फंसे हुए हैं। इनसे अंशदान का अपना भाग नकद मांगना भी इसका एक कारण है। इसलिये उनसे अपना हिस्सा नकद देने पर हट नहीं करना चाहिये बल्कि श्रम के रूप में उनका अंशदान पर जोर दिया जाना चाहिये। मैं सामाजिक सुरक्षा विभाग से अनुरोध करती हूं कि वे इस प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित करें जिससे कि वास्तव में स्वतंत्रता के 17 वर्ष में उत्पीड़ित तथा उपेक्षित जनसंख्या को इस भाग को लाभ पहुंचे सके।

श्री अ० शं० अल्वा (मंगलौर) : जब गांधी जी स्वतंत्रता के लिये संघर्ष कर रहे थे तब हरिजनों का उत्थान भी उनका एक आधारस्तम्भ था और उनके जीवनकाल में इस दिशा में बहुत प्रगति हुई। हरिजनों को विभिन्न स्थानों में मंदिर में प्रवेश करने की अनुज्ञा मिली। श्री बी० जी० खेर जब बम्बई के मुख्य मंत्री थे तो उन्होने उडीपी के मन्दिर में प्रवेश नहीं किया बल्कि मन्दिर के "कनाकनाकडी" स्थान से ही उपासना की क्योंकि हरिजनों को उस स्थान से ही उपासना करने का अधिकार था। इस भावना से महान् व्यक्तियों और स्वयंसेवकों ने अनुसूचित जातियों के लिये कार्य किया।

स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई। अब भी कुछ स्थानों में उनकी कुओं तथा सरिताओं तक पहुंच नहीं है। यह एक अपमान जनक बात है। संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है लेकिन फिर भी यह बुराई गांवों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। साक्ष्य की कमी के कारण अधिकतर मामलों में दंड नहीं दिया जाता। यह कार्य स्वयंसेवकों तथा गैर-सरकारी अधिकारियों को सौंपा जाना चाहिये तथा अपराधियों को कड़ा दंड देना चाहिये।

यह दुखदायी बात है कि केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई। कुछ राज्यों में बोर्डों की एक या दो बैठकें हुई जबकि दूसरों में अभी आंकड़े भी नहीं प्राप्त हैं। सरकार को इन बोर्डों का गठन करते समय किसी ऐसे राजनीतिज्ञ को, जिससे संसद् या विधान सभा में स्थान न दिया जा सका हो, स्थान देने की अपेक्षा उन व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिये जो इन पद-दलित, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए का सुधार करके सच्ची राष्ट्रीय एकता लाना चाहते हैं।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने उल्लेख किया कि इस कार्य के लिये आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं होता। सरकार का कर्त्तव्य है कि वह देखे कि इस कार्य के लिये नियत राशि का पूर्ण उपयोग होता है। इस ओर ध्यान देना चाहिये कि पैसा छद्मवेषी व्यक्तियों को नहीं बल्कि सुपात्रों को ही मिले जो उसका सदुपयोग करें और धन किसी भी कारण से व्यर्थ न जाय। मैं एक अन्य प्रस्ताव रखुंगा जैसा श्री पाटिल ने कहा कि प्रत्येक मन्दिर में एक हरिजन ट्रस्टी होना चाहिए। ऐसा एक कानून बना देना चाहिये।

[श्री अ० शं० अल्वा]

हरिजनों को अलग बस्ती बनाने की नीति गलत है । इससे मानसिक बाधाओं को दूर करने में प्रगति नही होगी । मैं आशा करता हूं कि सामाजिक सुरक्षा का विशेष विभाग बन जाने से ये सब कमियां दूर कर दी जायेगी । और जब हम अगले प्रतिवेदन पढ़ेंगे तो इनकी स्थिति अच्छी होगी ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : We are discussing this report after two years which shows that we are lagging behind. This is a clear picture of the activities of the Government for the uplift of Harijans. Why should the Harijans not be allotted vacant plots near the bungalows of the Ministers instead of building Harijan colonies in far off places where transport and employment opportunities are negligible.

It is seen from the statistics of appointment to Government posts in Rajasthan that the percentage of Scheduled Castes & Scheduled Tribes was one point something in case of temporary posts and nil in case of permanent posts. This satisfies nobody.

Out of a total population of 2 crores and 43 lakhs in Rajasthan there are 70 lakhs of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The housing subsidy to them is only Rs. 600. The students residing in the 13 hostels in the State are paid Rs. 15 or 17 per month, which is insufficient for maintaining themselves. Even the books are supplied to them after 3 months and the scholarships are given after expiry of five months. After the Chinese aggression Government spent Rs. 197 lakhs on 2034 new departments but discontinued these scholarships.

The Block Development Officer at Shahabad is alleged to have misappropriated Rs. 50 lakhs, the Collector of Kotah and Superintending Engineer, C.P.W.D. enquired into the matter and confirmed the allegation but no action has been taken so far. Serious notice should be taken of such cases of corruption.

In the Girwa Constituency of Udaipur *Adivasis* have been prevented from taking wood. When the Jan Sangh workers and Shri Jodha Singh, M.L.A. launched an agitation against it they were put into Jail. Near Kotah 17 houses were planned to be constructed for the cobbler refugees of hill tribes but even after the lapse of three years these have not been completed. Why should the Government not build houses and colonies for them if they really want to uplift them.

It is said that a number of wells and houses have been built in Rajasthan. In Hanumpura near Bara the ripe crops of the farmers were auctioned and they were fined Rs. 8,000. There should be a separate Ministry and a separate Commission to look after it. In Shahabad out of 200 wells constructed only 2 have got water. There has been embezzlement in the dam built there for Rs. 26 lakhs. Buildings for adivasis panch ayats and *Vikas Bhavan* have been built but the Development officer has to sit under an umbrella during rains as the roofs leak.

I request the hon. Minister to accompany me to this place and it will be proved that Rs. 50 lakhs have been misappropriated. A co-operative society spent Rs. 4,500 on purchase of honey and incurred heavy amounts on overheads for its sale while in a year the total sales amounted to Rs. 61 only. This is the state of co-operative societies.

I request you that if you want to uplift the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, all the cases of corruption brought to notice should be thoroughly investigated and deterrent punishment should be awarded to the officers found guilty.

Shri Naval Prabhakar (Delhi-Karol Bagh) : Mr. Deputy Speaker, I Congratulate the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for this report in which he has very clearly described the difficulties of and problems of **Harijans,** Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It contains 231 recommendations for the solution of these problems.

It has been stated in the report that the Advisory Committee met only once. It is also seen that every year the amounts lapse. This shows that the Government are indifferent in the matter. The Ministry of Home Affairs was overburdened with too many items. Since this subject has been entrusted to the Ministry of Law and Social Security, I hope this Ministry will be able to pay more attention to it. We had doubts about the fulfilment of assurances contained in the reports from year to year. I will request the hon. Minister to clear our doubts and clearly state how efficiently the new department will function and the co-operation that it will receive from other Ministries in this regard.

In 1953, 64 students of Scheduled Castes were initially selected for grant of scholarship but finally only six students were awarded the scholarship. I will like to know how the number was reduced to 6. As regards the proposed admission to the **Sainik** Schools, I want to know the number of Scheduled Castes admitted statewise. How is it proposed to meet the high fees as the **Harijans** cannot afford it ? I request the hon. Minister to issue instructions to the State Governments to make timely payment of amounts of scholarships. The amount of the scholarships as also the ceiling on income guardians thereto should be linked with the price index and there should be corresponding increase in the both accordingly. The number of overseas scholarships should also be increased.

Government were kind enough to allot plots of 60 square yards to the **Harijans** in Delhi but the amount of Rs. 1200 promised for construction of the houses has not been given. It may please be looked into.

उपाध्यक्ष महोदय : : वाद-विवाद समाप्त हुआ । मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे ।

---

*शक्तिशाली ट्रांसमिटर

*HIGH POWERED TRANSMITTER

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : मेरे शक्तिशाली ट्रांसमीटर के बारे में 30 नवम्बर, 1964 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 256 का उत्तर सभा के लिये आश्चर्य की बात थी । 1962 में संसद् सदस्यों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई गई थी । सरकार ने यह निर्णय किया था कि केवल मीडियम-वेव का 1000 किलोवाट का ट्रांसमीटर कुछ देशों तक पहुंच सकेगा । हमें यह भी बताया गया था कि ट्रांसमीटर के विशेष-विवरण के प्राप्त होते ही उसके लिये भवन निर्माण का कार्य आरम्भ

*आधे घंटे की चर्चा ।

*Half-an-hour discussion.

[श्रीमती रेणुका राय]

किया जा रहा था। इसके बाद समिति की कोई बैठक नहीं बुलाई गई। उप मंत्री के उत्तर के साथ साथ ही समिति के सदस्यों को पत्र भेज दिया गया कि इसका कार्य पूरा हो गया था इसलिये इसको समाप्त कर दिया गया।

न तो चीन के प्रचार से उत्पन्न स्थिति में कोई परिवर्तन है हुआ और न ही यह समिति के सदस्यों का दोष है जो इस की बैठक नहीं हुई। विगत समय में लिये गये कुछ अन्तर्विभागीय निर्णयों के कारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रहा है। स्टैटसमैन में जो यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि सरकार 1000 किलोवाट और 250 किलोवाट दोनों ही ट्रांसमिटर लेने का विचार कर रही है और इसके लिय सोवियत संघ से बात की गई है। मैं आशा करती हूं कि मंत्री महोदया इसके बारे में बतलायेंगी।

नये मंत्री जी ने मंत्रालय की जो साज संवार करके जो वास्तविकता दिखाई है उससे मैं आशा करती हूं कि इस प्रश्न पर दृढ़ निर्णय किया जायेगा और इस पर पुनर्विचार नहीं होगा। क्योंकि चीन के गंदे तथा झूठे प्रचार से भारत पर पिछले दो वर्षों से बहुत विपरीत प्रभाव पड रहा है। मैं आशा करती हूँ कि मंत्री महोदया बतायेंगी कि क्या स्थिती है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मंत्री महोदया को यह बताना चाहिये कि गत दो वर्षों के दौरान जबसे नये मंत्री ने पद ग्रहण किया तब से दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों में तथा हिमालय की सीमाओं पर चीन द्वारा भारत-विरोध प्रचार का मुकाबला करने के लिये क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से कोई कदम उठाये गये है और यदि हां, तो वे क्या हैं?

श्री बासप्पा (तिपतुर) : मत्री महोदया को बताना चाहिए कि क्या उन्हें पाकिस्तानी प्रसारणों के कुछ यूरोपीय देशों में सुने जाने की शिकायत मिली है और यदि हां, तो स्थिति का निवारण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : सरकार को बताना चाहिये कि 1000 किलोवाट का मीडियम-वेव ट्रान्समिटर कब तक स्थापित हो जायेगा, जिसके लिये आदेश दिये जानेके बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं। सरकार यह भी बताए कि क्या दो शार्ट-वेव प्राप्त करने के प्रश्न पर केवल विचार हो रहा हैं अथवा इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है?

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासंमद) : सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि हमारे पास शार्ट-वेव तथा मिडियम-वेव प्रसारणों के लिये उपयुक्त प्रसारण आवृत्ति होनी चाहिए और क्या ट्रान्समीटरों का आयात करने के लिए कोई निर्णय किया गया है और क्या वित्त मंत्रालय ने इस पर स्वीकृति दे दी है?

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार को यह बताना चाहिये कि चीनी आक्रमण के तुरन्त बाद संसद् सदस्यों की जो समिति नियुक्त की गई थी क्या उसने अपना काम पूरा कर दिया है अथवा काम पूरा किये बिना ही उसे समाप्त कर दिया गया है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : श्रीमान्, मैं आपकी अनुमति से एक विवरण पढ़ना चाहती हूं :

अक्तूबर, 1964 में यह निर्णय किया गया था कि (एक) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में जो छः 100 किलोवाट शार्ट-वेव ट्रान्समिटर और एक 1000 किलोवाट मिडियम-वेव ट्रान्समिटर तथा पांच 100 किलोवाट शार्ट-वेव ट्रान्समीटर लगाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित न किया जाय ; और (दो) सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अधिकार दिया जाये कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में लगाने के लिए मंत्रालय 250 किलोवाट के शार्ट-वेव ट्रान्समिटर तथा एक 100 किलोवाट का शार्ट-वेव ट्रान्समीटर खरीदने के लिये करार करे ।

तथापि, संसद् में तथा संसद् के बाहर व्यक्त संकट की भावना को देखते हुए, भारत के उत्तरी तथा दक्षिण-पूर्वी देशों के लिये प्रसारण के लिये एक उत्तम शक्तिशाली मीडियम्-वेव ट्रान्समीटर की आवश्यकता के बारे में हाल में एक बैठक में सारे मामले पर पुनर्विचार किया गया जिस में तकनीकी विशषज्ञों को बुलाया गया था । उस बैठक में सर्व सम्मति से निम्नलिखित बातें स्वीकार की गईं :—

(1) मीडियम-वेव प्रसारण तुलनात्मक सीमित क्षेत्र में शार्ट-वेव प्रसारण से अधिक प्रभावकारी है, क्योंकि यह एक बैंड वाले सस्ते रेडियो द्वारा भी सुना जा सकता है ;

(2) उत्तर में तिब्बत सिक्कीम और भूटान तथा दक्षिण-पूर्व में बर्मा, थाईलैंड, मलयेशिया और हिन्दचीन के कुछ भागों में प्रभावी प्रसारण के सीमित प्रयोजन के लिये शार्ट-वेव ट्रान्समीटर की अपेक्षा एक शक्तिशाली मीडियम-वेव ट्रान्समीटर अधिक अच्छा होगा ;

(3) मीडियम-वेव ट्रान्समीटर केवल सीमित समय में शाम के समय चार घंटे के लिये प्रभावशाली होगा—और यदि उत्तरी तथा दक्षिण-पूर्वी देशों में प्रसारण करना है तो दोनों देशों को प्रसारण करने के लिये हमें समय दो भागों में बांटना पड़ेगा और रश्मिमाला की दिशा बदलने के लिये व्यवस्था करनी पड़ेगी ;

(4) यदि पाश्चात्य देशों को भी इसी प्रकार प्रसारण करना आवश्यक होगा तो एक ट्रान्समीटर बम्बई अथवा भूज में लगाना आवश्यक होगा और वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब तथा अफ्रीका के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में प्रसारण करेगा ;

(5) दिल्ली में लगाये जाने वाले उपयुक्त एरियल सहित दो 250 किलोवाट के शार्ट-वेव ट्रान्समीटर उपर्युक्त क्षेत्रों तथा इसके अतिरिक्त पूर्व की ओर चीन तथा पश्चिम की ओर रूस और अफ्रीकी देशों को प्रसारण करेगा ;

(6) शार्ट-वेव ट्रान्समीटर से रात-दिन प्रसारण किया जा सकेगा। यद्यपि इससे दूर तक प्रसारण होगा किन्तु यह देश में निकटवर्ती क्षेत्रों में उतनी अच्छी तरह नहीं सूनाई देगा जितनी अच्छी तरह मीडियम-वेव से किया जाने वाला प्रसारण सुना जा सकेगा ; और

(7) दीर्घ कालीन दृष्टि से अपने संसाधनों को देखते हुए शार्ट-वेव ट्रान्समीटर ही अधिक अच्छे होंगे । भारत के उत्तर तथा दक्षिण पूर्व के देशों को भारत के वास्तविक दृष्टिकोण तथा उसकी नीतियों का तुरन्त बोध कराने के लिये शक्तिशाली मीडियम-वेव ट्रान्समीटर अधिक उपयोगी होगा ।

तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि मंजूर किये गये पूर्व लिखित ट्रान्समीटर के अतिरिक्त आकाशवाणी कलकत्ता में एक उत्तम अधिक शक्तिशाली मीडियम-वेव ट्रान्समीटर लगाये ।

मैं ने समाचार पत्र वालों से केवल यह कहा कि अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया है और मैं 14 तारीख को एक घोषणा करूंगी । ट्रान्समीटरों का आयात किये जाने के बारे में वित्त मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी है और वह निर्णय मंत्री मण्डल का है । हमारा प्रसारण करने का

[श्रीमती इंदिरा गांधी]

उद्देश्य न केवल चीनी तथा पाकिस्तानी प्रचार को रोकना है अपितु भारत का स्पष्ट तथा सही दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करना है।

श्री बासप्पा : रोम में मैं ने भारतीय लोगों से सुना कि वहां पाकिस्तानी रेडियो तो सुनाई देता है किन्तु भारतीय रेडियो नहीं सुनाई देता है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : माननीय उप मंत्री यह बता रहे हैं कि पाकिस्तान रोमवालों के अधिक निकट है। वित्तमंत्रालय ने इस शर्त पर ट्रान्समीटर खरीदने की अनुमति दी है कि ट्रान्समीटर रुपयों में भुगतान वाले देशों से खरीदे जाये। यह कहना कठिन है कि ट्रान्समीटर कब तक उपलब्ध हो जायेंगे। हम उन्हें यथाशीघ्र प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे है। हो सकता है कि उन्हें लगाने में देढ़ वर्ष का समय लग जाये।

जहां तक समिति का प्रश्न है, ट्रान्समीटरों के बारे में अपनी राय देने के पश्चात् उसे विघटित कर दिया गया है। किन्तु सरकार संसद्-सदस्यों की समिति नियुक्त करने के बारे में पुनः विचार करेगी।

इसके पश्चात लोकसभा मंगलवार, 15 दिसम्बर 1964 / अग्रहायण 24, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 15th December 1964/Agrahayana 24, 1886 (Saka).

भा० स० मु० ना०--से० ५--९ लोकसभा-६५--१९-७-६५—६००